खण्ड-339, अंक-4
बुधवार, 2 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(23 मई, 1979 ई0)

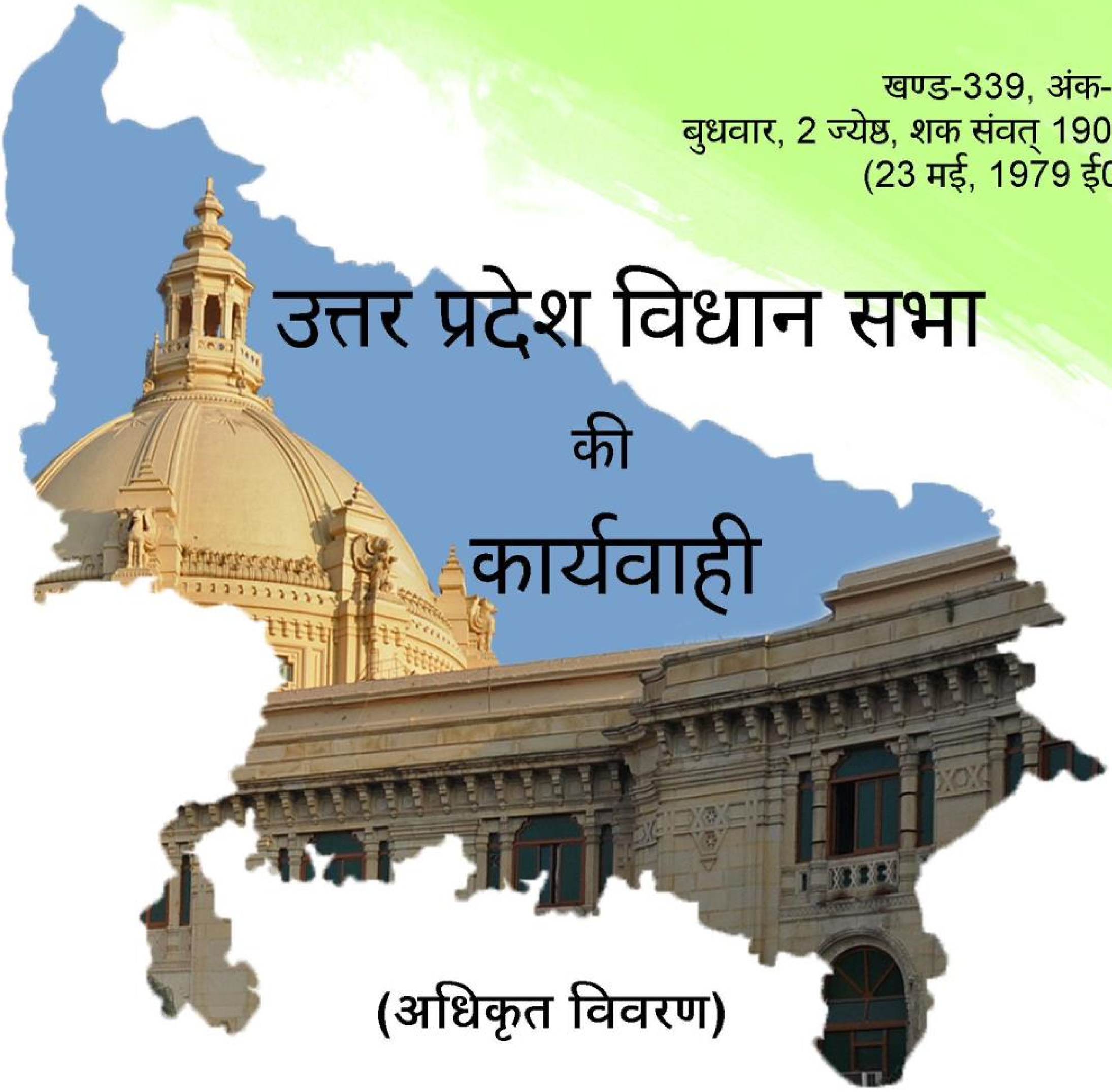

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	301–304
प्रश्नोत्तर	305–332
गढ़वाल जिले में तिब्बत सीमा से मिले हुए क्षेत्र त्रियुगी नारायण के पास चीन द्वारा भूमिगत सुरंग बनाये जाने की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	332–333
पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर के बन्द हो जाने से गन्ना किसानों के समक्ष कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	333–337
ग्राम गंगरौली जिला गोंडा में श्री बाबादीन के घर पड़ी डकैती में उसकी बहिन को उठा ले जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	337–338
आजमगढ़ जिले के थाना मधुबन, दोहरीघाट व अतरौलिया के थाना इन्चार्जों के विरुद्ध आरोपों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	338–339
शुगर फैक्टरी सरैया एवं सरदार नगर डिस्टिलरी गोरखपुर का गन्दा पानी फरेन नाले में गिराये जाने से क्षेत्र में बीमारियों के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	339–340
अमरीकी लेखक श्री जे0 डी0 बेरीमान द्वारा लिखित पुस्तक "हिन्दूज आफ हिमालयाज" में पर्वतीय समाज के चरित्र पर आक्षेप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	340–341
टाण्डा जनपद फैजाबाद के बुनकरों की बदहाली एवं बेरोजगारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	341
हमीरपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड एवं सहायता की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	341–342
मथुरा जिले में यमुना नदी के पार किसानों के लिये गन्ना मिल की स्थापना की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	342
बनारस में संसद सदस्य श्री अर्जुन सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	342–343
सलोन (रायबरेली) के एस0 डी0 एम0 के पेशकार श्री राम प्रसाद मिश्र की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	343
जनपद जालौन के ग्राम छानी में अग्निकाण्ड एवं सहायता की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	344
औचित्य का प्रश्न	344
विविध विषय	344–345
श्री हरिकेवल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा निषेधाज्ञा जारी किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	345–350
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	350

विषय	पृष्ठ संख्या
परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	350
उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य कलापों के संबंध में चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1977–78) (सदन के पटल पर रखा गया) ..	350
स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	351
व्यवस्था का प्रश्न	351
1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 3—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योगिक विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	352–428
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	429
प्रदेश में जहाँ-जहाँ नहरें बनाई जा रही हैं वहां चकबन्दी कराने तथा जहाँ से गई हों वहाँ पुनः चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद कानून न बनने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	429–434
नत्थियां	435–437

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 23 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—323

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उमा कान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्मा कर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बच्चा पाठक, श्री
बनारसी दास, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरबिन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री
(जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बैज नाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री

भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीषम, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघवराम मिश्र, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
रामअधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धु)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 23 मई, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ज्ञानपुर वाराणसी में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

**1—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री को यह पता है कि प्रदेश के उप मुख्य मंत्री श्री रामनरेश यादव 27 अप्रैल, 1979 को ज्ञानपुर, वाराणसी गये तो वहाँ के छात्रों ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने के विषय पर उनका जबरदस्त घेराव किया ? यदि हाँ, तो क्या प्रदेश शासन इसी आगामी शिक्षा सत्र (1979–80) से ज्ञानपुर (वाराणसी) में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रहा ह ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल)—

जी हां, घेराव किया था। परन्तु 1979–80 सत्र से ज्ञानपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने का अभी कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं हैं।

श्री मोहन सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने पर सिद्धान्त रूप से सहमत है ? यदि हाँ, तो उसकी रूप-रेखा क्या है और स्थान के बारे में भी जो बातचीत हुई है, उसको बताने की कृपा करेंगे ? क्या यह विश्वविद्यालय आवासीय होगा या केवल परीक्षा का संचालन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उत्तर में कहा जा चुका है।

श्री मोहन सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि ज्ञानपुर के बारे में कहा है कि पूर्वान्चल विश्वविद्यालय खोलने के बारे में शासन सिद्धान्त: सहमत है अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो उसका स्थान क्या है और इसकी रूपरेखा क्या है ? वह एक आवासीय विश्वविद्यालय होगा अथवा केवल परीक्षा का संचालन करेगा ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जहाँ तक विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न है, शासन ने अपनी ओर से मान लिया है कि यहाँ पर विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है। जहाँ तक स्थान का प्रश्न है यह तो तब होगा जब गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आने वाले सभी विद्यालयों को देख लिया जाये, तभी इसका निर्णय होगा। कैसा विश्वविद्यालय होगा इसके बारे में स्पष्ट राय के लिए यू0 जी0 सी0 तथा भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया गया। भारत सरकार ने और यू0 जी0 सी0 ने कोई विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी है। प्रदेशीय सरकार यह अनुभव करती है कि वहाँ पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, इसलिये यह एफीलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी और प्रदेश संसाधनों के आधार पर ही इसको खोला जायेगा।

श्री मोहन सिंह—

1972 में आयोग ने अपने अधिनियम में संशोधन किया और कहा कि नवीन विश्वविद्यालय खोलने के लिए उसके पास प्रदेशीय सरकार 3 करोड़ की सम्पत्ति, 8 प्रोफेसर और 14 रीडर के पद की स्वीकृति दे। लेकिन अभी तक 5 विश्वविद्यालय हैं, जिनको यू0 जी0 सी0 की मान्यता नहीं मिली है, वे हैं— गढ़वाल, कुमायूं, रूहेलखण्ड, बुन्देलखन्ड और अवध पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है और जो प्रस्तावित पूर्वान्चल विश्वविद्यालय है उस पर शासन ने कितना रुपया व्यय करने का प्राविधान किया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए आप अलग से प्रश्न करें। यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़) —

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि एक ओर तो शासन ने पूर्वान्चल विश्वविद्यालय खोलने की बात को मान लिया है, तो सारे एफीलिएटेड कालेजेज की सुविधा को देखते हुए मऊ को तय कर रखा था, तो क्या यह आइडिया ड्राप कर दिया गया ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि अभी स्थान का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसमें तो पढ़ने वाले जितने एफोलिएटेड कालेज हैं उनको देखना होगा।

श्री विक्रमा राय—

मैंने यह पूछा कि.....

श्री उपाध्यक्ष—

उसका जवाब आ चुका है।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब शासन पूर्वान्चल विश्वविद्यालय खोलने के लिए सहमत है, तो क्या वह जौनपुर के टी0डी0 कालेज को विश्वविद्यालय घोषित करने की कृपा करेंगे ? जौनपुर के बारे में शासन विचार कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष —

यह इससे नहीं उठता है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बताया कि पूर्वान्चल में इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्णय नहीं हुआ कि कहाँ पर होगा, लेकिन यह बात बतायी कि ज्ञानपुर में नहीं होगा, तो क्या माननीय मन्त्री जी बता सकते हैं कि किस किस स्थान पर नहीं होगा ? क्या केवल ज्ञानपुर के सिलसिले में ही इसलिए निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर राम नरेश यादव जी का घेराव हुआ था ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपका एक काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर आप स्वयं लगा लें ?

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल में जो विश्वविद्यालय खोला जायगा उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं माना जायगा और जो एक्सपर्ट्स है और जितनी चीजों की आवश्यकता होती है एक विश्वविद्यालय के लिए, उन सारी चीजों को देखकर ही खोला जायगा ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मैं पाँडेय जी के सुझाव का समर्थन करता हूं और आश्वासन देता हूं कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं माना जायगा। विशुद्ध रूप से क्षेत्रीय आवश्यकता को देखते हुए जहाँ पर आवश्यकता समझी जायगी, वहीं पर स्थापित किया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सरकार पूर्वांचल में एक विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है। यह भी सही है कि प्रदेश में सरकार ने जो 5 विश्वविद्यालय खोले हैं, उनको अभी तक भी यू0जी0सी0 की मान्यता प्राप्त नहीं हुयी है। तो यू0जी0सी0

के वे कौन से मापदण्ड हैं, जिससे वे मान्यता प्रदान करते हैं ? और क्या आप पूर्वांचल के विश्वविद्यालय में उन तमाम बातों को पूरा कर देंगे ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इसके लिए यू0 जी0 सी0 ने कुछ मानक स्थापित किये हैं। गढ़वाल और कुमायूं विश्वविद्यालय के लिए पर्वतीय विकास द्वारा रूपया दे दिया गया है। जब 2 करोड़ रूपये की धनराशि पूरी हो जाती है तो यू0जी0सी0 को अनुदान देना होता है और मान्यता देता है। जब विश्वविद्यालय खुल जाता है डिग्री आदि देने के लिए विश्वविद्यालय को मान्यता तभी मिल जाती है, लेकिन अनुदान के लिए 2 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। शेष 3 विश्वविद्यालयों को सरकार की ओर से 50,000 रुपया दिया जा रहा है। मैं यू0जी0सी0 के चेयरमैन से मिला था। वे 3 फेजेज में उनको मान्यता प्रदान करने में सहमत हो गये हैं।

श्री मोहन सिंह—

पूर्वांचल में विश्वविद्यालय के खोलने पर सरकार सिद्धान्तः सहमत है और उसकी रूप-रेखा के बारे में भी बताया कि वह आवासीय नहीं एक्जामिनिंग बौडी होगी, तो इस विश्व-विद्यालय पर प्रतिवर्ष शासन का कितना व्यय आयेगा और क्या इस वर्ष के बजट में सरकार में उस व्यय के लिए कोई प्राविधान किया है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इसको देखा जा रहा है और जैसे ही पूरी सूचना मिल जायेगी, मैं प्रस्तुत कर दूंगा।

हीवेट पालीटेक्निक स्कूल, लखनऊ का द्वितीय वर्ष की परीक्षा

**2—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) (अनुपस्थिति) तथा श्री बृजबल्लभ सिंह (जिला हरदोई)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुछ उपद्रवी परीक्षार्थियों द्वारा अशान्ति उत्पन्न करने के कारण हीवेट पालीटेक्निक स्कूल, लखनऊ द्वितीय वर्ष परीक्षा (1979) के 5 प्रश्न पत्र नहीं हो सके ? यदि हाँ, तो अनुशासित छात्रों की क्षति न हो इस हेतु सरकार पुनः परीक्षा शीघ्र कराने तथा समय पर ही परीक्षाफल घोषित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

इस मामले की जाँच निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश से कराई जा रही है। उन की जाँच रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

एच० बी० टी० आई०, कानपुर में व्याप्त अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट

**3—श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0, कानपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं आर्थिक घोटालों की जाँच हेतु दिनाँक 20 अगस्त, 1978 को तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी, सचिव, विज्ञान एवं पर्यावरण की जाँच अधिकारी नियुक्त किया था ? क्या उनको तीन माह के भीतर जाँच करके रिपोर्ट शासन को देने का निर्देश दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या जाँच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

आवास मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

20–8–78 को नहीं बल्कि 29 जुलाई, 1978 के आदेश में श्री अविनाश चन्द्र चतुर्वेदी सचिव, विज्ञान एवं पर्यावरण को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इनकी जाँच

रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है। आशा की जाती है उक्त जाँच रिपोर्ट शीघ्र ही शासन को प्राप्त हो जायगी।

श्री बाबूराम शुक्ल —

जाँच अधिकारी से 3 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था, किन्तु 10 माह हो गये हैं और अब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तो क्या जाँच अधिकारी ने समय बढ़ाने के लिये माँग की थी और क्या मंत्री जी ने उसका समय बढ़ा दिया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जाँच अधिकारी ने एक पत्र लिखा था कि इतने कम समय में जाँच होना सम्भव नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। उनसे कह दिया गया है कि अगर उनको किसी सहयोगी की जरूरत हो, तो वे लेकर जांच शीघ्र पूरी करें।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

भ्रष्टाचार के कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं तथा क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं जिनकी जांच हो रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उसी सिलसिले में तो जांच हो रही है ?

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी—

आरोप कौन से हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

कुछ नियुक्तियों आदि के मामले में घपला है, कुछ गबन के अरोप है, इसी तरह की शिकायतें हैं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

स्पष्ट उत्तर मान्यवर, दिलवाइये।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मैंने बताया तो कुछ सामान के सिलसिले में घपला है, कुछ गबन के आरोप हैं। इसी तरह की बहुत सी शिकायतें हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

गड़बड़ी के कितने मामले हैं और गबन में कितने रुपये की धनराशि इन्वाल्व है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या मेरी सूचना को सही मान कर माननीय मंत्री जी कृपया इसकी जांच करायेंगे कि एच0 बी0 टी0 आई0 के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार इन जांच अधिकारी का सहयोग नहीं कर रहे हैं. और क्या वहां के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार को वहां से हटा कर इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

इस किस्म की तो कोई शिकायत आयी नहीं है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—

किसके खिलाफ क्या-क्या आरोप हैं, जिनकी जांच के लिये आपने जांच अधिकारी को नियुक्त किया है, आप शिकायती पत्र को पढ़ दें और अपने आदेश को पढ़ दें. उससे स्पष्ट हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

उसका उत्तर आ चुका है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस मामले की विजिलेन्स विभाग से जांच करवायेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, एक अधिकारी से जांच करायी जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या वह जो भ्रष्टाचार और रिश्वत का आरोप है, वह इंस्टीट्यूट के किस अधिकारियों के विरुद्ध हैं और क्या यह आवश्यक है कि निष्पक्ष और खुली जाँच हो, इसके लिए उन्हें हटा दिया जाय ?

श्री मोहम्मद मसूद खाँ—

मान्यवर, अगर यह जाँच अधिकारी जरूरी समझेगा और इस किस्म की रिपोर्ट देगा, तब इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जो अफसर इन्क्वायरी कर रहा है, वह लिख कर भेजे कि इसको हटाना जरूरी है, वह तो इनका मिला नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

यह आरोप किस अधिकारी के विरुद्ध हैं ? मान्यवर, यह बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय मंत्री बतावें जो प्रश्न अभी किया ओझा जी ने कि यह किस अधिकारी के खिलाफ है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसमें कुछ लोगों का दिया गया है, कुछ पहले का भी पत्र है, उसके बारे में भी कहा गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वह व्यक्ति या व्यक्तिगण कौन लोग हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपके पास होगा कि कौन अधिकारी जाँच कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद मसूद खां —

मान्यवर, यह तो पत्रावली में नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, इसको स्थगित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या आपके पास जो पत्रावली है, उसमें यह है कि किन-किन अधिकारियों के खिलाफ जाँच हो रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खाँ—

मान्यवर, सवाल यह उठा था कि जाँच में क्या देरी है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसको स्थगित करता हूं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, कोई भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने ठीक से नहीं दिया।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना

**4—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा) तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय क्या शासन प्रदेश में औद्योगिक प्रगित को प्रोत्साहन देने के लिये सभी जिलों में जिला औद्योगिक केन्द्र शीघ्र स्थापित करने

पर विचार कर रहा है ? यदि हाँ, तो केन्द्रों का स्वरूप कैसा होगा तथा पूरे प्रदेश में लगभग कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा ?

उप मुख्य मंत्री एवं उद्योग मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्रदेश के सभी 56 जिलों में औद्योगिक प्रगति को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय वर्ष 1978–79 में ही जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

जिला उद्योग केन्द्र उद्योग निदेशालय का अंग होगा तथा सामान्य प्रबन्धक केन्द्र का मुख्य अधिकारी होगा। सामान्य प्रबन्धक की सहायता के लिए निम्नलिखित विषयों के प्रबन्धकों की व्यवस्था की गयी है—

1—प्रबंधक (क्रेडिट)
2—प्रबंधक (टेकनोलाजी)
3—प्रबंधक (खादी तथा ग्रामोद्योग)
4—प्रबंधक (हथकरघा, हस्तकला, वस्त्रोद्योग तथा सहकारिता)
5—प्रबंधक (मार्केटिंग एवं आर्थिक सर्वेक्षण)

उपरोक्त के अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक तथा प्रबन्धक की सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त तकनीकी तथा सहायक स्टाफ की भी व्यवस्था की गयी है तथा जनपद के प्रत्येक तहसील के हिसाब से 2 सहायक प्रबन्धकों की नियुक्ति का भी प्राविधान है।

जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना होने से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों तथा दस्तकारों को अधिकतर सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इस प्रकार प्रदेश का तजी से औद्योगिक विकास होगा तथा काफी लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह उद्योग केन्द्र कब तक स्थापित हो जायेंगे, तथा क्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की कोई सलाहकार समिति भी बनाई जायगी, जो केन्द्रों को क्षेत्रीय औद्योगिक विकास के कार्यक्रमों के बारे में सुझाव दे सकेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, ऐसा है कि उद्योग केन्द्रों की स्थापना के तो आदेश जारी किये जा चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी सब जिलों में नियुक्त नहीं किये जा सके हैं, धीरे-धीरे नियुक्तियां की जा रही है। थोड़े ही दिनों में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायगी। जहाँ तक सहायता देने के लिए एक समिति का सवाल है, मैंने पहले ही कह दिया था कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी ऐसी बात कही है कि ऐसी समिति बना ली जाय, जिसमें हमारे जन प्रतिनिधि लोग भी रहेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो औद्योगिक केन्द्र खुले और अधिकारी रखे है, क्या उद्योग खोलने और उद्यमियों को सहायता देंगे और अब परिव्यय में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, उसके पीछे जो मंशा है वह यह है कि ग्रामोद्योग के विकास की दिशा में कदम उठाये जा सकें और इस संबंध में रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें। उद्योग लगाने के जो उद्यमी है, उन्हें एक स्थान पर माल उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए जो अधिकार दिये गये हैं, क्योंकि जैसा कि शासन की नीति है, उद्योग के क्षेत्र में अधिक अधिकार दिय गये हैं। अब तक ऋण के लिए, अगर कोई लेना चाहता था, तो फाइनेन्स

कमीशन जो है कानपुर में, जिले के सुदूर अंचलों से भागदौड़ करनी पड़ी थी। इसको ध्यान में रखकर जो समिति बनायी गयी है, उसको यह अधिकार दिया गया है कि 2 लाख तक का ऋण वह वहाँ पर स्वीकृत कर ले और दिलाने का अधिकार उनमें शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में जो विद्युत् परिषद् है, उसके लिए भी काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता था इसलिए 25 हार्स पावर तक का अधिकार जिले में दे दिया गया है। साथ ही साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उद्योग लगाने के लिए फीस लगती है उसके लिए भी यहीं पर आना पड़ता था। अब 5 सौ रुपये देने का अधिकार भी जनरल मैनेजर को दे दिया गया है। उसी तरह से इकाइयों के पंजीकरण और 50 हजार रुपये के टेन्डर माँगने का अधिकार दे दिया गया है ताकि विकेन्द्रीकरण के आधार पर जो छोटे उद्यमी हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके, कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सके।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तरों से ऐसा लगा कि 2 मंशा है, इस योजना की। पहली तो उद्यमियों के कष्टों को दूर करना और दूसरा रोजगार देना। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस योजना के तहत सरकार के अनुसार के मुताबिक प्रदेश में कितने लोगों को प्रत्यक्ष और कितने को अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार मिलेगा?

श्री राम नरेश यादव—

यह तो जिस समय जिले में जो औद्योगिक केन्द्र है, वह पूरी क्षमता के अनुसार काम करने लगें, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कितने लोगों को काम मिलेगा, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके इन केन्द्रों की स्थापना की गयी है।

श्री रियासत हुसैन—

जो प्रदेश का इंडस्ट्रियल स्टेटस का तजुर्बा है, उसको सामने रखकर, जो आपने काटन इण्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया है, क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए मार्केटिंग की क्या स्कीम बनायी गयी है ताकि उन्हें कठिनाई न हो?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, पिछले दिनों बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज लगी थीं' उनमें से जरूर कुछ की हालत संतोषजनक नहीं रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुये, उद्योगों के संबंध में जो कठिनाइयाँ, इनके सामने आती है और जो उद्योग सिक (sick) हो गये है, तो इसी बातके लिये सहायक मैनेजर, विपणन और आर्थिक सर्वेक्षण, रखा गया है, तो सब लोग एक स्थान पर बैठ कर, जो उद्योग चल रहे हैं या चलने वाले हैं, उनकी समीक्षा करेंगे और जो सहायता हो सकेगी उनके अधिकारों के अन्तर्गत वह सहायता की जायगी। ऐसा वातावरण बनाया जाय, जिससे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग, जिनके आधार पर बेकारी की समस्या को कम किया जा सके, इसलिये इस योजना का श्रीगणेश किया गया है। प्रदेश स्तर पर हर विभाग में जो कठिनाइयाँ आती रही है, उसके लिये एक समन्वय समिति बनाने की घोषणा की है। जल्दी ही उस समिति का गठन हो जायगा और उद्योगों के संबंध में एक जगह बैठ कर इन कठिनाइयों को हल किया जायगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि एक साथ बैठकर कठिनाइयाँ दूर की जायेंगी। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लघु उद्योग खोल रहे है क्या सरकार इस पर विचार कर रही हैं या कर चुकी है कि सब उत्पादित माल की गारंटी होगी और सारा माल खरीदेगी?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जबाव मन्त्री जी दे चुके हैं।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इसी का जवाब नहीं आया है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना पर 1978-79 के वित्तीय वर्ष के लिये कितने रुपये का प्राविधान किया गया है और जिन अधिकारियों की नियुक्ति इस कार्य के लिए होगी वह विभाग से भेजे जायेंगे या नयी नियुक्तियाँ होंगी ?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसा है, जहाँ तक बजट का सवाल है, इसके लिये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कहीं कोई कमी नहीं होगी। लक्ष्य केवल यह है कि योजना अधिक से अधिक सफल हो सके।

श्री श्यामधर मिश्र—

प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दे रहे हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

मैं कहना चाहता हूं कि इस सबंध में पैसे की कोई कठिनाई जिला उद्योग केन्द्रों के चलने के लिये नहीं होगी। जहां तक अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल है करीब 30 जिलों में अधिकारी पहुंच गये हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ऐसे अनुभवी आदमी रखे जायं जिनको इस सबन्ध में अनुभव हो, तो इसलिये विभाग से भी रखे जा रहे हैं और कुछ प्रत्यक्ष चुनाव भी होंगे। जिनके लिये विज्ञापन निकाला है, कुछ प्रार्थना-पत्र आये हैं और विचार हो रहा है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जो योजना बनायी जाती है, उसके लिये व्यय का विचार कर लिया जाता है, तो व्यय की स्पष्ट घोषणा करें जिससे आने वाले बजट में हम विचार करते समय उसके समर्थन या विरोध में कहें।

श्री राम नरेश यादव—

इसमें पैसे की कमी नहीं होगी। पैसे की दिक्कत नहीं होगी। आप सबके सहयोग की जरूरत है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति का आदेश

*1—श्री श्यामदत्त पालीवाल तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 4 अक्तूबर, 1977 को विधान सभा में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने कहा था कि 10,900 बी0टी0सी0 अध्यापकों की नियुक्ति के आदेश दे दिये गये है तथा नये विद्यालयों में लगभग सात हजार अध्यापक नियुक्त होंगे ? यदि हाँ, तो आदेशानुसार कितने अध्यापक नियुक्त हुये तथा नये विद्यालयों में कितनी नियुक्तियाँ हुई ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

उपाध्यक्ष महोदय, एक महीने से अधिक हो गया लेकिन इनका आफिस यह उत्तर न दे सका कि एक साल में कितनी नियुक्तियाँ, केवल एक पद पर—बी0 टी0सी0 में हुई हैं, तो इनका आफिस नहीं कबाड़खाना है। इसलिये मंत्री जी बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालयों में सुधार करें।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, नियुक्तियों का सवाल है और 56 जिलों से सूचना मंगाई है। इसलिये थोड़ा समय अवश्य लगेगा। लेकिन 15 दिन आगे के लिये रख लें तब तक यह सूचना आ जायेगी।

बस्ती जिले के जूनियर हाई स्कूलों के चौकीदारों का वेतन मान

*2—श्री बाबूराम वर्मा (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों के चौकीदारों को मात्र 37.00 रु0 मासिक वेतन दिया जाता है? यदि हाँ, तो न्यूनतम वेतन-मान अब तक लागू न करने में क्या कठिनाई है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ।

न्यूनतम वेतन मान लागू करने और तदनुसार भुगतान करने के आदेश जिला स्तरीय अधिकारियों को दिये जा चुके हैं।

श्री बाबू राम वर्मा—

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से शासन ने न्यूनतम वेतनमान लागू किया है तब से इन चौकीदारों को शेष अवधि का बकाया भुगतान किया जायेगा? यदि हाँ, तो बकाये राशि का भुगतान कब तक किया जायेगा?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, 1 अक्तूबर, 1977 से पुनरीक्षण वेतनमान लागू हुआ है और उसी दिन से इन चौकीदारों को भी वेतन देने के आदेश दिये जा चुके हैं। रिमाइंडर भी 1-5-79 को दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, क्या मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदों में चौकीदारों के अलावा और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उन पर भी यह आदेश लागू होगा? दूसरा न्यूनतम वेतनमान क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है। इस पर अलग से प्रश्न करें।

श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

मान्यवर, जिला परिषद् के जो कर्मचारी ट्रांसफर होकर बेसिक शिक्षा परिषद् में चौकीदारी में आये हैं क्या उनका भी वेतन बढ़ाया जायेगा?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, जिला परिषद् और स्थानीय निकाय के चौकीदार ही इसमें समायोजित किये गये हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन

*3—श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई), श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी) श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी), श्री अशर्फीलाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापकों के स्थानान्तरण का मसला जिला स्तर पर ही निपटाने के सिलसिले में शासन कोई रूप-रेखा तैयार कर रहा है? यदि हाँ, तो अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई और रूप-रेखा किस तरह की है?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण का मामला जिला स्तर पर ही निपटाने के निर्देश पहले से ही है और उसके सम्बन्ध में शासन स्तर पर कोई नई रूप-रेखा तैयार नहीं की जा रही है। पूर्व निर्देशों के अनुसार परिषदीय अध्यापकों के स्थानान्तरण एवं अन्य सेवा सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिये निम्नलिखित अधिकारियों की जिला स्तरीय समिति गठित है:—

1—जिला विद्यालय निरीक्षक	अध्यक्ष
2—अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला/उप बालिक विद्यालय निरीक्षिका।	सदस्य
3—जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की संस्तुति के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो अध्यापकों के नियुक्त प्राधिकारी हैं, स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने में सक्षम हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिये जिला स्तर पर निपटाने के निर्देश पहले से ही हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया, तो क्या कारण था कि पिछले कुछ समय में अक्षम हो गई थी और स्थानान्तरण आदेश बजाय इस समिति के शासन से होने लगे थे?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, इन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। केवल 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक, इस प्रकार का समायोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया था और इसका रूपान्तर करके आप भले ही समझें किसी ने हस्तक्षेप किया लेकिन इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी ने जैसा बताया कि किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया था, हम लोग तो उसके भुक्तभोगी हैं। एक-एक अध्यापक की दर्खास्त लेकर आप लोगों के दरवाज खटखटा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तरीय जिस समिति के बारे में आपने बताया है, अब स्थानान्तरण संबंधी मामले वह समिति ही निपटायेगी और आप के पास तक आने की नौबत नहीं आएगी।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

यह तो मैंने प्रश्न के उत्तर में ही स्पष्ट कर दिया है। समिति विधिवत् गठित है और समिति ही यह काम करती है। इस बारे में कुछ सदस्यों की शिकायतें भी मिली थीं कि यहाँ से भी स्थानान्तरण हुए हैं और इससे बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन नया आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह समिति इस काम को करने के लिए सक्षम है।

श्री राम सागर (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, गत वर्ष जो अध्यापकों के ट्रांसफर हुये थे, तो जो विद्यालय में सबसे जूनियर अध्यापक थे उसका स्थानान्तरण करने के लिए कहा गया था और यह भी कहा गया था कि छात्र संख्या के आधार पर स्थानान्तरण किया जाएगा। जो स्थानान्तरण हुए थे वे न तो जूनियारिटी देखकर किये गये थे और न छात्र संख्या को देखकर किये गये थे। यह बहुत बड़ी गड़बड़ी प्रदेश में हुई.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये।

श्री राम सागर—

और कई जिलों में जो स्थानान्तरण हुए थे उनको वापस कर दिया गया उसी स्थान पर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब जो स्थानान्तरण होने वाले हैं वे किस आधार पर किये जायेंगे?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, स्थानान्तरण के लिए कुछ मानक निर्धारित हैं और माननीय सदस्य ने इन मानकों में से एक की चर्चा भी कर दी। 31-8-1978 की छात्र संख्या उस समय ली गई थी और यह भी निर्धारित था कि जिस अध्यापक की सेवायें कम सबसे कम होगी, उसका स्थानान्तरण पहले किया जाएगा। दूसरे, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक रखे जायें। तीसरे, 50 वर्ष या इससे ज्यादा आयु के अध्यापकों को सामान्यत: न हटाया जाए। चौथे, प्रदेश के सभी विद्यालय अब मिश्रित घोषित कर दिये गये हैं, दूरस्थ स्थित होने के कारण जिन बालिका विद्यालयों में अध्यापिकायें नहीं पहुंच पाती थीं और प्राय: वे बंद रहा करते थे, तो वहाँ पुरुष अध्यापक भेज कर महिला अध्यापकों को सुविधा प्रदान कर दी गई। महिला अध्यापिकायें न पहुंचे, तो कम से कम पुरुष अध्यापक पहुंच कर काम तो शुरू करें। अध्यापकों को यथा संभव निकटस्थ विद्यालयों में रखा जाए। इसके अलावा जो अध्यापक अपने गृह स्थान से दूर पड़े हुए हैं 80 या 100 किलोमीटर, उन्हें अपने घर के निकटतम स्थान पर लाने का प्रयास किया जाए। निर्देश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि स्थानान्तरण प्रबन्ध में अध्यापक/अध्यापिकाओं को सुविधा जनक स्थान उपलब्ध कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसके प्रबन्ध के तारतम्य में जिस अध्यापक, अध्यापिका को बिना उसकी सहमति के अन्यत्र स्थानान्तरित किया जा रहा है, उसका निश्चित आधार अवश्य होना चाहिए। ये मानक हैं। इनके आधार पर ही स्थानान्तरण किया जाता है और अब भी किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सदस्यगण यह चाहते हैं कि यह जो बेसिक शिक्षा अध्यापकों का स्थानान्तरण का कार्य है वह यहाँ से न होकर जिले में ही किया जाय इसके बारे में आपकी क्या नीति है? जो जिले में समिति बनीं है वही इस कार्य को करेगी?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, जो जिले में समिति है वही स्थानान्तरण करेगी।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि जब जिला स्तर पर बनी हुई समिति, स्थानान्तरण के लिए सक्षम थी, तो फिर प्रदेश स्तर पर स्थानान्तरण के लिए क्यों हस्तक्षेप किया गया और अधिकाँश स्थानान्तरण यहीं से किये गये। पिछली स्थिति को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी कोई परिपत्र भेज कर जिलाधिकारियों को इस संबंध में सचेत करेंगे कि जो सक्षम समिति जिला स्तर पर हैं उसी के द्वारा स्थानान्तरण हों और यहाँ से कोई हस्तक्षेप न किया जाय।

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, इसका एक कारण था। किसी के स्थानान्तरण में कुछ मुख्य कारण होते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर स्वयं अध्यापक अगर स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दे, दूसरा कहीं अध्यापकों की कमी थी, कहीं अध्यापक ज्यादा थे, इनका समायोजन करने के लिए भी स्थानान्तरण किये गये। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा अधिकार नहीं दिया गया था।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सक्षम समितियाँ है ट्रांसफर करने के संबंध में। आपके माध्यम से इस संबंध में आदेश कब भेजे गये ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

यह तो साधारण प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिकार है। पुनः दोहराने की क्या आवश्यकता है।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्ष जिला स्तर पर समायोजन हेतु जो समिति बनायी गयी थी, उसमें किसी जन प्रतिनिधि का न होने का क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राम आसरे वर्मा—

इसके बारे में एक स्पष्टीकरण चाहूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपको दो मौके दे दिये हैं.....

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन असक्षम समितियों को अब आप सक्षम बना रहे है इनकी सक्षमता के बारे में पुनः एक बार जिलों को निर्देश भेजने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह दो मरतबा आ चुका है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में। माननीय मंत्री जी बड़ी होशियारी से सदन को गुमराह कर रहे हैं। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जो जिला समिति ने ट्रांसफर की लिस्ट बनायी है उस पर सचिव, बेसिक शिक्षा का हस्तक्षेप आवश्यक था। उनके हस्तक्षेप के बिना कोई ट्रांसफर न हो। क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि इसकी जांच करेंगे और जो इस प्रकार के ट्रांसफर हुये उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जो जिले के केसेज ऐसे थे, जिन पर किसी प्रकार की आपत्तियां आई थी मैं समझता हूं उनका स्थानान्तरण यहां से हुआ है। शेष सारा कार्य वहीं से हुआ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

ऐसा नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो भी जानकारी उनके पास है उसके आधार पर उन्होंने उत्तर दे दिया है। [जबरदस्ती आप नहीं पूछ लेंगे.....]

श्री जनार्दन प्रसाद [ओझा—

जो भी ट्रांसफर हुए वह बिना सचिव, [बेसिक शिक्षा के आदेश के एक्जीक्यूट नहीं हुए। मंत्री जी कहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर पुनः जांच करायेंगे कि बिना सचिव, बेसिक शिक्षा की इजाजत के कोई भी ट्रांसफर पूरे प्रदेश में नहीं हुए ?]

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री नन्दराम (जिला मुजफ्फरनगर)—

मेरे जिले मुजफ्फरनगर में किसी अध्यापक का ट्रांसफर किसी एम0 एल0 ए0 अथवा किसी व्यक्ति के कहने से नहीं हुआ, तो यह समायोजन कैसे हो गया क्या मंत्री जी इसका समाधान करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

शिक्षा के अनुदान पर आप बोलेंगे तब जानकारी कर लीजियेगा।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

*4—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर), श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद) तथा श्री लाल दास (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि माह अप्रैल सन् 1979 से खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्यों और कितना और इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)—

जी नहीं। सामान्यतः उन्हीं वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है जिन पर केन्द्रीय सरकार के बजट में टैक्स या ड्यूटी की दर बढ़ा दी गयी है। नियंत्रित वस्तुओं में मिट्टी के तेल पर 7 प्रतिशत तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं जैसे साबुन पर 9.5 प्रतिशत, एक ग्रूस माचिस पर रु 4.37 प्रतिशत तथा टूथपेस्ट पर 14.5 प्रतिशत की ड्यूटी बढ़ जाने के कारण इनके मूल्यों में अनुपातिक वृद्धि हुई है। रबी खाद्यान्नों के मूल्य तो नई फसल आ जाने से गिरे हैं। चीनी और वनस्पति के मूल्य में वृद्धि इनके उत्पादन स्तर से हुई है। खाद्यान्नों एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में अनावश्यक वृद्धि न हो तथा व्यापारी जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी में प्रवृत्त न हो इसके लिये प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को अपने जनपद में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (मूल्य तथा स्टाक का प्रदर्शन एवं सम्भरण और वितरण पर नियंत्रण) आदेश, 1977 के प्राविधानों का दुकानदारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये शासन ने समय-समय पर आदेश जारी किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मार्च तथा अप्रैल के अन्दर चीनी तथा डालडा का उत्पादन घटा नहीं, लेकिन दाम बढ़ गये, तो क्यों बढ़े और मिट्टी का तेल दो रुपये से अधिक पर देहातों में बिक रहा है, तो इस का क्या कारण है ?

श्री मलिखान सिंह—

विजिटेबिल पर टैक्स बढ़ने के कारण कुछ पैसे बढ़े हैं। मिट्टी के तेल का 1.51 रेट है। इससे अधिक माननीय सदस्य जैसा बतला रहे हैं, तो उसकी जांच करा लूंगा।

जहां तक शकर का सवाल है शकर तथा गुड़ की उत्पादन लागत रिकवरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। उसी आधार पर वह तय किये गये लेकिन बीच में दाम बढ़ गये। शासन इस बात पर बचनबद्ध था कि वह 2.80 या 3 रुपये से ऊपर मूल्य नहीं जाने दगे और उस स्तर पर अब बाजार में शकर आ गयी है। यह सब इस लिये किया गया कि किसानों का गन्ना मिट्टी के भाव बिक रहा था। लकड़ी का भाव गन्ने के भाव से अधिक था उसे देखते हुए गुड़ और गन्ने की नीति निर्धारित की गयी। उसके आधार पर कुछ कीमत बढ़ गयी थी और किसी चीज पर कीमत नहीं बढ़ी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं स्पष्ट रूप से बतलाना चाहता हूं कि गांव में मिट्टी के तेल का भाव दो रुपये है और उससे भी अधिक है और आपने कहा कि नियंत्रित करने के लिये आदेश जारी कर दिये हैं, तो सत्ता संभालने के बाद इस नीति को नियंत्रित करने हेतु आपने आदेश कब जारी किये ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी आवश्यकता नहीं है वैसे अगर इस तरह के आदेश जारी किये गये हों, तो मंत्री जी बता दें।

श्री मलिखान सिंह--

शायद माननीय सदस्य का आशय इस बात से है कि गांवों में मिट्टी का तेल कुछ तेज पड़ता है। थोड़ा हो सकता है, तेज पड़ता हो लेकिन साधारणरूप से उसकी कीमत 1.51 पैसे ही है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आपने आदेश कब दिये ? इनके आदेश ही नहीं है।

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री बाबूराम वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे आदेश देंगे कि दुकान में मूल्य सूची टांग दी जाया करे जिससे मूल्यों में नियंत्रण रखा जा सके।

श्री मलिखान सिंह--

यह तो पहले से ही आदेश हैं कि प्रत्येक दुकानदार मूल्य सूची रखेगा और उसे टांगेगा। इसलिये दूसरे आदेशों की आवश्यकता नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमने जमाखोरों को पकड़ने के लिये जिलाधीशों को अलग-अलग आदेश दिये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि अब तक कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है और यदि नहीं हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो विस्तृत सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मन्जूर अहमद--

मुझे आप कोई 2-4 जिलों की बात बता दें या एक जिले के बारे में ही बता दें कि उन्होंने जमाखोरों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है और उनको पकड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, वे उत्तर दे रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

वे तभी तो उत्तर देंगे जब मैं उन्हें पुकारूंगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न क्या था और उत्तर क्या दिया गया। इसमें बड़ा विरोधाभास है। सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार बतायेगी कि माह अप्रैल सन् 1979 से खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्यों? इसका जबाव मंत्री जी ने दिया "जी नहीं"। अन्त में जब यहां सारी बातें पूछी गई तो कहा कि वृद्धि हुई है, तो यह जो विरोधाभास है, कौन बात सही मानी जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

आपने सवाल किया है "बेतहासा वृद्धि हुई है या नहीं" तो उन्होंने जबाव दिया बेतहासा वृद्धि नहीं हुई है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

तो फिर कितनी वृद्धि हुई है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह आगे उत्तर में दिया गया है?

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

जैसा माननीय जंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है, तो श्रीमन्, सीमेन्ट 23 रुपये से 31 रुपये में क्यों बिक रहा है। मैं यह भी जानता चाहता हूं कि मंत्री जी कहेंगे कि सीमेंट ट्रकों से आ रहा है। ट्रकों से आने में ट्रेन की अपेक्षा सीमेंट महंगा पड़ता है और तभी 31 रुपये में पड़ता है, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस प्रकार पहले ट्रेनों से आने पर सीमेंट सस्ता पड़ता था, उसी प्रकार ट्रकों से आने पर या कम कीमत पर सीमेन्ट लोगों को उपलब्ध कराया जा सके?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, रेलवे वैगन्स के अभाव के कारण ट्रकों से सीमेन्ट आ रहा है। शासन यह कोशिश करेगा कि जो कठिनाई हो रही है वह न हो सके और ट्रेन से ही सीमेन्ट आ सके ताकि वह सस्ता पड़े। शासन यह भी कोशिश कर रहा है कि कम से कम सीमेन्ट ही ट्रक से आ सके और बाकी ट्रेन से ही आये। इसके लिये केन्द्रीय सरकार से वार्तालाप चल रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

बांदा जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों के निर्माण का निर्णय

*1—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 22 जुलाई सन् 1978 को बांदा जनपद के जिलाधिकारी, बांदा के कक्ष में जिले के सभी विधायकों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया था जिले में बनने वाली 60 किलोमीटर सड़कें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बराबर-बराबर बनेंगी? यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय की अवहेलना करने का क्या कारण है? क्या सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बराबर-बराबर लम्बाई की सड़कें बन रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री त्रिलोक चन्द्र)—

खाद्यान्न योजना 4 की सड़कों के चयन के सम्बन्ध में दिनांक 22 जुलाई, 78 की बैठक में जिसमें 4 विधायक उपस्थित थे, निर्णय लिया गया कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 कि0 मी0 लम्बाई का चयन किया जाय तथा आवश्यकतानुसार इस लम्बाई को एक दो कि0 मी0 कम या अधिक किया जा सकता है।

बैठक में जो निर्णय लिया गया उसको शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पूर्व ध्यान में अवश्य रखा गया। अतः अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

शासनादेश के अनुसार खाद्यान्न योजना–4 में केवल उन्हीं मार्गों का चयन किया जाना था जिनके लिये स्थायी या अस्थायी भूमि उपलब्ध हो।

श्री सुरेन्द्र पाल––

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यदि 22 जुलाई, 78 की विधायकों की बैठक में जो निर्णय हुए उनकी यदि अवहेलना नहीं की गई, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नरैनी, कर्वी और बबेरू में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने-कितने किलो मीटर सड़कों का निर्माण हुआ?

श्री त्रिलोक चन्द––

मान्यवर, यह क्षेत्र तो इसमें नहीं लिखा गया लेकिन जो सड़कें स्वीकृत हुई उनको मैं पढ़ देता हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल––

मैं तीन सड़कों के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

पहले उनका उत्तर आने दीजिये।

श्री त्रिलोक चन्द––

सड़कें जो स्वीकृत हुई––

जसपुरा-गडेरिया मार्ग–7 कि0 मी0, चिल्ला लोबर–4 कि0मी0, हथोड़ा से चिल्ला होकर कुम्हारी तक–5 कि0 मी0, दमनी द्वारा चौसठ–8 कि0 मी0, छिन्दन से करगहना मकरी तक–6 कि0 मी0, बिसण्डा से शिव मिलाथ होते हुए पलहारी तक–15 कि0 मी0।

श्री उपाध्यक्ष––

यह केवल एक विकास क्षेत्र का पूछ रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द––

जो सड़कें स्वीकृत हुयी है, वह मैं बता रहा हूँ एक ब्लाक का मुझे नहीं मालूम है, इस समय।

श्री सुरेन्द्र पाल––

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह उत्तर एकदम सत्य से परे है.....

श्री उपाध्यक्ष––

आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेन्द्र पाल––

उस 22 जुलाई की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि हर निर्वाचन क्षेत्र में 10-10 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण होगा। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नरैनी, कर्वी, बबेरू में कितने कि0 मी0 सड़कों का निर्माण किया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि उस निर्णय की अवहलना नहीं हुई, तो कितने कि0 मी0 सड़क बनाई गई?

श्री त्रिलोक चन्द––

यह जो क्षेत्रवार उन्होंने पूछा है इसकी जानकारी मुझे इस वक्त नहीं है। माननीय विधायक जी को बता देंगे।

आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मथुरा के अध्यापकों का अनशन

*2—श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मथुरा के 23 अध्यापकों व कर्मचारियों ने 9-10-78 से जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा के कार्यालय के प्रांगण में अध्यापकों को स्वीकृत वेतन-मान न दिये जाने के विरोध में अनशन प्रारम्भ कर दिया है ? यदि हां, तो शासन ने उपरोक्त विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

प्रश्नगत विद्यालय के 21 अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा 9-10-78 को जो आमरण अनशन किया गया था वह स्वीकृत वेतनमान न दिया जाने के विरोध में नहीं था वरन् वह अनियमित रूप से नियुक्त 9 शिक्षकों तथा 4 कर्मचारियों का वेतन न भुगतान किये जाने के फलस्वरूप था। यह प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा निदेशक को यथोचित निर्देश हेतु प्रेषित कर दिया गया है और तथाकथित अनशन 13-10-78 को समाप्त हो गया।

श्री श्यामदत्त पालीवाल--

उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इस संबंध में रिप्रेजेंटेशन कब दिया गया और जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसे शिक्षा निदेशक को कब भेजा और उस पर कब तक निर्णय वह ले लेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

मान्यवर, अनशन समाप्त हो चुका है। 9-10-78 से जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रांगण में शुरू हुआ और 13-10-78 को समाप्त हो गया।

बी० आर० डी० कृषक इण्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी तथा श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बी0 आर0 डी0 कृषक इन्टर कालेज, भाटपाररानी, जिला देवरिया के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र शासन को अक्तूबर, 1978 में इस आशय का मिला है कि प्रधानाचार्य ने कृषि से 2 लाख रुपये, मूर्ति स्थापना से 30 हजार रु0, ब्वायज फण्ड से 50 हजार रु0, मेन्टीनेन्स से 1 लाख रु0, चपरासी से 25 हजार रुपये, दूध से 10 हजार रुपये, विज्ञान के सामान में 50 हजार रु0 तथा अन्य मदों में से लाखों रुपयों का गबन किया है ? यदि हां, तो प्रधानाचार्य के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हां, जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये निदेश दे दिये गये हैं।

शारदा सहायक परियोजना के सिल्ट एक्सक्लूडर तथा सिल्ट इन्जेक्टर के विरुद्ध शिकायत

*4--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मन्त्री को यह विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के बैराज के निकट सिल्ट एक्सक्लूडर तथा सिल्ट इंजेक्टर, जो 13,50,000 रुपये की लागत से बनायी गयी तथा जिसने आज तक काम नहीं किया, की शिकायत सिविल डिप्लोमा इन्जीनियर्स

नोट--नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

संघ ने भी गत वर्ष मन्त्री को दी ? यदि हां, तो इतनी बड़ी राज्य सम्पत्ति की हानि के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं ? और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सहायक परियोजना जौनपुर में सीमेन्ट का गबन

*5—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि शारदा सहायक परियोजना के खंड 50, जौनपुर में दिसम्बर, 1978 में 1,000 बोरी सीमेन्ट सहायक अभियन्ता द्वारा बेच दी गयी और उन बोरियों में रेत भर कर रख दिया गया ? इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर संबन्धित अधीक्षण अभियन्ता ने इसकी छान बीन की जिसमें उन्होंने उक्त सहायक अभियन्ता को प्रत्यक्ष रूप से घपले के लिये जिम्मेदार ठहराया तथा उन्हें अविलम्ब निलम्बित करने हेतु संस्तुति की ? यदि हां, तो उन्हें अब तक मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

1,000 बोरियों के बजाय 914 बोरियों का मामला जानकारी में आया। सम्बन्धित सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता के विरुद्ध दिये जाने वाले आरोप पत्रों पर छानबीन मुख्य अभियंता द्वारा की जा रही है।

फैजाबाद जिले के थिरुआ नाले का निर्माण

*6—श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फैजाबाद में थिरुआ नाला के बाढ़ व कटान से सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फैजाबाद का दिनांक 6 अप्रैल, 1978 का पत्रांक 3060/3-डी0 पी0सी0-थिरुआ-77-68, सचिव, राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को मिल गया है ? क्या यह सही है कि उक्त विषय में दिनांक 6 मई, 1978 को जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद ने एक रिमाइन्डर भी भेजा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा हो जायगा और इसे शीघ्र पूरा करने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां । जी हां ।

थिरुआ नाले से उत्पन्न बाढ़ व कटान को रोकने के लिए 9.08 लाख रु0 की एक योजना तैयार की गई है । नाले का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस वर्ष के अन्त तक 4 लाख रुपया व्यय किया जाना प्रस्तावित है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र 1978 के पहले बुधवार (6-12-78) को श्री सोहन वीर सिंह तोमर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 53 का संशोधित उत्तर]

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
53—क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नलकूप (पूर्व) (श्री आर0 एन0 टण्डन) ने 1976 में पद ग्रहण करने के बाद एन0 जी0 ई0 एफ0 की मोटरें क्रय करायीं ?	53—जी नहीं । श्री आर0 एन0 टण्डन द्वारा क्रय नहीं कराई गयीं ।

यदि हां, तो उनका अनुमानित मूल्य तथा क्रय संख्या क्या है ?

प्रश्न नहीं उठता ।

एन0 जी0 ई0 एफ0 की मोटरों की खरीद से मेसर्स अजीत एसोसियेटेड, बेगमपुल, मेरठ का क्या कोई सम्बन्ध है ?

इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

बलबीर सिंह,
सिंचाई मन्त्री ।

संशोधित उत्तर

जी नहीं । श्री आर0 एन0 टण्डन द्वारा क्रय नहीं कराई गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एन0 जी0 ई0 एफ0 की मोटरों के मेसर्स अजीत एसोसिएटेड, बेगमपुल, मेरठ, अधिकृत विक्रेता हैं ।

राजेन्द्र सिंह,
सिंचाई मन्त्री ।

[दिनांक 23 मई, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर विश्वविद्यालय में पुस्तकों की खरीद में बरती गयी अनियमितता की जांच की मांग

*1—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या उच्च शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 20 मार्च, 1979 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रतिनिधि मंडल गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाकर उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने की मांग को लेकर मिला था । क्या पुस्तकालय की पुस्तकों की खरीद में कुछ गम्भीर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगाया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ? क्या लखनऊ व प्रयाग विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटाने की भी मांग की गई है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हां । पुस्तकालय की पुस्तकों के खरीद में गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के भी आरोप हैं । इसकी जांच कराने पर विचार हो रहा है । लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपतियों को हटाने की मांग भी प्राप्त हुई है ।

*2—श्री बाबू लाल वर्मा—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यापकों की भूख हड़ताल

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि अपनी 13-सूत्री मांगों को लकर उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यापकों ने दिनांक 7 अप्रैल, 1979 को विधान भवन के सम्मुख अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल की ? यदि हां, तो मांगें क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा की जा रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हां ।

मांगों की सूची संलग्न है । इनमें से मांग संख्या 3 शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गई है । जहां तक मांग संख्या 4 का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश जू0 हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978 को 1 मई, 1979 से लाग कर दिया गया है । अन्य मांगे शासन के विचाराधीन हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 435 पर)

सचिवालय के कर्मचारियों के लिये मिट्टी के तेल की आपूर्ति की मांग

*4—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या आपूर्ति मन्त्री को जानकारी है कि सचिवालय के 95 प्रतिशत से अधिक कमचारी मिट्टी के तेल के अभाव में घोर कठिनाई झेल रहे हैं ? यदि हां, तो उनके लिये मिट्टी के तेल की आपूर्ति की विशेष व्यवस्था शीघ्र की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मलिखान सिंह—

वर्तमान में मिट्टी का तेल उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर दिया जा रहा है। अन्य उपभोक्ताओं की तरह, सचिवालय के कर्मचारियों के, जो नगर के विभिन्न भागों में रहते हैं, राशन कार्ड समीप के मिट्टी के तेल के फुटकर विक्रेताओं से सम्बद्ध कर दिये गये हैं, जहां से वे मिट्टी का तेल प्राप्त कर रहे हैं ।

हाथरस, कन्या दीक्षा विद्यालय की अध्यापिका कुमारी फूलवती का बकाया वेतन

*5—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद के हाथरस कन्या दीक्षा विद्यालय की अनेकों अध्यापिकाओं को माह फरवरी, 1979 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को तथा वेतन न देने के अलग-अलग क्या-क्या कारण हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी नहीं । केवल एक अध्यापिका, जिसका स्थानान्तरण माह फरवरी, 1979 में ही राजकीय कन्या दीक्षा विद्यालय हाथरस से दूसरी संस्था को हो गया था, का माह फरवरी का वेतन नहीं दिया गया है । प्रसंगत अध्यापिका कु0 फूलवती अग्रवाल ने संस्था के सामान का, जो उनके पास था, चार्ज नहीं दिया है ।

*6—श्री नरेश चन्द्र—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले के ग्राम हुसेनपुर सकरवारी का ट्यूबवेल

*7—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में लगा राजकीय नलकूप नं0 88 फरवरी, 1978 से बिगड़ा हुआ है जिस के फलस्वरूप उस नलकूप कमान्ड में आने वाले गांव हुसैनपुर, कोरा, पखनपुर तथा होरिलपुर में किसान भयकर कठिनाई का सामना सिचाई के अन्य साधन न होने के कारण कर रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त नलकूप कब तक बन जायेगा ? तथा उस क्षेत्र में सिचाई होने लगेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां । राजकीय नलकूप संख्या–88 दिनांक 27 मार्च, 78 से असफल घोषित हुआ था । इस नलकूप का मार्च, 1979 में पुनः छिद्रण हो चुका है और लगभग छः माह में सिचाई रत होने की आशा है ।

*8-20—[नियम 47 (1) के अतर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण रिक्त]।

*21—श्री बाबू लाल वर्मा—

[5 वें बुधवार के लिए स्थगित]।

किसान डिग्री कालज, बस्ती के पुस्तकालय की कथित लूट-पाट

*22—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि किसान डिग्री कालेज, बस्ती के पुस्तकालय में 8 जनवरी, 1977 को लूट-पाट की कोई घटना हुई थी ? क्या लूट-पाट की घटना के पीछे यू0 जी0 सी0 द्वारा प्रदत्त धनराशि एवं दूसरी धनराशि की अनियमितता को छिपाने के भी तथ्य प्रकाश में आए हैं और आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना की जांच कराकर तथ्य को प्रकाश में लाने एवं दोषी को दन्डित कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

मुमेक्ष भवन वेद वेदांग महाविद्यालय, अस्सी, वाराणसी की मान्यता

*23—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि आज से पांच दशक से भी अधिक समय पूर्व स्थापित मुमेक्ष भवन वेद वेदांग महाविद्यालय, अस्सी, वाराणसी को समस्त अर्हताओं के बावजूद ख-वर्ग की मान्यता प्राप्त न होने का क्या कारण है ? क्या प्राथमिकता के आधार पर उक्त संस्कृत महाविद्यालय को ख-वर्ग की मान्यता दे दी जायगी ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

राजाज्ञा संख्या-1/4 (1)/78-शिक्षा (3), दिनांक 31 मार्च, 1979 में इस संस्था को 'ख' वर्ग में वर्गीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में बहने वाली कतिपय नदियों पर नैपाल सरकार द्वारा बनाया गया बांध

1—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिले में बहने वाली घोघी, बानगंगा, बूढ़ी राप्ती आदि नदियों का पानी वर्ष 1978 में नेपाल के लोगों ने इनके उद्गमस्थल के आस-पास जो नेपाल में पड़ता है, बांध लिया है ? यदि हां, तो इन नदियों से सीचे जाने वाले क्षेत्र की सिंचाई की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

बानगंगा नदी को नैपाल सरकार ने लक्ष्मन घाट के पास बांध लिया है इसके अतिरिक्त बस्ती जिले में बहने वाली घोघी, बूढ़ी राप्ती तथा अन्य नदियों को नैपाल सरकार द्वारा बांधने की कोई सूचना नहीं है।

बानगंगा नहर प्रणाली पर अब भी खरीफ की सिंचाई में कोई कठिनाई नहीं होती है। रबी की सिंचाई प्रस्तावित क्षेत्र से बहुत अधिक हो रही है। अतः किसी व्यवस्था का प्रश्न अभी नहीं उठता है।

गोरखपुर जिले के घुघली के ईट भट्ठा मालिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री दुक्खी प्रसाद—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनता पार्टी घुघली (गोरखपुर) के एक कार्यकर्त्ता (श्री राम आश्रय जायसवाल) ने 1979 में एक शिकायती-पत्र भुअना विकास क्षेत्र घुघली के भट्ठा मालिक के विरुद्ध दिया है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मलिखान सिंह—

जी हां, जनता पार्टी, गोरखपुर के एक कार्यकर्त्ता श्री रामाश्रय प्रसाद जायसवाल ने फरवरी, 1979 में एक शिकायती-पत्र भुवना विकास क्षेत्र, घुघली, गोरखपुर के भट्ठा मालिक के विरुद्ध दिया था जिसमें अधिक मूल्य लेने ईटों का आकार छोटा होने, क्रेताओं को रसीद न देने तथा भट्ठे पर रेट सूची लगी न होने की शिकायतें थी। इसकी जिला प्रशासन द्वारा जांच करायी गयी। जांच में शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोपों में से केवल इस आरोप की पुष्टि हुई कि भट्ठा मालिक कैश-मेमो नहीं देता और ईटों में मिलावट करके बिक्री करता है। इन आरोपों के विरुद्ध भट्ठा मालिक का स्पष्टीकरण मांगा गया है और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

विश्वविद्यालयों की परीक्षा एवं परीक्षा फल

3—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों में 1978 की सभी कक्षाओं की परीक्षाएं समाप्त हो गयीं तथा सभी परीक्षा-फल घोषित कर दिए गए ? यदि नहीं, तो वर्ष 1978–79 का सत्र कब शुरू होगा ? क्या सरकार एक निश्चित समय पर 1979–80 का सत्र शुरू करने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

सभी राज्य विश्वविद्यालयों (लखनऊ विश्वविद्यालय की एम0 ए0–I, लोक प्रशासन की परीक्षा को छोड़कर) सभी परीक्षायें समाप्त हो गई हैं।

कानपुर तथा रुहेलखंड विश्वविद्यालयों की एम0 एड0 तथा लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की एल–एल0 बी0 व एल–एल0 एम0 को छोड़कर शेष अन्य सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित हो गये हैं।

सभी विश्वविद्यालयों का 1978–79 का सत्र शुरू हो चुका है।

परीक्षा आदि के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है फिर भी शासन वर्ष 1979–80 के सत्र को शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में प्रयत्नशील है।

जालौन जिले के लिये स्वीकृत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल

4—श्री शंकर सिंह (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेगें कि वर्ष 1978–79 में प्रदेश में कितने प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की शासन ने स्वीकृति दी है ? तथा जनपद जालौन में इन स्कूलों में से कितने दिए गए हैं ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1978–79 में पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन 2170 प्राइमरी स्कूल और 1038 जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गई है, जिसमें से 7 प्राइमरी स्कूल और 15 जूनियर हाई स्कूल जनपद जालौन के लिये स्वीकृत किये गये हैं।

सिंचाई विभाग, मथुरा में बाढ़ के कारण खराब हुई सीमेंट की बोरियां

5—श्री हुकम चन्द तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 के नवम्बर में सिंचाई विभाग, मथुरा में कितनी सीमेंट की बोरियां बाढ़ के कारण खराब हो गयीं और उनका क्या मूल्य था ? यह किस अधिकारी की लापरवाही से हानि हुई ? इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

माह सितम्बर, 1978 में (माह नवम्बर 1978 में नहीं) मथुरा जिले में भीषण बाढ़ आयी थी, जिसके कारण ड्रेनेज मण्डल, मथुरा के अधीनस्थ खण्डों में कुल 3047 सीमेंट की बोरियां खराब हो गयीं जिनका मूल्य रु0 64,019.50 पैसे था।

चूंकि यह क्षति दैवी प्रकोप के कारण हुई थी। इसके लिए कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर जिले की पायडव नदी पर कस्बलपुर में पीपे के पुल की मांग

6—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि फतेहपुर जनपद व निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम भिराई रूसी, परसदेपुर, खरोली, खुमानखेड़ा व बिनुवा खेड़ा पायडव नदी के कारण क्षेत्र से अलग है और फतेहपुर पहुंचने के लिये इन ग्रामों से कोई नजदीकी व सीधा सम्बन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार रूसी ग्राम या कस्बलपुर ग्राम या मैसोली ग्राम के पास इस नदी पर केवल 60 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा पीपे का या स्थायी पुल बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक पुल बना दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिलोक चन्द्र—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

धनाभाव के कारण प्रश्नगत पुल का निर्माण अभी सम्भव नहीं है।

7—श्री जगन्नाथ सिंह—

[5वें बुधवार के लिए स्थगित।]

गोरखपुर विश्वविद्यालय के लैवकुली, स्वर्गीय श्री राम चन्द्र की बिधवा की नियुक्ति की मांग

8—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वर्गीय राम चन्द्र (लैव कुली गोरखपुर विश्वविद्यालय रसायन विभाग) की बिधवा का विश्वविद्यालय में नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र मार्च, 1978 में मिला था ? क्या मुख्य मन्त्री ने कार्यवाही हेतु सचिव, शिक्षा विभाग को मार्च, 1978 में ही निर्देश जारी कर किया था ? यदि हां, तो अब तक शिक्षा विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हां।

स्वर्गीय श्री राम चन्द्र की विधवा कुशल अथवा अर्द्ध कुशल श्रेणी की न होने के कारण नियमित नियुक्ति की पात्र नहीं थी। अकुशल श्रेणी के 101 पद सरप्लस घोषित हुए हैं। इसलिये इन पदों पर भी इनकी नियमित नियुक्ति सम्भव नहीं हो सकी। परन्तु इन्हें यदा कदा अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों की छुट्टी जाने से उपलब्ध रिक्तियां दी गयी थीं।

गोरखपुर जिले की गण्डक नहर में जलाभाव एवं सिंचाई शुल्क के माफी की मांग

9—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया गोरखपुर जिले में गण्डक नहर में दिसम्बर, 1978 में जलाभाव के कारण नहरी क्षेत्र की फसलों की समय से सिंचाई नहीं हो सकी? यदि हां, तो पानी न रहने का कारण क्या है? क्या इस सम्बन्ध में सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी? क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई शुल्क माफ करने पर विचार करेगी?

श्री राजेन्द्र सिंह—

गोरखपुर एवं देवरिया जनपद में पड़ने वाली नहरों में जलाभाव का आंशिक असर रहा। कुछ नहरों में पानी दिनांक 2-12-78 से बन्द हुआ व कुछ में 7-12-78 से बन्द हुआ। नहर पुनः दिनांक 27-12-78 से चली। 25 दिन नहर बिहार सरकार की ओर से नैपाल राज्य में सूरजपुरा पावर हाउस के निर्माण को पूरा करने हेतु बन्द रखी गयी।

सुरजपुरा पावर हाउस के निर्माण को एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला होने के कारण प्राथमिकता दी जानी थी। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है। सिंचाई शुल्क नार्दर्न इण्डिया कैनाल एवं ड्रेनेज ऐक्ट के नियमों के अनुसार ही लगाया जायगा। इसे माफ करने का प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर जिले के ग्राम कजाकपुर के नलकूप का विद्युत कनेक्शन

10—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खोराबाद ब्लाक, जिला गोरखपुर के कजाकपुर गाँव के पास वर्ष 1977-78 में सरकारी ट्यूबवेल लगाया गया है? यदि हाँ, तो इतने दिनों के बाद जनवरी, 1979 तक अभी ट्यूबवेल को बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया? कब तक कनेक्शन दे दिया जायगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हाँ। गोरखपुर जनपद के खोराबार ब्लाक में कजाकपुर ग्राम के निकट मार्च, 1978 में एक राजकीय नलकूप छिद्रित हुआ था। इस नलकूप को अब विद्युत् कनेक्शन मिल गया है।

चर गांवा, जिला गोरखपुर की प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक श्री लक्ष्मी नारायन त्रिपाठी की नियुक्ति

11—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लक्ष्मी नारायन त्रिपाठी, ग्राम मंगलपुर, गोरखपुर की नियुक्ति खुटहन ब्लाक चरगाँवा, जिला गोरखपुर के प्राइमरी पाठशाला पर सितम्बर, 1978 में की गयी? क्या इनका नाम बी0टी0सी0 की प्रशिक्षित सूची में है? क्या इन से पूर्व के अधिकाँश अभ्यर्थी अभी बकार हैं? यदि हाँ, तो यह नियुक्ति कैसे की गयी?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ। श्री त्रिपाठी की नियुक्ति वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत इन्द्रसना इण्टर कालेज, बालापार, गोरखपुर में की गयी थी। सेवा समाप्ति के फलस्वरूप पुनः वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इनकी नियुक्ति के आदेश किये जाने के पश्चात् प्रबन्धक द्वारा इन्हें कार्यभार नहीं ग्रहण कराया गया। अतः श्री त्रिपाठी की प्रार्थना पर इन्हें प्राइमरी स्कूल में नियुक्त किया गया।

जूनियर हाई स्कूल, बृजमनगंज, जिला गोरखपुर के प्रधानाध्यापक श्री हमीद अली का निलम्बन एवं बहाली

12—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि हमीद अली प्रधानध्यापक जू0 हाई स्कूल, बृजमनगंज, गोरखपुर जो निलम्बित थे, उन्हें वर्ष 1978 में बहाल कर दिया गया? क्या उनका निलम्बन पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी ने गबन के आरोप में किया था? यदि हाँ, तो इसकी जाँच किस अधिकारी ने की और क्या आख्या प्रस्तुत की?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जी हाँ, श्री हमीद अली, प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल, बृजमनगंज, गोरखपुर जो 26-12-77 से निलंबित थे, को 14-8-78 को बहाल कर दिया गया।

जी हाँ, भूतपूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर ने श्री हमिद अली को उनके द्वारा किये गये अनियमित कार्य, आदेशों की अवहेलना करने तथा विद्यालय के विभिन्न मदों में प्राप्त होने वाले शुल्क की धनराशि के गबन करने के आरोप में निलंबित किया था।

श्री हमीद अली के विरुद्ध आरोपों की जाँच उप विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर से कराई गई। उनकी जाँच आख्या दिनाँक 7-8-78 को एक प्रति उनकी संस्तुति दिनाँक 14-8-78 की एक प्रति† तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर के आदेश दिनाँक 14-8-78 की एक प्रति† सदन के पटल पर रख दी गयी है।

किसान डिग्री कालेज, बस्ती को पुस्तकों की खरीद हेतु दी गयी धनराशि

13—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतलायेगी कि किसान डिग्री कालेज, बस्ती के पुस्तकालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1978 में कुछ हजार धनराशि मिली थी? यदि हाँ, तो इस धनराशि से किस दुकान से पुस्तकें खरीदी गयीं? क्या खर्च धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस अनियमितता के विरुद्ध सम्बद्ध व्यक्तियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री शिवानन्द नौटियाल—

जी हाँ।

जिन दूकानों से पुस्तकें क्रय की गयी उनकी सूची संलग्न है। तत्कालीन प्राचार्य के निधन के कारण उपभोग प्रमाण पत्र नहीं भेजा जा सका है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही अपेक्षित कार्यवाही करने को सक्षम है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 436 पर)

गोरखपुर जिले के भैंसाबाजार-हरिहरपुर मार्ग का निर्माण

14—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायगी कि गोरखपुर जिले में भैंसा बाजार (वाया) हरिहरपुर माल्हनपार सड़क का निर्माण हो रहा है? यदि हाँ, तो यह सड़क अब तक कहाँ तक निर्मित हो चुकी है और कब तक पूरी बनकर तयार हो जायेगी? इस सड़क के निर्माण कार्य में बिलम्ब के क्या कारण हैं?

---

†छापी नहीं गयी।

श्री त्रिलोक चन्द्र--

जी नहीं। भसा बाजार से हरिहरपुर तक सड़क की लम्बाई 3 कि0 मी0 है और हरिहरपुर से माल्हनपार की लम्बाई 4 1/2 कि0 मी0 है, हरिहरपुर से माल्हनपार सड़क का कार्य किसी भी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। भैंसा-बाजार से हरिहरपुर मार्ग के पहले दो कि0मी0 प्रथम सतह लेपन तक स्वीकृत है और तीसरा कि0मी खड़ंज तक। यह समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है।

माह फरवरी, 1979 में तीसरे कि0 मी0 में मध्य सतह के एकत्रीकरण एवं कुटाई का कार्य स्वीकृत हुआ है। लगभग 500 मीटर लम्बाई में ईंट की गिट्टी का एकत्रीकरण पूर्ण हो चुका है और शेष भाग में एकत्रीकरण का कार्य प्रगति में है। आशा है कि मध्य सतह की कुटाई का कार्य इस वर्ष, वर्षा ऋतु में सम्पन्न हो जायेगा। स्वीकृत कार्य के निर्माण में कोई बिलम्ब नहीं हुआ है।

15--श्री रवीन्द्र सिंह--

[6ठे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोण्डा जिले की उतरौला नोटीफाइड एरिया के उतरौला-बलरामपुर मार्ग पर अनधिकृत मकान का निर्माण

16--श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोण्डा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नोटीफाइड एरिया, उतरौला, जिला गोण्डा में उतरौला-बलरामपुर राजकीय मार्ग पर कन्ट्रोल ऐक्ट के विरुद्ध कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर नए मकान बना लिए हैं जिससे आवागमन में अवरोध उत्पन्न हो गया है? यदि हाँ, तो बिना नक्शा पास कराए जिन-जिन व्यक्तियों ने मकान बनाए हैं, सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री त्रिलोक चन्द्र--

नोटीफाइड एरिया उतरौला जिला गोण्डा में उतरौला बलरामपुर राज्य मार्ग पर तीन व्यक्तियों ने बिना कलेक्टर, गोण्डा की स्वीकृति के मकान बना लिये थे उनके विरुद्ध परगनाधिकारी, उतरौला के न्यायालय में मुकदमे दायर किये जा चुके हैं जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

बहराइच जिले के बेसिक विद्यालयों के लिये टाट-पट्टी एवं फर्नीचर की खरीद

17--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शासन को जानकारी है कि बहराइच जिले के बेसिक विद्यालयों एवं पाठशालाओं में वर्ष 1978-79 में जो टाट-पट्टी, फर्नीचर दिये गये हैं वे घटिया किस्म तथा साइज में छोटे हैं? यदि हाँ, तो क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसकी जाँच कराकर सही जाँच रिपोर्ट सम्मानित सदन को देने की कृपा करेंगे और दोषी अधिकारी को दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी?

श्री कैलाश नाथ सिंह--

जी हाँ।

केवल टाट-पट्टियों के घटिया किस्म की और नाप में कम होने की शिकायत शासन की जानकारी में आई है।

सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् ने, जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच को क्रय की गई सामग्री की जाँच हेतु निर्देश दिये थे, उनकी आख्या की एक प्रति संलग्न है। आख्या के अनुसार कोई अधिकारी का दोष प्रकाश में नहीं आया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 437 पर)

प्राइमरी स्कूलों के लिये अनुपूरक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं तथा टाट-पट्टी की खरीद हेतु स्वीकृत धनराशि

18—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद) तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में चल रहे लगभग 62 हजार बेसिक प्राइमरी स्कूलों को सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली अनुपूरक पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीदारी न करने से जो 21 रुपये विद्यालय की दर से 1977–78 में जो (करीब 13 लाख रु0 की) बचत हुई है उसका उपयोग हुआ है ? यदि हाँ, तो उपरोक्त धनराशि में से कितनी धनराशि उपयोग की गयी है और कितनी बाकी है। बची हुई धनराशि को सरकार किस कार्य या कौन-सी सामग्री क्रय करने हेतु उपयोग में लाये जाने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1977–78 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में अनुपूरक पुस्तकएवं पत्रिकाओं की खरीद् के लिये रु0 21 प्रति स्कूल की दर से रु0 13,51,244 आवंटित किया गया था जिसमें से रु0 1,03,785 टाट-पट्टी के क्रय पर और रु0 7,93,392 अनुपूरक पुस्तकों के क्रय पर व्यय किया गया तथा रुपया 4,54,067 अनुपभुक्त रहा जो वर्ष के अन्त में 31–3–78 को लैप्स हो गया। अतः बची हुई धनराशि के उपभोग का प्रश्न नहीं उठता है।

16—श्री अठई राम तथा श्री राम अधार—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि सत्र 1977-78 में सरकार द्वारा रु0 50 प्रति जूनियर बेसिक स्कूल की दर से टाट-पट्टी खरीदने का प्राविधान पहले से ही था और 21 रु0 प्रति स्कूल की दर से जो पुस्तकें एवं पत्रिकाओं पर व्यय होना था सबकी टाट-पट्टी खरीद ली गयी है ? (जो लगभग 13 लाख रुपया होता है) इस प्रकार प्रदेश के लगभग 62 हजार जूनियर बेसिक स्कूलों में लगभग 31+13+44 लाख रुपए की टाट-पट्टी खरीदी गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? यह टाट-पट्टी कितने स्कूलों को सप्लाई की है और किन-किन फर्मों द्वारा की गयी है ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

वर्ष 1977–78 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों को 50 रु0 प्रति स्कूल की दर से और इस वर्ष खोले गये 3162 प्राइमरी स्कूलों को 400 रु0 प्रति स्कूल की दर से कुल रु0 41,43,200 टाट-पट्टी एवं काष्टोपकरण के क्रय हेतु और 21 रु0 प्रति स्कूल की दर से अनुपूरक पुस्तकें एवं पत्रिकाओं के क्रय हेतु रु0 13,51,244 आवंटित किया गया। इस प्रकार वर्ष 1977–78 में टाट-पट्टी एवं काष्ठोपकरण हेतु रु0 54,94,444 उपलब्ध कराया गया जिसमें से रु0 32,07,309 की टाट-पट्टी खरीदी गयी और 56,672 प्राइमरी स्कूलों में वितरित की गयी। विभिन्न जनपदों में जिन फर्मों से टाट-पट्टी खरीदी गयी उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

कोपाचीट तथा चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के खराब नलकूप

20—श्री राम गोबिन (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि कोपाचीट तथा चिलकहर विधान सभा क्षेत्र में अधिकतर सरकारी नलकूप मशीन, विद्युत् तथा नालियों की खराबी से बहुत समय से कार्यरत नहीं हैं ? यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या मन्त्री महोदय इस प्रकार के ट्यूबवेलों को ठीक कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

कोपाचीट तथा चिलकहर विधान सभा क्षेत्रों में चार-चार नलकूप यांत्रिक दोषों के कारण बन्द पड़े हैं। बन्द नलकूपों को शीघ्र चालू कराने की व्यवस्था की जा रही है।

बहराइच जिले के सिरसिया विकास खण्ड में नालों पर बांध बनाने की सिंचाई परियोजना

21—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री औसान सिंह (जिला इटावा), श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री बाबू लाल सरोज (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले के 19 ब्लाकों में हर ब्लाक में कितने जलाशय स्थायी हैं तथा उनका क्षेत्रफल कितना-कितना है? क्या सरकार इन बरसाती नालों पर चेक-डेम बनाकर नहरों में बदलने तथा जलाशयों का सुधार कर सिंचाई क लिए वर्षा का जल संभरण कर सिंचाई की स्थायी योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो योजना कब से लागू होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जनपद बहराइच के 19 ब्लाकों में से केवल सिरसिया ब्लाक में तीन जलाशय हैं जिनका क्षेत्रफल निम्नलिखित है—

क्रमांक	विकास खन्ड	जलाशय का नाम	डूब क्षेत्र (हक्टेयर में)
1	सिरसिया	रामपुर	373
2	सिरसिया	मोतीपुर	79
3	सिरसिया	बवघोघवा	113

बरसाती नालों पर चेकडेम (बन्धे) बनाकर नहरों में बदलने की कोई योजना नहीं है। रसिया ब्लाक के पांच नालों पर बांध बनाकर जलाशयों द्वारा सिंचाई करने के लिये परियोजना प्राक्कलन बनाये जा रहे हैं। परियोजना की प्राविधिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के बाद ही कार्य किया जाना सम्भव होगा।

गढ़वाल जिले में तिब्बत सीमा से मिले हुए क्षेत्र त्रियुगी नारायण के पास चीन द्वारा भूमिगत सुरंग बनाये जाने की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान गढ़वाल जिले के उस बीहड़, पहाड़ियों से घिरे उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जो तिब्बत सीमा से मिला हुआ है। इसी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण नामक पवित्र स्थान से 12 कि0 मी0 आगे कंकेड़ा के पास गुप्त तरीके से चीन द्वारा भूमिगत सुरंग भारत की सीमा में निर्माण किये जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। मान्यवर, यह स्थान अति दुर्गम अवश्य है, फिर भी इस क्षेत्र से वर्षों पूर्व भारत और तिब्बत से व्यापारिक मार्ग था।

मान्यवर, इस क्षेत्र में बराबर विदेशी लोग खुफिया बनकर जासूसी करते हैं। कुछ दिन पूर्व इसी क्षेत्र में घास काटती हुई भारतीय महिलाओं ने एक जासूस को पकड़ा था और उसे पुलिस के हवाले किया था। यह भी सूचना है कि उक्त जासूस ने महिलाओं के गिरिफ्त में आने से पूर्व अपने पास के अनेक कागजों को फाड़ दिया था। सुरंग के निर्माण का कार्य अभी जारी है। ऐसा भी समाचार है। मान्यवर, इस समय बर्फ पिघल गया है। रास्ता सुगम हो चुका है, हजारों यात्री उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे समय में

निर्माणाधीन सुरंग के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल है। मान्यवर, यह देश के सीमा सुरक्षा का प्रश्न है। इस मामले में मामूली लापरवाही देश के लिए घातक सिद्ध हो सकती ह।

अस्तु आपके माध्यम से मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को माननीय मुख्य मंत्री जी से इस संबंध में आवश्यक पग उठाने की मांग करता हूं। मुख्य मंत्री जी सदन में ह, यदि उनको इस दिशा में जानकारी हो तो वह अपनी रिपोर्ट वक्तव्य द्वारा देने का कष्ट करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

भारत सरकार की ओर से जासूसी के लिए क्या माननीय सदस्य वहां नियुक्त थे, जो उन्हें जानकारी है।

पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर के बन्द हो जाने से गन्ना किसानों के समक्ष कठिनाई के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, रिसीवर के नियंत्रण में चलने वाली पंजाब शुगर मिल, घुघली, जिला गोरखपुर, करीब एक सप्ताह से तथाकथित यांत्रिक कठिनाई का बहाना बनाकर बन्द कर दिया गया है। प्रशासकीय अधिकारियों ने शेष गन्ना को समीपवर्ती मिल कप्तानगंज (देवरिया) में पेरवान का निर्देश दिया है, लेकिन चलते समय मुझे कल यह सूचना मिली कि यह मिल भी बन्द होने वाली है। अनुमानतः एक लाख कुन्टल गन्ना खेतों में पड़ा ह। गन्ना किसानों में घोर असन्तोष व्याप्त है। माननीय गन्ना विकास मंत्री के इस आश्वासन के बाद भी क्षेत्र के गन्ना पेराई के बाद ही मिल बन्द होगी, यहां इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। अब तथाकथित कठिनाई भी दूर हो गई है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जानबूझकर घुघली मिल नहीं चलाई जा रही है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय मंत्री जी स मांग करता हूं कि वे मिल को तुरन्त चलवाने का आदेश दें, तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त प्रशासकीय कार्यवाही करें।

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं चाहता हूं कि तुरन्त इस पर वक्तव्य होकर कार्यवाही हो। गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है। आप तुरन्त मंत्री जी से आश्वासन दिलायें, जिससे मिल चालू हो जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

गन्ना विकास मंत्री जी इसको देखेंगे। यह तो उनका कर्त्तव्य है, जो करते हैं। उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मुख्य मंत्री जी मौजूद ह, आप उनका आश्वासन मुझे दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उन तक भज दिया जाएगा उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाएगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, बिना आश्वासन दिये, हम इस तरह से नहीं हटेंगे। . . . . (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

ओझा जी यह परिपाटी ठीक नहीं है। आपने इसे दिया, मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं.....

(व्यवधान)

मैंने कह दिया है वह विशेष ध्यान इस पर देंगे।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, आप आश्वासन दिलवा दें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

वहां लाखों रुपये का गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है। मंत्री जी रोज आश्वासन देते हैं, लेकिन

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री शारदा प्रसाद जायसवाल साथ-साथ बोलने लगे)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मैं माननीय मुख्य मंत्री से आश्वासन लेना चाहता हूं घुघली मिल में जब तक पूरा गन्ना नहीं पेरा जायगा तब तक बन्द नहीं की जायगी। तुरन्त आश्वासन दें। वह मिल रिसीवर में चलती है। सरकारी मिल है। आप आदेश दें।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था कर रहे हैं, शाम तक बतला देंगे। ओझा जी, यह तरीका ठीक नहीं है। नियम 301 का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं।

(सर्वश्री ओझा और जायसवाल सहित कई सदस्य एक साथ बोलने पर व्यवधान हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

ये स्पष्ट आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से आप जबरदस्ती आश्वासन चाहते हैं। यह तरीका तो ठीक नहीं है। मन्त्री जी इसकी शीघ्र व्यवस्था करेंगे गन्ना लेने के लिए। आप जबरदस्ती उनसे आश्वासन लेना चाहते हैं यह ठीक नहीं है।

(श्री त्रिवेनी सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। गन्ना करोड़ों क्विंटल खेतों में खड़ा है, चाहे पूर्वी जिले हों या पश्चिमी या मध्य उत्तर प्रदेश हो। कोई आश्वासन देने में क्या आपत्ति है कि गन्ना पेरा जायगा, फैक्टरियां बन्द नहीं रहेंगी। इसमें दिक्कत क्या है? सरकार को मौका मिल रहा है आश्वासन देने का। हम इसका समर्थन करते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में, माननीय गन्ना विकास मंत्री, कई जिले ऐसे होंगे जहां गन्ना खड़ा होगा, उसके बारे में एक वक्तव्य वह दे देंगे।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अगर माननीय मंत्री जी सदन में हों, आप मंत्री जी को निर्देश दें कि जो एक लाख टन गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है, आपके निर्देश से गन्ना फैक्टरी बन्दी नहीं होगी, जब तक घुघली क्षेत्र का पूरा गन्ना खतम नहीं हो जायगा, या तो आप निर्देश दें या तो सरकार इसका आश्वासन दे।

श्री उपाध्यक्ष—

गन्ना विकास मंत्री पहले यह आश्वासन दे चुके हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी का आश्वासन गलत है।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

श्रीमन्, आज बजट पेश है। लेकिन जिस प्रक्रिया से उत्तर चाहते हैं, यह अवश्य आपत्तिजनक है। नियम 301 में कोई वक्तव्य दे कर प्रत्येक वक्तव्य पर उसी समय सरकार से जबाव माँगना, यह कोई प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। यह आज बजट चल रहा है। बजट में इस पर कह सकते थे। उसका उत्तर समय पर दिया जा सकता था। लेकिन आज यह मेरा बजट है और इस में लोगों को बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और श्री शारदा प्रसाद जायसवाल के खड़े होने पर।)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, आप बैठ जाइये।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जोर-जोर से कुछ कहने लगे)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मिल बन्द कर दी गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़ना पड़ेगा। आप कृपया बैठिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मिल चलेगी या नहीं चलेगी? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन तो लीजिये। शायद वह कहने जा रहे हैं। यह बड़ी गलत बात है। आप सुन तो लीजिये, देखिए आगे कहते क्या हैं। गुस्से में आप क्यों हैं?

श्री बनारसी दास—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार श्री जायसवाल का जो व्यवहार है वह अत्यन्त आपत्तिजनक है और यह नियमों के विपरीत है। मैं कोई इस प्रकार से उत्तर, जिस प्रकार से वह उदंडता पूर्वक और नियमावली का उल्लंघन करके, चीत्कार करके चाहते हैं, यह कोई तरीका नहीं है। लेकिन श्रीमन् जैसा मैंने कहा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए।

*श्री बनारसी दास—

इस प्रकार मैं कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हूं। इस प्रकार बीच में बोलना नियमों के विपरीत है और उनका उल्लंघन करना है। मैं यह कह रहा था कि जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बजट है, जो माननीय सदस्य इस प्रकार उत्सुकता दिखला रहे हों, वह प्रश्न उठा सकते थे। मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का चीत्कार करना सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। उत्तर का एक तरीका है। पार साल भी गन्ना विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सारा गन्ना पेरा जायेगा और वह फैक्टरी चलती रही और जो गन्ना रह गया वह इस साल सबसे पहले लिया गया। उस गन्ने का सर्वेक्षण हुआ है और उस क्षेत्र के अन्दर जितना गन्ना है उसको पेरने की व्यवस्था की जायेगी और जितना पैसा बाकी था सरकार ने 20 करोड़ रुपया दिया और गन्ने की जो धनराशि बाकी है उसको दिलाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप मुझे सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया तो व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्न यह है कि मिल बन्द कर दी गयी है, वह मिल सरकार चला रही है। आश्वासन यह दिया गया कि गन्ना रहेगा नहीं लेकिन घुघली मिल बन्द कर दी गयी वहाँ पर एक लाख क्विन्टल गन्ना पड़ा हुआ है वह दूसरी जगह नहीं जा सकता है। वहाँपर जो मजदूर हैं वह तैयार हैं। एक लाख की चीनी प्रोसेस में पड़ी हुई है। अगर मिल नहीं चलेगी तो वह नष्ट हो जायेगी। माननीय मुख्य मंत्री जी आदेश दें कि पंजाब शुगर मिल जो बन्द कर दी गयी उसको तुरन्त चलावें और जब तक एक-एक गन्ना न पिर जाये तब तक उसको बन्द न किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी इसको देखें।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नेता सदन जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं और उन्हीं के दल का भी हूं, तो जो प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का है और वह नियम 301 के अन्तर्गत आ गया और उसके लिए केवल यह कहना कि बजट में कहा जाये ठीक नहीं होगा। काश्तकार परेशान है और फैक्टरी चलने की हालत में है तो गन्ना विकास मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद जो सबसे बड़े मुख्य मंत्री हैं जो इस पर अपना आश्वासन दे सकते हैं। तो इसमें उनको गुस्सा होने की क्या बात है। गन्ना मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया वह पूरा नहीं हुआ तो नेता से आश्वासन चाहते हैं जिससे बड़ी मदद मिलेगी। सरकारी अधिकारी पर उनका प्रभाव अधिक होगा। अगर मुख्य मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि जब तक गन्ना नहीं पिर जायेगा त तक मिल चलेगी तो इसमें कौन सी बात गुस्सा होने वाली है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, आप जानते हैं कि मैं नेता सदन का कितना आदर करता हूं। (हंसी) मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि इस सदन में किसी प्रकार का चीत्कार चाहे वह मधुर हो या विभत्स चीत्कार हो, नहीं होना चाहिए लेकिन अगर नेता सदन स्वयं चीत्कार के उत्तर में महा-चीत्कार करने लगेंगे तो क्या होगा? तो मैं आग्रह करूंगा कि भावनावश यदि कोई चीत्कार करे तो नेता सदन और हमें भी चीत्कार के उत्तर में चीत्कार नहीं करनी चाहिए। अब आगे जो माननीय राज मंगल पाँडेय जी ने बात उठायी मैंने भी पहले उसी सम्बन्ध में निवेदन किया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस ओर ध्यान दिया, यह उचित किया। अब प्रश्न केवल यह है कि बहुत सी मिलें बन्द होना शुरू हो गयी हैं। घुघली मिल रिसीवरशिप में है, यानी शासन के स्वयं नियंत्रण में है। मुझे मालूम हुआ कि 2-1 मिलें जैसे नादह मिल बन्द हो गयी ह। इसके अलावा घुघली की मिलें बन्द हो गयी है या बन्द होने जा रही है, मजदूर वापस नहीं लौटे हैं। अगर उसे दुबारा चलाने के आदेश दे देंगे तो यह उनके अनुकूल ही बात है।

*श्री बनारसी दास—

मान्यवर, मैंने स्वयं अभी आश्वासन दिया था। मेरा कहना यह नहीं था कि जब गन्ना विकास का बजट आयेगा तब होगा। आज सामान्य प्रशासन का बजट है। आज जो यह नियम 301 में प्रश्न किया गया है यह किसी भी समय मुझसे कह सकते थे जिसका उत्तर मैं अपने भाषण में शाम को कर सकता था। केवल इसलिए आपका ध्यान आकर्षित किया था कि माननीय जायसवाल जी को अगर इस सम्बन्ध में उत्तर दे दूंगा तो यह जो चीत्कार की प्रवृत्ति है उसको एक तरह से बढ़ावा देना होगा। सदन में उस ो ोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। उसके उत्तर में मैंने स्वयं कहा था कि गत वर्ष गन्ना विकास मंत्री ने आश्वासन दिया था कि सारा गन्ना पेरा जायगा और जो गन्ना उस वर्ष बाकी रह गया था उसके लिए भी आश्वासन दिया था कि फैक्टरियाँ सबसे पहले पुराने गन्ना पेरेंगी, फिर नया लेंगी। उस पर अमल भी किया गया था और मैंने जिस समय आपने निर्देश दिए थे उस समय भी कहा था कि गन्ना पेरने की व्यवस्था की जायगी। मैं यह भी देखूंगा कि घुघली मिल बन्द क्यों है और अगर कोई प्राविधिक कठिनाई मालूम हुयी उसके चलने में तो शेष गन्ना दूसरे जिलों से पिरवाया जायगा। सवाल यह है कि जो गन्ना काश्तकारों का खड़ा है उसके पेरने की व्यवस्था की जायगी। जहाँ तक कीमत का प्रश्न है पारसाल भी हमन 20 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार से लेकर दिया था। इस वर्ष भी जो गन्ने की कीमत बाकी है, यहाँ तक कि 2 रुपया प्रति क्विंटल इसमें सबसिडी देना भी शुरू किया। तो यह तो मैंने पहले भी कहा कि घुघली मिल क्यों बन्द हुयी है, इसे मैं देखूंगा।

ग्राम गंगरौली जिला गोंडा में श्री बाबादीन के घर पड़ी डकैती में उसकी बहिन को उठा ले जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में थाना उमरी बेगमगंज मौजा गंगरौली जिला गोंडा में पड़ी डकैती में डकैतों द्वारा बाबादीन की बहन को उठा ले जाने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेनी सिंह]

दिनांक 3-4 मई, 78 तो ग्राम गंगरौली थाना उमरी बेगमगंज, जिला गोंडा में श्री बाबादीन के यहां भीषण डकैती पड़ी। डकैत हजारों के जेवरात लूट ले गये साथ ही बाबादीन की बहन को भी उठा ले गये। उक्त लड़की की शादी 12 मई को तय थी। मुकामी पुलिस ने रिपोर्ट न लिखकर केवल लड़की उठा ले जाने की रिपोर्ट लिखी घटना के समय गश्त वाले दो सिपाही मय हथियार मौजूद थे। एक सिपाही भाग गया दूसरे को छर्रे लगे तथा सात ग्रामीणों को मुठभेड़ में छर्रे लगे जिससे वे घायल हो गये। नामजद रिपोर्ट होते हुये भी आज तक न तो डकैत ही पकड़े गये और न लड़की ही बरामद हो सकी। भ्रष्टाचार व्याप्त होने के कारण आये दिन कत्ल डकैती होती रहती है जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में भय एवं पुलिस की अकर्मण्यता से सनसनी फैली हुई है। अस्तु अविलम्बनीय लोक महत्व से इस निश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करता हूं कि थाना इन्चार्ज को हटाकर घटना की विवेचना करायी जावे तथा डकैतों को गिरफ्तार कर लड़की को डकैतों के चंगुल से छुड़ाया जाय ताकि सामान्य जनता में व्याप्त भय व असंतोष समाप्त हो सके।

आजमगढ़ जिले के थाना मधुवन, दोहरीघाट व अतरौलिया के थाना इन्चार्जों के विरुद्ध आरोपों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत थाना मधुवन व दोहरी घाट व अतरौलिया के थानाध्यक्षों के काले कारनामे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। थाना मधुवन के थानेदार को श्री गोबरी हरिजन ग्राम मित्तनपुर के बार-बार दरख्वास्त देने व रपट करने के बावजूद गुन्डों बदमाशों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके उनके मन को बढ़ाते रहे। फलस्वरूप उन्हीं गुन्डे बदमाशों ने 25-3-79 को उक्त गोबरी हरिजन की हत्या कर दी। ऐसी अनेकों घटनाएं चोरी डकैती की हुई हैं जिसमें मुलजिमानों को थाना इन्चार्ज बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। गोबरी के लड़के रामवचन की भी हत्या थाना इन्चार्ज मधुवन के इशारे पर होने वाली है।

चोर, डकैतों, गुन्डों से थाना इन्चार्ज की सांठ गांठ चल रही है जिसके फलस्वरूप श्री भीषमसिंह ग्राम बिशुनपुरा की हत्या गोली मारकर 1-5-79 को गुन्डों ने कर दी जिसमें दरोगा मृतक के परिवार एवं गवाहों को दबाव डाल कर मुकदमे को बिगाड़ने की कुचेष्टा कर रहे हैं और रपट में भी तथ्य को छिपाया है? थानाध्यक्ष दोहरी घाट श्री कान्त पांडेय के काले कारनामे को दैनिक देवल व दैनिक जागरण में वहीं के स्थानीय डा0 अशोक कुमार पत्रकार ने प्रकाशित किया जिससे रंज होकर पत्रकार अशोक कुमार को 19 फरवरी, 1979 को उनके डिस्पेन्सरी से पकड़कर थाने में लेकर बन्द किया। उनकी प्रतिष्ठा को समाज में गिराया है और गालियां देकर अपमानित किया तथा जान से मरवा कर लापता करने की धमकी दिया है जिसके बारे में 7-5-79 को श्री अशोक कुमार पत्रकार ने गृह मंत्री जी को आवेदन पत्र दिया है कि उन्हें हटाकर जनता एवं मेरे जानमाल की रक्षा की जाये, परन्तु वह थानेदार अब भी पड़ा है। उसी तरह राजकीय कम्पाउन्डर को भारी रकम लेकर थाना अतरौलिया के थानेदार रंगनाथ पांडेय ने कोयलसा बाजार से पकड़कर 4 बजे दिन में ले गये और रात में गोली मार दिया। सुमेर आदि हरिजन ग्राम गजवर पट्टी को धनी पार्टी से पैसा लेकर बेकसूर मारा पीटा, इतना ही नहीं हरिजनों पर हुये जुल्म चोरी डकैती को बराबर छिपाकर मुलजिमों से पैसा लेते हैं। उक्त तीनों थाना इन्चार्जों से जनता व जन प्रतिनिधियों को भारी खतरा पैदा हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में थाना मधुवन, थाना दोहरीघाट, थाना अतरौलिया के इन्चार्जों को तत्काल हटा के उन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सी0 आई0 डी0 के माध्यम से करायी जाय अन्यथा भले लोगों के मारे जाने से चोर डकैत गुन्डों को बढ़ावा मिलता रहेगा ।

शुगर फैक्टरी सरैया एवं सरदार नगर डिस्टिलरी गोरखपुर का गन्दा पानी फरेन नाले में गिराये जाने से क्षेत्र में बीमारियों के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं श्रीमती शारदा देवी की तरफ से पढ़ रहा हूं ।

(हंसी)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)---

मान्यवर, इन्होंने तो परिवर्तन वैसे ही कर लिया, निर्दलीय चुनकर आये थे, जनता पार्टी में चले गये । परिवर्तन तो इनका वैसे ही हो गया ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

जो अभी श्रीमती शारदा देवी की तरफ से श्री गुन्जेश्वर प्रसाद त्रिपाठी पढ़ने जा रहे हैं, उस पर दोनों के दस्तखत हैं ? तो उसमें चाहती हूं जहां पर लिखा है, वहां पर ये चाहता हूं पढ़ेंगे कि चाहती हूं पढ़ेंगे, मान्यवर ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह जो माननीय सदस्य पढ़ेंगे. वह अपने हिसाब से पढ़ेंगे । आप पढ़िये, आपस में बात न करिये ।

श्री गुन्जेश्वर (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुण्डेरा बाजार क्षेत्र में स्थित शुगर फैक्टरी सरैया लि0 एवं डिस्टिलरी सरदार नगर लि0 गोरखपुर जो श्री मजेठिया की है. के द्वारा जो गन्दा पानी फरैन नाले में डाला जाता है जिससे उस क्षेत्र में रहने वाले को नाना प्रकार की भयंकर महामारी आदमी एवं पशुओं तथा पानी के जीव जन्तुओं में फैल रही है । इससे कृषकों की (चैती) (बोरों) धान की फसल सूख गयी है उसके विषैले पानी से मछलियां मर रही हैं । उस गन्दे पानी को नाले से एक बोतल गन्दा पानी आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं इससे राष्ट्रीय क्षति एवं 10 मील की जनता प्रभावित हो रही है जिससे शासन के प्रति जनता में घोर असन्तोष व्याप्त है । अतः आप के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अविलम्ब नाले के जल को दूषित होने से बचायें तथा उक्त फैक्ट्री मिल मालिक एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कठोरतम कार्यवाही करने की कृपा करें । मान्यवर, पानी यहां पर मौजूद है ।

(श्री गुन्जेश्वर ने बोतल में भरा हुआ पानी दिखाया)

श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, जो डिस्टिलरी सरदार नगर जि0 गोरखपुर मजेठिया की है, उसका गन्दा पानी हमारे क्षेत्र में फैल कर बहता है, जिससे बीमारी फैलती है । उस पानी से फसलें बरबाद हो जाती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह पढ़ा जा चुका है। आप बैठिये। वह आपका आ चुका है।

श्री गुन्जेश्वर—

(शीशी में पानी दिखाते हुए) यह पानी है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

यह पानी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भेज दीजिये। यहां लाने की आवश्यकता नहीं है।

अमरीकी लेखक श्री जे० डी० बेरीमान द्वारा लिखित पुस्तक "हिन्दूज आफ हिमालयाज" में पर्वतीय समाज के चरित्र पर आक्षेप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, अत्यन्त खेद का विषय है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपने प्रथम दीक्षान्त समारोह में जो इसी माह श्रीनगर (गढ़वाल) में सम्पन्न हुआ, "हिन्दूज आफ हिमालयाज" नाम जैसी पुस्तक के अमरीकी लेखक श्री जी0 डी0 बेरीमान को विश्वविद्यालय की मानद उपाधि से विभूषित किया है। यह पुस्तक अमरिका की कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय प्रेस से प्रकाशित हुई है जिस विश्वविद्यालय से उपरोक्त व्यक्ति का संबंध है। पुस्तक को पढ़ने से विदित होता है कि लेखक को हिन्दू संस्कृति और हिमालय के विभिन्न अंचलों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यताओं का कतई कोई ज्ञान नहीं है। अपने अमरीकी पाठकों के सस्ते मनोरंजन और भारत विरोधी प्रचार के उद्देश्य से उसने जानबूझकर हिमालय के अंचल की सभ्यता व संस्कृति को अत्यन्त विकृत रूप में पेश कर पूरे देश और विशेषतया पर्वतीय समाज को लांछित किया है पुस्तक के उद्धरण संलग्न है जिनका सारांश इस प्रकार है:—

"मैदानी लोग पहाड़ियों को आध्यात्मिक, नैतिक व सांस्कृतिक रूप में तुच्छ समझते हैं। वे काले जादू, टोना टोटका करते हैं। पहाड़ी लोगों में यौन सम्बन्धी स्वच्छेदता है। एक भाई को दूसरे भाई की पत्नी के साथ यौन संबंध में अधिकार प्राप्त है। मेलों में योनाचार ही मुख्य गतिविधि होती है। केवल मिठाई का प्रलोभन देकर पहाड़ी औरतों को यौनाचार के लिये सहमत कराया जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ ही वेश्याओं का श्रोत है। जंगल में यदि एक मर्द और औरत दिखाई दें तो यह निश्चित है कि उनके बीच यौन संबंध है आदि-आदि।"

स्वयं उपरोक्त लेखक ने माना है कि उसका यह निष्कर्ष केवल देहरादून के भटबेड़ क्षेत्र के एक छोटे से गांव के सर्वेक्षण पर आधारित है जिसे उसने पूरे हिमालय के हिन्दुओं की सभ्यता के रूप में प्रचारित किया है। विश्वविद्यालय द्वारा उस व्यक्ति को सम्मानित करने पर पर्वतीय क्षेत्र के सम्पूर्ण बुद्धजीवियों में रोष है।

यह सर्वत्र चर्चित है कि यह उपाधि देकर इस व्यक्ति को कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय के साथ सहयोग के नाम पर गढ़वाल विश्वविद्यालय का विजिटिंग प्रोफेसर बनाया जा रहा है।

यह स्मरणीय है कि इस व्यक्ति का उपरोक्त तथाकथित शोध कार्य फोर्ड फाउन्डेशन की वित्तीय सहायता से किया गया है जिसका संबंध सी0 आई0 ए0 से है। विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यदि ऐसे व्यक्ति को गढ़वाल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत सीमान्त क्षेत्र की जनजातियों के बीच शोध के नाम पर प्रवेश करने का अवसर दिया गया तो इस नाजुक क्षेत्र में सीमा सुरक्षा की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। नन्दा देवी का एटैमिक संयंत्र का उदाहरण हमारे सामने है जिसकी स्थापना पर्वतारोहण की आड़ में की गई थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अमरीकी लेखक श्री जी0 डी0 बेरीमान द्वारा लिखित पुस्तक "हिन्दूज आफ हिमालयाज" में पर्वतीय समाज के चरित्र पर आक्षेप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

अतएव हम इस मान्य सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करते हैं और मांग करते हैं कि इस संबंध में सरकार अविलम्ब कोई वक्तव्य सदन में दे ।

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें वक्तव्य आप अवश्य दिलवा दें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

यह इतना गम्भीर विषय है जिस ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई 2-4 दिन में वक्तव्य आ जाये तो ज्यादा उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें उत्तर प्रदेश शासन का जितना ताल्लुक है नियम 301 में दी गई सूचना का उस संबंध में मंत्री जी माननीय सदस्य को जानकारी दे दें ।

श्री रियासत हुसैन---

यह प्रश्न ऐसा है जो बहुत ही गम्भीर है । सारे प्रदेश का है । 2, 4, 6 दिन में जब भी समय हो, माननीय मुख्य मंत्री अगर इससे अवगत करा दें तो अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

मुख्य मंत्री जितने हिस्से का उत्तर देना उचित समझेंगे, दे देंगे ।

टाण्डा जनपद फैजाबाद में बुनकरों की बदहाली एवं बेरोजगारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अब्दुल हफीज (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान तहसील टाण्डा जनपद, फैजाबाद के बुनकरों की बदहाली एवं बेरोजगारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । टाण्डा जो एक मात्र हैण्डलूम कपड़ों का केन्द्र है वहां के बुनकर स्टेपिल यार्न द्वारा कपड़ा बुनते हैं । उनके रोजगार के लिए स्टेपिल ही कच्चा माल है । टाण्डा में लगभग 400 गांठ स्टेपिल मालयिती 80 हजार की प्रतिदिन खपत है । इसी उद्योग से एक लाख जनता पलती है । परन्तु उक्त उद्योग इस कारण दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है कि स्टेपिल का दाम मनमाने तौर से बढ़ाये जा रहे हैं। फलस्वरूप टाण्डा का बुनकर विवश होकर कच्चे माल से कम दाम पर तैयार माल बेचते हैं । गरीब मजदूर 75 प्रतिशत बुनकर भुखमरी का शिकार हैं । पावरलूम के कारखाने स्टेपिल की बढ़ती हुई महंगाई से बंद होते जा रहे हैं जिससे जनता में असंतोष है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त लोक महत्व की सूचना पर ध्यान देकर स्टेपिल यार्न के भाव पर नियंत्रण करने की व्यवस्था की जाय और अकबरपुर स्पीनिंग मिल से निकले हुए कच्चे माल स्टेपिल यार्न की सेल डिपो खोलवा कर बुनकरों में सीधे कम दाम पर वितरण किया जाये ।

हमीरपुर जनपद के कतिपय ग्रामों में अग्निकांड एवं सहायता की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमीरपुर जनपद के हजारों आग से पीड़ित कृषक परिवारों को आर्थिक व अन्य सहायता दिलाने के लिये अविलम्बनीय इस लोकहित के विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ओंकार नाथ—]

मान्यवर, पिछले करीब 2 माह के अन्दर हमीरपुर जनपद के इंगोहटा, कैथी, बांकी, सिमनौड़ी, बरम्हा डेरा, पचखुर, बुजुर्ग, अरतरा आदि अनेक गांवों में भीषण आग लगी और हजारों काश्तकारों की फसल, गृहस्थी आदि जल कर स्वाहा हो गयी, कुछ तो कतई बरबाद हो गये हैं। इन्हें शासन द्वारा उपेक्षित कर अब तक पर्याप्त सहायता नहीं की गयी उल्टे जबरिया लगान आदि भी वसूल किया जा रहा है। इंगोहटा में हरिजनों के मुहल्ले के करीब 25 घर स्वाहा हो गये। केवल 125 रु0 प्रति घर सहायता से ही कार्य की इतिश्री कर्मचारियों ने कर दी। बाकी आदि में कुछ राहत नहीं दी गयी। ये आग से उजड़े हजारों परिवार कातर दृष्टि से नियति की बिडबंना को कोसते हुये ललचाई नजरों से सहायता की आशा से शासन की ओर देख रहे हैं उस पर भी उनसे जबरिया लगान की वसूली अन्याय है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जिले के सभी अग्नि पीड़ित कृषकों की अविलम्ब लिस्ट बनाकर उनके नुकसान का सही निर्धारण कर अधिक से अधिक सहायता, कम से कम 1000 रुपये प्रति व्यक्ति एवं बीज, राशन, वस्त्र आदि की भी सहायता की जाय व उनसे राजकीय देयों की वसूली न की जाय।

मथुरा जिले में यमुना नदी के पार किसानों के लिये गन्ना मिल की स्थापना की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मथुरा जिले में गन्ना की खेती बहुत ही सघन होती है। छाता में जो गन्ना मिल है वह यमुना नदी के पास का अर्थात् मांट व सादाबाद तहसील का गन्ना लेने में बिल्कुल असमर्थ है। अतः मथुरा जिले में यमुना नदी के पार मांट व सादाबाद तहसील जो गन्ना का भारी केन्द्र है, इस दृष्टिकोण से मांट तहसील में स्थान मांट, हैटी गांव, सुरीर, मोहब्बील, बागनी उपरोक्त स्थान जो पक्की सड़क के सहारे हैं शासन को जहां भी सुविधा हो वहां गन्ना मिल तत्काल बनायी जाय।

बनारस में संसद सदस्य श्री अर्जुन सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, दिनांक 22-5-79 को जनपद वाराणसी में जनता पार्टी के संसद सदस्य श्री अर्जुन सिंह भदौरिया सहित 42 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिससे वाराणसी में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और बनारस शहर के प्रमुख चौराहे पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी किया गया।

दिनांक 22-5-79 को संसद सदस्य श्री अर्जुन सिंह भदौरिया प्रातः 6 बजे के करीब नयी दिल्ली से आने वाली डिलक्स ट्रेन से मुगलसराय पहुंचे। गाड़ी से उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद करीब 9 बजे लहुरावीर चौराहे पर जनता पार्टी के सदस्य श्री शिवनाथ मिश्र, राधे श्याम सिंह सहित युवा जनता के अनेक सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि 22 मई को शहीद दिवस के आयोजन को प्रतिबंधित करने हेतु शासन द्वारा यह कार्यवाही की गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सिलसिले में यह भी जानकारी मिली है कि 22 मई को वाराणसी में 4 संसद सदस्य सर्वश्री अर्जुन सिंह भदौरिया, रामानन्द तिवारी, शरद यादव एवं फिरंगी प्रसाद तथा उ० प्र० विधान सभा के सदस्य श्री हरिकेवल प्रसाद को वाराणसी प्रवेश पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी थी। जो कि मेरी राय में जनतांत्रिक मान्यताओं के सर्वथा प्रतिकूल है। सभी उपरोक्त नेता एवं जनता पार्टी के सदस्य आपातकाल में मीसा के तहत जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्षरत विभिन्न कारागारों में निरुद्ध थे। संसद सदस्यों एवं विधायकों का प्रवेश प्रतिबन्ध करना निश्चित तौर पर वाणी स्वतंत्रता का हनन है। मेरी निश्चित जानकारी है कि श्री अर्जुन सिंह भदौरिया अहिंसक एवं जनतांत्रिक तरीकों से संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता संग्राम की परम्परा के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। इस महत्वपूर्ण सूचना के जरिये शासन से यह अपेक्षा है कि अर्जुन सिंह भदौरिया सहित समस्त गिरफ्तार व्यक्तियों को तत्काल रिहा किया जाय।

(श्री राम नरेश यादव का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, कांग्रेसी शासन में जिन लोगों को गोली से भून दिया गया था, उन्हीं के सिलसिले में शहीद दिवस मनाने के लिये शासन की ओर से इजाजत नहीं दी गयी और जन प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री राम आसरे वर्मा--

पंजाब और हरियाणा में आग लगी हुयी है। इस बारे में मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

सलोन (रायबरेली) के एस० डी० एम० के पेशकार श्री राम प्रसाद मिश्र की हत्या के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राम प्रसाद मिश्र, पेशकार एस० डी० एम०, सलोन रायबरेली निवासी ग्राम शोरा गंगा गंज, थाना कोतवाली रायबरेली दिनांक 13-5-79 दिन रविवार को ग्राम शोरा से रायबरेली आने की तैयारी में थे जिनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती राम श्री देवी प्रधान गांव सभा शोरा भी थीं। करीब 5-30 बजे सांय परिवार कल्याण अस्पताल के समीप सड़क पर कुछ व्यक्तियों ने आकर घेर लिया और अपने देशी कट्टों से फायर करके गिरा दिया और घटना स्थल पर श्री राम प्रसाद मिश्र की तुरन्त मृत्यु हो गयी जिसकी नामजद रिपोर्ट कोतवाली पुलिस को कर दी गयी। अभी तक हत्यारों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिससे उसके परिवार वालों में और स्थानीय जनता में भय व्याप्त है।

आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस घटना की सख्ती से जांच कर हत्यारों को शीघ्र पकड़ा जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद जालौन के ग्राम छानी में अग्निकांड एवं सहायता की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री कौशल किशोर (जिला जालौन)—

जनपद जालौन की तहसील कोंच के ग्राम छानी में दिनांक 19 मई, 1979 को प्रातः लगभग 8 बजे एक आटा चक्की में आग लग जाने से ग्राम वासियों द्वारा प्रयास करने के बाद भी आग कच्चे घरों में लग गई। घास फूस से बने मकान जिनकी संख्या लगभग 140 है, जलकर राख हो गये। 100 से अधिक परिवार बेघरबार हो गये। कपड़े, बर्तन, अनाज सब कुछ जल कर भस्म हो गया।

शासन से अनुरोध है कि अविलम्ब अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जावे। क्योंकि कोंच तहसील के 315 गांव पूर्व से ही बाढ़ की चपेट से क्षतिग्रस्त थे। इस अग्निकांड से 100 परिवारों का जीवन संकट में है।

औचित्य का प्रश्न

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतपागढ़)—

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कुछ लिख कर सूचित नहीं किया है इसलिये आप बैठें।

श्री विद्या शंकर—

मान्यवर, अभी श्री शतरुद्र प्रकाश ने नियम 301 में पढ़ा है कि श्री हरिकेवल जी जो यहां बैठे हैं उनके आवागमन में इस प्रकार से जो प्रतिबन्ध लगाया गया है, यह कहां तक उचित है? इस पर मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

विविध विषय

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, ललितपुर जिले में देवगढ़ में मुख्य मंत्री जी ने भाषण दिया है लेकिन यहां की सूचना विभाग दिनांक 16-5-79 द्वारा उत्तर प्रदेश पाक्षिक में खबर देता है कि देवगढ़, जिला सीतापुर में यह भाषण मुख्य मंत्री ने दिया है। इस प्रकार की गलत खबरें सूचना विभाग दे रहा है। इसका फोटो भी छपा है जो कि मेरे पास है। इसलिये सूचना विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही मुख्य मंत्री जी करें।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह बिना इजाजत बोलना ठीक नहीं है, आप बैठें।

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें। कल भी मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

त्रिपाठी जी आप मेरे कक्ष में आ जायं और वहां बात कर लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं शतरुद्र प्रकाश की सूचना के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने लिख कर नहीं भेजा है, इसलिये आप बैठ जायं।

श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)—

मान्यवर, कल बिजली का बजट है। 48 घंटे पहले बिजली के संबंध में उनकी पुस्तिका बंट जानी चाहिये लेकिन वह अभी तक नहीं बंटी है। इसलिये विद्युत् मंत्री से कहा जाय कि वह पुस्तिका बंटवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि अभी पुस्तिका नहीं बंटी है। तो मंत्री जी उसको बंटवा दें।

श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा निषेधाज्ञा जारी किये जाने के सम्बंध में औचित्य का प्रश्न

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको पहले लिखकर भेज देना चाहिए था। आप किस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री अनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अभी सदन को सूचित किया गया कि श्री हरिकेवल प्रसाद के विरुद्ध जिला प्रशासन, वाराणसी ने एक निषेधाज्ञा जारी किया है। मैं जानना चाहूंगा कि जो माननीय विधान सभा के सदस्य हैं, अगर उनके विरुद्ध इस तरह से निषेधाज्ञा जारी होती है तो मीसा के राज्य में और जनता सरकार के राज्य में क्या फर्क है? मैं मौलिक अधिकारों और विचारों की स्वतंत्रता में विश्वास रखता हूं। श्री हरिकेवल प्रसाद वाराणसी गए नहीं, इन्होंनें कोई बयान नहीं दिया, इन्होंनें कोई एसी बात नहीं कही जिसस इनकें खिलाफ निषेधाज्ञा हो। मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में यह निषेधाज्ञा जारी की गई? व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिले के प्रशासनिक अधिकारी अगर किसी माननीय सदस्य को अपने जिले में आने से रोकते हैं तो उनके विरुद्ध मुख्य मंत्री जी कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अगर गोरखपुर के जिलाधिकारी मुझे गोरखपुर जिले में जाने से रोक दें तो आप इसके संबंध में क्या करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जो निर्णय दिया है, उसको आप चुनौती दे रहे हैं क्या?

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय शतरुद्र जी ने मेरे नाम की चर्चा की। जब मेरे नाम की चर्चा यहां पर हो गई तो मुझे नियमों के तहत औचित्व का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके खिलाफ कोई आरोप तो उन्होंने लगाया नहीं। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, जितने यहां पर माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, सबके अधिकारों के रक्षक एक तरीके से आप हैं। जो नियमावली है, उसके तहत हमारे अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी आप पर भी है। चूंकि मेरी लड़की की शादी 27 तारीख को है, मैं अपनी लड़की की शादी के कार्य में व्यस्त था और.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। जब आपको सदन के संज्ञान में कोई बात लानी हो तो आप पहले उसकी सूचना दे दिया करें। यदि आपके खिलाफ कोई आरोप होता तो मैं आपको अवसर देता।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मैं इस बारे में आपको लिख कर दे चुका हूं तब भी आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं। बनारस के अन्दर 22 मई को माननीय सदन के एक सदस्य के बनारस जाने पर रोक लगाना और जनता सांसद अर्जुन सिंह भदौरिया सहित 22 पुलिस परिषदीय नेताओं/कर्मचारियों को गिरफ्तार करना औचित्य से ही संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह शांति व्यवस्था का प्रश्न तो हो सकता है परन्तु औचित्य का प्रश्न नहीं है।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय शतरुद्र प्रकाश जी नियम 301 के अन्तर्गत माननीय सदन के संज्ञान में एक चीज लाए और वह पढ़कर सुनाया और उसके अन्दर श्री हरिकेवल प्रसाद का जिक्र आया। अब इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहिए कि जब हरिकेवल जी के बारे में एक चर्चा नियम 301 में आई जिसमें हरिकेबल प्रसाद जी को यह मालूम हुआ कि बनारस में उनकी एन्ट्री बैन की गई है डी0 एम0 द्वारा आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। क्या यह सही है कि डी0 एम0 ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि वे बनारस में दाखिल नहीं हो सकते हैं? जबकि हमारा कांस्टीट्यूशनल राइट है और सदन के सदस्य की हैसियत से भी राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं। माननीय हरिकेवल प्रसाद जी को इस पर इजाजत मिलनी चाहिए कि उनके ऊपर क्यों पाबन्दी लगाई गई है?

श्री उपाध्यक्ष—

जो रियासत हुसैन साहब ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, अगर हरिकेवल प्रसाद जी के ऊपर कोई आक्षेप किया गया होता तो उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता लेकिन इस तरह की कोई बात तो है नहीं। किस नियम के अन्तर्गत आप कह रहे हैं कि मुझे हरिकेवल प्रसाद जी को इजाजत देनी चाहिए?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हमारे अधिकारों पर नौकरशाही का इस प्रकार से हमला हो रहा है, इसकी रक्षा कैसे होगी? आज एक सदस्य के बनारस जाने पर बैन लगाया गया है, कल देवरिया में या गोरखपुर में लगाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसको सामान्य प्रशासन के बजट के ऊपर कह सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मैं नियम 290 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें लिखा है "प्रश्न अध्यक्ष के माध्यम से पूछे जायेंगे---जब चर्चा के बीच स्पष्टीकरण के लिये या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, किसी सदस्य को सभा के विचाराधीन किसी विषय पर किसी अन्य सदस्य से कोई प्रश्न पूंछना हो तो वह अध्यक्ष के माध्यम से प्रश्न पूंछेगे, मैंने यहां नियम 301 में सूचना दे दी और सदन के संज्ञान में वह बात आ गई। माननीय हरिकेवल प्रसाद जी को कोई जानकारी देनी हो या किसी तथ्यों से अवगत करना हो या कराना हो तो आपके मार्फत वे अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं, ले सकते हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के स्वाभिमान को ठेस लगती है। मुझे यह बताया गया है कि जून की किसी तारीख तक माननीय सदस्य के बनारस जाने पर रोक लगा दी गई है। अगर मुझको बनारस के किसी तथ्य की जानकारी करनी हो, घटना की जानकारी करनी हो जिसका संबंध विधान सभा की कार्यवाही से हो, और मुझे बनारस जाना हो और बनारस जाने पर रोक लगा दी जाए तो मुझे जो सदन में कर्त्तव्य का निर्वहन करना है, क्या मैं उसको कर पाऊंगा ? मैंने हमेशा विधायिका को कार्यपालिक से बड़ा समझा है। माननीय सदस्य को अगर कही भी जाने पर वगैर ठोस आधार के रोका जाएगा तो संसदीय लोकतंत्र की हत्या होगी, उसके मूल्यों में गिरावट आएगी। हमारे अधिकारों का संरक्षण आप करने वाले हैं मैं आप से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि आप श्री हरि केवल प्रसाद जी को स्पष्टीकरण आप के माध्यम से पूछने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह किसी दूसरे सदस्य से पूछना है क्या ?

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

नेगी जी, इसके बारे में कल लिख कर हमारे संज्ञान में लायें तब मैं इजाजत दूंगा नियमों के अन्तर्गत। आज इजाजत नहीं देता।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मान्यवर, कुछ परम्पराओं का प्रश्न है। सदन के संज्ञान में मामला आ गया है, आप के संज्ञान में आ गया है। माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य हैं उनके कर्त्तव्यों के पालन करने में बाधा डाली गयी है, कार्यपालिका की तरफ से। वहां एक घटना हो रही है बनारस के अन्दर, यहां सदन में चर्चा हो रही है, सदन के प्रत्येक सदस्य का यह अधिकार है कि मौके पर जा कर वस्तु स्थिति का अध्ययन करें। जो हमारे नियम हैं उनके अनुसार यहां पर अपने विचार सदस्यों ने प्रकट किये। सदन के संज्ञान में यह बात आयी है कि बनारस के जिलाधिकारी ने माननीय हरिकेवल प्रसाद को जून के किसी तारीख तक वहां जाने के निरुद्ध कर दिया है। अब जीरो आवर में इस प्रश्न को नहीं उठायेंगे आपके संरक्षण की मांग नहीं करेंगे तब और हम क्या कर सकते है। एक इमिडिएट प्रश्न है यह। आज ही यदि वह जाना चाहते हैं। इसकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री जी को होगी क्योंकि वहां के जिलाधिकारी को हिम्मत नहीं है कि.....

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कोई निषेधाज्ञा का उल्लंघन हुआ हो जो विधि द्वारा हो तब इस सदन को....

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

यह नहीं मान्यवर, निषेधाज्ञा के उल्लंघन का तो प्रश्न नहीं होता....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बारे में निर्णय दे चुका हूं, कल लिख कर इसके बारे में दे दें। आज इसकी इजाजत नहीं देते। लिख कर दे देंगे तब विचार करूंगा। आज नहीं।

श्री हरिकेवल प्रसाद---

मान्यवर, आपके माध्यम से, आपकी आज्ञा से, माननीय मुख्य मंत्री जी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसा अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने सवाल छेड़ा था। मैं सारे तथ्य तो नहीं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष --

आप प्रश्न पूछिये.....

श्री हरिकेवल प्रसाद---

एक औचित्य का सवाल मै पूछना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

अगर उसी संबंध में है तो मैं अंतिम निर्णय दे चुका हूं.....

श्री हरिकेवल प्रसाद---

आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि मेरी लड़की की शादी 27 तारीख को है। सारे अधिकारी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप वाराणसी कैसे जा रहे हैं। मुझे जानकारी भेज दी गयी है कि 15 जून तक हम वाराणसी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। जब लड़की की शादी के लिए सामान खरीदने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और जनता पार्टी का शासन.....

श्री उपाध्यक्ष---

श्री हरिकेवल प्रसाद मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। आप को नहीं बोलना चाहिए। आप कृपया बैठें। (उनके न बैठने पर) दो मरतबा कहने के बावजूद आपने आसन ग्रहण नहीं किया। यह मुनासिब बात नहीं है। कल इसके बारे में लिख कर दे दें। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। कल हमारे संज्ञान में इसे ले आयें तब उसके ऊपर विचार कर लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

श्रीमन्, जहां तक मुझे जानकारी दी गयी है हमारे सदस्य माननीय सेठी जी ने इसी विषय पर एक काम रोको प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष---

वह समय के अन्दर नहीं आया। वह विचारार्थ स्वीकार नहीं हुआ क्योंकि वह 10 बजे तक न आ कर 10 बजकर 7 मिनट पर आया, इसलिये उसे अस्वीकार कर दिया।

*श्री नारायण दत्त तिवारी---

जितनी परिसर में घड़ियां हैं उन सबका टाइम पहले तो एक करवा दीजिये क्यों कि किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। अब जहां तक अनुशासन बनाये रखने की बात है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अनुशासन बना रहे। किस ढंग से बनाया जाय यह बड़ा नाजुक प्रश्न है। यहां दो अलग-अलग प्रश्न हैं। एक तो यह है कि पुलिस की मांगों को स्वीकार किया जाय। जैसे कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि उनमें कुछ कमियां रह गयी हैं जैसे छुट्टियां कट गयीं। सब इन्सपेक्टरों को कुछ और देना बाकी है यह अलग बात है कि अनुशासन बना रहे ताकि पुलिस फोर्स में कोई अशान्ति न हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

कटौती का प्रस्ताव आपने पेश किया है। जब आप उसका जवाब देंगे तब आपको मौका मिलेगा। उस समय आप उस पर कह लीजियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

अर्जुन सिंह भदौरिया तथा अन्य लोगों से मुख्य मंत्री जी को बातचीत करनी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष--

इस बारे में जब आप उत्तर देंगे तो कह लीजियेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

भदौरिया जी छोड़ दिये जायं और पाबन्दियां हटा ली जायं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने इसकी इजाजत नहीं दी है।

(श्री हरि केवल प्रसाद के खड़े होने पर)

आप बैठें।

*श्री हरिकेवल प्रसाद--

मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी नागरिकता छीन ली गयी है और एक जगह जाने पर रोक लगा दी गयी है। यह जनतांत्रिक प्रणाली पर कुठाराघात किया गया है, हमारे अधिकार को वाराणसी में जाने के लिये खत्म किया गया है। यह तो बतलाया जाय कि मैं कब वाराणसी जा सकता हूं ?

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

साधारणतया सदन को कोई जानकारी मिल सके इसके लिये आवश्यक है कि पूर्व सूचना सरकार को हो। श्री हरिकेवल प्रसाद से कोई सूचना मुझे नहीं प्राप्त हुई है। नियम 301 के बारे में आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहले विनिश्चय हो चुका है कि आपके निर्देश के मुताबिक कभी इस पर वक्तव्य हो जाता है या कभी सूचना सदस्यों को दी जाती है। इसमें सदन का समय रोज ही लगता है जैसे औचित्य का प्रश्न है। औचित्य का प्रश्न जो श्री ओझा ने उठाया वह इस नियमावली के अनुसार नहीं है। औचित्य के प्रश्नों में लिखा है प्रवर्तन या निर्वचन के बारे में आज्ञा दें जब हमारे सामने विशेष विषय विचाराधीन हों उसके बारे में कहा जा सकता है। प्रत्येक बात को औचित्य का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता है। मैं आपसे कहूंगा अगर यहाँ कार्यवाही नियमों के अनुसार नहीं होगी तो इससे जो सदन का उपयोगी कार्य है वह नहीं हो सकेगा। जैसे आज जो प्रश्न उठाया गया है और सामान्य बजट पर बहस हो रही है कल 22 तारीख को क्या निषेधाज्ञा हुई, कोई भी सदस्य इसको अपने व्याख्यान में रख सकता था। आज 3/4 बजे मुझे इसका उत्तर देना है। मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उत्तर दे सकता हूं। लेकिन ओझा जी ने जो समय लिया वह ठीक नहीं है। आखिर बजट किस लिये है। उसके तहत बोल सकते थे। इस समय में तो सदन के 3/4 सदस्य बोल सकते थे। इस तरह से बोलने से वे दूसरे सदस्यों के अधिकार जो हैं उनको बोलने से उन्हें प्रायः वंचित करना चाहते हैं। इसलिये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नियमों के विरुद्ध प्रश्न है, उनको आप उठाने की इजाजत न दें जबकि उसके लिये अन्य अवसर मौजूद है। यह श्री ओझा को अधिकार नहीं है कि सारे सदन को रोक करके रेंशम डिमान्ड करें और सदन के अन्य सदस्यों को बोलने से वंचित करना चाहते हैं। आज सामान्य बजट है, मैं उत्तर दे सकता हूं नियम 301 है..... (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

श्री हरिकेवल प्रसाद—

चूंकि मुझे यह नहीं बताया गया कि मैं कब वाराणसी जा सकता हूं इसलिये मैं 10 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री विद्याशंकर तथा श्री शतरुद्र प्रकाश सदन त्याग कर चले गये ।)

वित (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 मई, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 दो–4204/दस–6 (23)—77 यू0 पी0 ऐक्ट 15–48–आदेश–79, दिनांक 1 मई, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 मई, 1979 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0–दो–5205/दस–6 (23)—77 यू0 पी0 ऐक्ट 15–48–आदेश–79, दिनांक 1 मई, 1979 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना†

परिवहन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग–4 की अधिसूचना संख्या 16–टी/तीस 4–50 पी0–68, दिनांक 3 फरवरी, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (बीसवां संशोधन) नियमावली, 1979 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के (कार्यकलापों के संबंध में) चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1977–78)†

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के सम्बन्ध में चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1977–78) को शासनादेश संख्या ए–3001/25–सी0एक्स0(ए)–64, दिनांक 8 जुलाई, 1964 के पैरा 4 (च) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट—[× × × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के अदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापी नहीं गयी ।

स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

अब मैं विशेषाधिकार की सूचनायें ले रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा ने 21 मई, 1979 को माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 9 मई, 1979 को नियम 301 के अन्तर्गत माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से एक विषय सदन के संज्ञान में लाये थे किन्तु उसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री से वस्तुस्थिति की जानकारी माँगी । माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने सूचित किया है कि उन्होंने 18 मई, 1979 के पत्र द्वारा माननीय सदस्य को उत्तर भेज दिया था । माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने अपने उक्त पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न करके मेरे पास भेजी है । सम्भवतः यह पत्र अब तक माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को मिल गया होगा ।

अतः मैं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा अभिसूचित प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष 1979–80 के आय-व्ययक पर चर्चा । कल मैंने श्री औसान सिंह को बुलाया था । वह अपना भाषण जारी करें....

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा । अभी मन्जूर साहब दो तीन बार बैठे-बैठे ऊंची आवाज में कुछ न कुछ कहते रहे हैं । आपने कल निर्णय दिया कि दीर्घाओं में दर्शक लोग बैठ कर हमारे आचरण को देखते हैं । आपने आदेश दिया कि हमारा आचरण संयत हो । हम लगातार देख रहे हैं कि वे कुछ न कुछ बैठे-बैठे आवाज करते रहते हैं । मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो बड़े गंभीर रहते हैं और पुराने सदस्य हैं से भी आग्रह करूंगा कि वह इस पर विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्जूर साहब आपको इस तरह की कोई बात नहीं कहनी चाहिये जिससे दूसरे माननीय सदस्यों को ठेस पहुंचे ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मैंने क्या कहा ? माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी पार्टी के सदस्य को बनारस जाने से रोक रहे हैं तो वह उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ क्या व्यवहार करेंगे और क्या उनका उदाहरण होगा ? मैंने यह कहा कि उनका यह ऐक्शन जियाउल हक से कम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात कहना जिससे दूसरे माननीय सदस्यों को ठेस पहुंचे यह नामुनासिब है ।

1979–80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम (क्रमागत)†

श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य प्रशासन के बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, आज प्रदेश में ला-एण्ड-आर्डर की स्थिति बहुत ही भयानक है, बनारस में क्या काँड हो रहे हैं? आखिर हमने विचार किया कि यह सब क्यों हो रहे हैं? आज की स्थिति यह है कि पुलिस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। यह सब क्यों हो रहा है? एक-एक पुलिस कप्तान के यहाँ 20-20 कानिस्टेबिल रात दिन खुशामद में लगे रहते है, बंगलों की रखवाली करते हैं, बेगार करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, फसल पैदा करते हैं, गेहूं बोते हैं। एक प्रकार से उनसे दास्ता कराई जाती है। सरकारी पैसे से उनसे गुलामी कराई जाती है। इसी तरह से हर जिला मैजिस्ट्रेट के यहाँ 20सों चपरासी काम कर रहे हैं। हर तहसील से दो-दो चपरासी लगे हुये हैं। तनखाह उनको तहसील से मिलती है काम कलेक्टर के यहाँ करते हैं। आखिर यह स्थिति कब तक चलेगी? यह जो पुलिस में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करें। एक ग़रीब सिपाही 135 और 150 रु0 में अपने जीवन को बेच रहा है उनसे सरकारी काम कराया जाय।

संविद सरकार में चौधरी चरण सिंह ने आदेश दिये थे कि कोई भी चपरासी, कोई भी कानिस्टेबिल या कोई भी चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी किसी अधिकारी के घर पर काम करने के लिए नहीं जायेगा। लेकिन मान्यवर, आज स्थिति यह है कि वह सरकार की ओर से तनखाह पाता है और अधिकारियों का प्राइवेट कार्य करता है। आज पुलिस प्रशासन इस तरह से निष्क्रिय हो गया है, अक्षम हो गया है। वह कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। मान्यवर, ए0 एस0 आई0 जो हैड कानिस्टेबिल से प्रोमोट किये गये हैं जो 10, 20 साल तक थानों में बैठे रहे और पैसा लेकर रिपोर्ट लिखते रहे जब वह ए0 एस0 आई0 बना दिये गये तो अब उनको साइकिल चलानी नहीं आती, पैदल वह चल नहीं सकते क्योंकि उनकी आदत नहीं रही चलने की। दो-दो रुपये लेकर रिपोर्ट लिखते रहे वैसे ही आज दो-दो रु0 लेकर पुलिस की इमेज खराब कर रहे हैं।

मान्यवर, इतना ही नहीं, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिये और किसी दबाव में आकर कोई काम नहीं करना चाहिये, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दबाव उन पर माननीय मंत्रियों का है। ये लोग थाने और तहसील की राजनीति करते हैं, लेखपालों के कार्यों में दखल देते हैं। बड़े अधिकारियों के कार्यों में तो दखल देना अलग बात है। हम यहाँ तक देखते हैं कि जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और जिला मैजिस्ट्रेटों से यह कहते हैं कि आप अमुक काम करेंगे और अमुक नहीं करेंगे, आप फलाँ विधायक की बात मानेंगे और फलाँ की नहीं मानेंगे। तो जब मंत्री लोग ऐसा करेंगे और निम्न स्तर का हस्तक्षेप करेंगे, तो विधायकों का क्या कहना। इसके कारण आज विधायकों की जितनी दुरूह स्थिति है, उतनी पिछले 30 सालों में कभी नहीं रही।

---

†दिनांक 22 मई, 1979 की कार्यवाही से।

संख्या 3––मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18––सचिवालय, अनुदान संख्या 19––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38––विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45––सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख––गृह पुलिस विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112––प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

विधायकों के साथ जैसा नम्बर–दो का व्यवहार किया जाता है और उनको निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। इस मामले में जनता शासन कांग्रेस से बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंच गया है। इस संबंध में मैं अपने यहाँ की बात बताना चाहता हूं। जिला अधिकारी मि0 बी0 के0 दीवान थे, जिनका अपराध केवल यह था कि वह किसी को खुश नहीं कर सके, निष्पक्ष थे, इसलिए उनका ट्रांसफर वहाँ से कर दिया गया और दूसरे जिला मैजिस्ट्रेट को लाया गया और उसे इसलिए लाया गया कि जैसा हम कहें वैसा वह करे।

इसी तरह से एक ए0 डी0 सी0 ओ0 थे, बहुत ही ईमानदार अधिकारी थे। कोआपरेटिव में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार के बावजूद उस अधिकारी ने गत वर्ष 65 परसेंट बसूली करके दी थी और इस वर्ष भी वसूली में उसका सबसे पहले नम्बर था। लेकिन चूंकि उसने 50 लोगों के खिलाफ 409 में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई थी, उन लोगों ने सरकार से एप्रोच की और उसका ट्रांसफर पिथौरागढ़ करा दिया गया। ऐसी स्थिति में कैसे कोई अफसर ईमानदारी और निष्पक्षतापूर्वक अपना कार्य कर सकेगा। आज अधिकारी वही अच्छा है, जो सबसे बड़ा बेईमान है, वही मंत्रियों का खास है, वही उनका कृपापात्र और शुभचिन्तक है। ईमानदार अधिकारी की आज कोई वक्त नहीं है, उसको कोई श्रेय नहीं है, उसके काम करने का कोई क्रेडिट नहीं है। आज पुलिस का ढांचा वही बना हुआ है, जो विगत 30 सालों से, अंग्रेजों के समय से और मुगलों के समय से चला आ रहा है। अतः मेरा सुझाव है कि इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जब तक नहीं बदला जाएगा, तब तक प्रशासन कुशलतापूर्वक चल नहीं सकता है। अभी एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 20 तारीख को हम लोगों के सामने दो गुन्डों ने सड़क पर झगड़ा किया, भीड़ इकट्ठा हो गई। उन दो गुण्डों को गिरफ्तार करने का परगनाधिकारी, इटावा ने पुलिस को आदेश दिया....

*श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)––

यह गुण्डागर्दी की क्या बात करते हैं, इन्होंने तो स्वयं यही किया है। इन्होंने तो अपने ही जनता पार्टी के एक साथी विधायक मुकीमुर्रहमान को यहीं सदन में मारा-पीटा था।

श्री औसान सिंह––

तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि उन गुण्डों को पकड़ने का परगनाधिकारी ने पुलिस को जो आदेश दिया.....

(व्यवधान)

उस समय भाई गौरीशंकर जी और रामलखन जी भी मौजूद थे। उस समय केन्द्रीय मंत्री आये थे और परगनाधिकारी, इटावा ने गुण्डों को पकड़ने के लिये आदेश दिये। सी0 ओ0 सिटी,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भौसान सिंह]

व शहर कोतवाल मौजूद थे। लेकिन गुण्डों को नहीं पकड़ा गया। इटावा की भयानक स्थिति हो सकती है। आज या कल पुलिस वर्सेज एग्जिक्यूटिव आन्दोलन शुरू होने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये। आप निश्चित समय से ज्यादा समय लेने की कोशिश करते हैं। इससे दूसरे सदस्यों का समय कटता है।

श्री भौसान सिंह—

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का दुखी मन से समर्थन करता हूं।

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल माननीय मुख्य मंत्री जी अपने अनुदानों को प्रस्तुत कर रहे थे तो 15 अनुदानों को उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन जब उनका भाषण हुआ तो मुख्यतया पुलिस पर भाषण हुआ और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि सामान्य प्रशासन जो मुख्य मुद्दा है, उस पर विशेष रूप से नीति की बातें कुछ कहेंगे। मुझे निराशा हुई कल, उन्होंने पुलिस को कुछ सुविधाएं देने की बात कही, जिससे मैं सहमत हूं। उस सम्बन्ध में घोषणाएं कर दीं और उस सम्बन्ध में जो घोषणाएं की वह भी अधूरी। पुलिस जनों के सम्बन्ध में कहा कि कांस्टेबिल को एक महीने का अतिरिक्त वेतन कर दिया है। नान गजेटेड व्यक्ति जितने हैं उनमें दरोगा भी आता है। गजेटेड आफिसर्स में डी वाई0 एस0 पी0 और उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं।

मैं जानना चाहूंगा और आशा करता हूं कि वह बतायेंगे कि जो नान गजेटेड हैं, जिसमें एस0 ओज0 और असिस्टेंट एस0 ओज0 आते हैं, उनके सम्बन्ध में क्या होना है, जितनी खुराफात पहले से लेकर, इमर्जेंसी से लेकर, अब तक चली आ रही हैं, उनको कैसे संतुष्ट किया जाय। मैं जानबूझकर संतुष्ट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। क्यों नहीं उनको एक महीने की अतिरिक्त तनख्वाह दी गयी जब पुलिस को दी जा रही है। दस रुपये अलाउन्स दिया गया। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि मैं पार्टी की ओर से बोल रहा हूं, इसलिए पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं इसलिए पूरा समय चाहिए। ऐसा न हो दस मिनट रखा जाय। दस रुपया अलाउन्स दिया गया कांस्टेबिल को। एस0 एस0 पी0 और उसके ऊपर के अधिकारियों को 40 रुपया अलाउन्स दिया जाता है। सब इन्सपेक्टर को कितना अलाउन्स दिया जाता है? मेरी इत्तला है, उसको कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता है। केवल मोटर साइकिल अलाउन्स 30 0 दिया जाता है। इस पेट्रोल की महंगाई में केवल तीस रुपया मोटर साइकिल अलाउन्स दिया जाता है, तीस रुपये में मोटर साइकिल चलेगी? मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री से। उन्होंने बजट में प्राविधान किया है 15 सौ रुपये से 25 सौ रुपये मोटर साइकिल का अनुदान बढ़ा दिया है सब इन्सपेक्टर्स के लिये। बहुत तारीफ की बात है। मैं बता देता हूं, कभी उन्होंने सोचा कि जिस मोटर साइकिल की कीमत तीन हजार, साढ़े तीन हजार, चार हजार रुपये तब थी और तब 15 सौ रुपया दिया जाता था, ो वर्ष में बुलेट मोटर साइकिल की कीमत दस हजार हो गयी है। अब 25 सौ दिलायेंगे। कम से कम पाँच हजार देना चाहिए माननीय मुख्य मंत्री ने बीमा के सम्बन्ध में बड़े जोरों से कहा कि 12 हजार की जगह पर, मरने पर अधिकारियों और गैर अधिकारियों, गटेजेड और नान गजेटेड को 25 हजार देंगे। लेकिन श्रीमन्, सबसे कंट्रीब्यूशन दस पया लेंगे। ुझे मालूम है कि पुलिस कांस्टेबिल भी दस रुपया महीना देगा, एस0 पी0, डी0 आई0 जी0 और डी वाई0 एस0 पी0 भी दस

---

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया महीना ंगे। अगर कोई गजेटेड आफिसर है तो पचास हजार पायेगा। कान्सटेबुल अगर मरेगा तो वह 25 हजार पायेगा। बड़े अधिकारी अगर कन्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहे हैं तब तो मैं मानता। आप कन्ट्रीब्यूशन तो बराबर ले रहे हैं। मैं जबाव चाहता हूं कि वह किस प्रकार से इसको कर रहे हैं। यह डिस्क्रीमिनेशन है। जहाँ मैं इस बात का हामी हूं वहाँ मैं यह कहना चाहता हूं कि 3–4 वर्ष के अन्दर पुलिस में स्वेच्छाचारिता अधिक बढ़ी है। वर्तमान मुख्य मंत्री और भूतपूर्व मुख्य मंत्री दोनों से मैंने कहा। भू0पू0 मुख्य मंत्री के समय में यह बहुत हो गया उस समय इमरजेन्सी का दिमाग बना हुआ था और उसका दुरुपयोग हुआ। नियम 301 की बातें पढ़वाते हैं। पुलिस विभाग में जो जाँच होती है वह सचमुच शून्य हो जाती हैं। दरोगा या सिपाही के खिलाफ जाँच की जाय तो वे लोग प्रेस्टिज का प्रश्न बना लेते हैं।

एक बहाना बन गया है कि आज कल राजनैतिक लोग बहुत हस्तक्षेप करते हैं। मैं हस्तक्षेप करने वाला नहीं हूं। हस्तक्षेप करने के नाम पर अगर यह अपने पदों का दुरुपयोग करेंगे तो मैं सका हामी नहीं हूं। यह नहीं होगा कि ये जगह-2 पर भ्रष्टाचार करें और राजनैतिक लोगों के नाम का सहारा लें। जो सुविधाएं इन्हें मिलनी चाहिए वह मिलें। ये लोग एक बात कहते हैं कि मुठभेड़ किया, बहुत बड़ा काम किया। हमार जिले में भी हुआ, अनेको जिलों में हुआ। मुठभेड़ की कहानी मैं कह रहा हूं। ज्यादातर मुठभेड़ की कहानी पुलिस के कायर की कहानी होती है। बहादुरी से मुठभेड़ कीजिए। लाकर दावत दे रहे हैं और वहीं पर गोली मार रहे हैं और नाम ले रहे हैं पलिस अगर कायर हो जाय तो उसको इनाम कसे दें। मैं कहूंगा कि पुलिस में स्वेक्षाचारिता आयी है वह कम कीजिए। मान्यवर, इस ओर आप ध्यान दें मुझे दुख है कि मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन में ध्यान नहीं दिया। सामान्य प्रशासन के बारे में सामान्य आदमी क्या सोचता है। आप सड़कों पर चलें, गलियों में चलें, रेल गाड़ियों में चलें तो वहाँ पर सामान्य प्रशासन की बात होती है। श्रीमन्, प्रशासन क्यों नहीं है। शासन अगर नरम होगा तो वह नाकामयाब होगा अगर गरम हो जाय तो भी नाकामयाब होगा। शासन को बैलेन्स करना पड़ेगा। एक समय था कि शासन बहुत गरम था आज तो ऐसा है कि अगर मारे जाओ तो कोई बोलने वाला नहीं है यह सामान्य प्रशासन हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

समय के बारे में आपको जानका ी होगी। कटौती का प्रस्ताव जो सदस्य मूव करता है उसको 25 मिनट और दलों के नेताओं को 15 मिनट।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप कुछ कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहुत बड़ी चीज थोड़े में कहें।

श्री श्यामधर मिश्र—

मंत्रि-परिषद् के बारे में देखें, मंत्री लोग तो अच्छे हैं, मेरा उनसे कोई निजी विवाद नहीं है लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि नयी-नयी पार्टी आयी, नये-नये लोग चुन कर आये, अनुभवहीन लोग, एक स्तर पर आये सीधे कैबिनेट मंत्री हो गये हैं लेकिन उनकी दुर्दशा हम भी भोग रहे हैं और नौकरशाही भी भोग रही है ।

यहाँ पर मितव्ययिता की बात कही जाती है लेकिन आप देखें कि मुख्य मंत्री नहीं मंत्री-गण हेलीकोप्टर्स पर दौड़ रहे हैं । आप देखें कि एक-एक मंत्री पर कितना-कितना खर्चा आ रहा है । शासन ने विकेन्द्रीकरण नहीं केन्द्रीकरण किया है । कहते हैं कि तबादले के लिए हमारे पास न आओ लेकिन मैं तो कहता हूं कि तबादले के अलावा इनके पास और कोई काम नहीं है क्योंकि इन्होंने आज तक भी कोई नियम नहीं बनाये हैं । माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनका विधि का राज्य है लकिन मैं तो कहता हूं कि यह व्यक्तियों का और मंत्रियों का राज आया है, विधि का राज्य नहीं ।

अगर मंत्रि-परिषद् एक नियमावली बना देती कि 3 वर्ष के पहले किसी का ट्रांसफर नहीं होगा, उसे 3 साल के लिए पहाड़ में रहना होगा, तो ठीक था लेकिन जिसने जिसको जहाँ चाहा, तबादला कर दिया । कुछ मंत्री तो ऐसे हैं कि जो अपने विभाग का तो काम कर नहीं पाते हैं, दूसरे विभागों में ट्रांसफर के लिए कहीं यादव जी से कहेंगे और कहीं दूसरों से । उनका तो यह पेशा ही हो गया है । आज इस प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में आई0 सी0 एस0 और पी0 सी0 एस0 की प्रधानता है । जो हमारे टैक्नीकल लोग हैं उनकी दुर्दशा देखी गयी है, क्या वे कम योग्य हैं, क्या उनकी सेवायें कम हैं, वे कम वेतन क्यों पाते हैं ? मैं चाहूंगा कि इन तमाम बातों पर सामान्य प्रशासन देखे और इस बात की ओर भी देखा जाय कि एक बड़ा जानवर होता है, उसके 8 पैर या 6 पैर होते हैं, उसकी बहुत सी चीजे आ जाती हैं । सामान्य प्रशासन में 6–6 हजार आई0 सी0 एस0 और पी0 सी0 एस0 आते हैं और हर जगह उनको भेजा जाता है । विकास के लिये, राजस्व के लिए और ट्रांसपोर्ट और उद्योग विभाग में उनको भेजा जाता है जहाँ पर वे 8 महीने या एक साल के लिये जाते हैं और चले जाते हैं । उन विभागों में कोई केडर बिल्ड अप नहीं हो पा रहा है ।

नियोजन संस्थान आज बहुत कमजोर हालत में है । सही मायनों से यह मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है । मैं चाहूंगा कि आज इस बात का भी मूल्यांकन हो कि कितना काम आप 30 सालों से प्रदेश में कर पाये हैं ? कितनी पूंजी लगी है ? जिस समय पूंजी लगी थी वह कितनी थी । मैं तो समझता हूं कि हमारी पूंजी का ह्रास हुआ है । मूल्यां-कन समिति अगर पता लगाये तो विदित होगा कि जो मंत्री लोग हैं यहाँ पर आते हैं पहले वे अपने जिलों और कान्स्टीट्यूएन्सीज को नर्स करते हैं, अपने घर द्वार को ठीक करते हैं । यह प्रथा जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है, इसको दूर कीजिये । (शासन पक्ष की ओर से इशारा करते हुए) । आप इस मर्ज में पहले भी मुब्तला रहे और आज भी हैं । मैं तो कहूंगा कि इसकी भी जाँच होना चाहिये और सर्वदलीय विधायकों के द्वारा इसकी जाँच होनी चाहिये ।

आज सचिवालय से फाइलें बड़ी धीरे-धीरे चल रही हैं । कहा जा रहा है कि चौखम्भा राज्य होगा, मगर आज सचिवालय में, जिलों में, तहसील और ब्लाकों में वही चीज देखने को नहीं मिलती ? यहाँ पर अर्जियाँ दी जाती हैं, वे गायब हैं । एक विषय पर यहाँ तीन-तीन प्रतिवेदन दिये गये, वे गायब हैं । मेरी माँग यह है कि यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि जितनी अर्जियाँ आयें उन पर सीरियल नम्बर पड़े और वे गायब न हों ऐसी व्यवस्था हो । आज महाराष्ट्र तथा पंजाब को देखिये, वहाँ की तरह यहाँ पर भी पहले तहसीलों का और डिवीजनल हैडक्वार्टरों को मजबूत कीजिये । मैं पूछता हूं कि क्या

उत्तर प्रदेश ही पिछड़ा हुआ है ? सूचना प्रसार का काम यह होना चाहिये कि केन्द्र से हमें क्या मिलना चाहिये, वह मिला या नहीं, आदि जानकारी होना चाहिये ? प्रसार का काम इसको करना चाहिये। डिवीजनल हेडक्वार्टरों पर टेलीविजन सेट्स हों, आपने 2–3 जगह ही भेज दिये हैं।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सतर्कता विभाग का जिक्र किया। जिन परिस्थितियों में वह विभाग काम कर रहा है मैं उससे अवगत हूं। उसके पास एक हजार के करीब मुकदमे पड़े हैं। कई तो इसलिये पड़े हैं कि कई साल से मंत्रि परिषद् की स्वीकृति नहीं मिली है। आपने अभी एक राजाज्ञा निकाली है कि ज्यूं ही सतर्कता विभाग को मामला गया, त्यूं ही उस पर विभागीय कार्यवाही नहीं होगी। इस कारण से अगर किसी के खिलाफ सस्पेन्शन की कार्यवाही चल रही है तो अधिकारी स्वयं यह प्रार्थना करता है कि मामले को सतर्कता विभाग भेज दिया जाये। होता वह है कि इस बीच इतना समय लग जाता है इसमें कि उसका रिटायरमेंट का समय आ जाता है। तो यह सतर्कता विभाग इस तरह से भ्रष्टाचार के लिये एक छाते का काम कर रहा है।

एक बात यह कहूंगा कि ब्लाक, थाना और तहसील का एक क्षेत्र होना चाहिये। इस पर राय पत्रावली में मौजूद है, अंतिम रूप ही केवल देना है। इसे आप करिये।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन-जिन विभागों के संबंध में अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उनके संबंध में तथा कैबिनेट के निर्णयों के संबंध म कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस के बारे में कुछ आश्वासन दिये हैं। मेरा विचार यह है कि लोगों में धारणा यह बनी है कि इस विभाग में जिस किसी को सजा देना होता है उसको सी0 आई0 डी0, विजिलेन्स या इन्टेलीजेन्स विभाग में भेज दिया जाता है। श्रीमन्, ये तीनों विभाग बड़े आवश्यक हैं, इनसे इतना काम लिया जा सकता है। इनसे कंट्रोल के काम मे सहायता मिल सकती है। इन्हें विशिष्ठ विभाग बनाया जाय। जो पुलिस के अच्छे कर्मचारी हों, उन्हें इस विभाग में रखा जाय। दूसरी बात यह है कि हमें जो रिपोर्ट मिली है, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के माध्यम से, इसके विषय में मैं कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो की रिपोर्ट में समस्त इकाइयों का इकट्ठा आंकड़ा दिया गया है। इसमें इनकी कुल चुकता पूंजी 1,30,805.72 लाख है और इनका घाटा यह 18,808.09 लाख रु0। जितनी इनकी चुकता पूंजी है, वह समाप्त हो चुकी है।

मान्यवर, इन निगमों की स्थापना की गयी थी कि वह इस आशय से ताकि प्रदेश की पूंजी जो है, वह इसमे न लगा कर इनको एल0आई0सी0 या बैंक से पैसा मिले और उससे

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह]

प्रदेश में कुछ कार्य हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने सार्वजनिक उद्योग हैं वह केवल स्टेड लोन पर (इस समय 1 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।) चल रहे हैं। अपनी सारी पूंजी ये समाप्त कर चुके हैं। इनमें कुछ उद्योग जो उद्योग विभाग से संबंधित हैं, जो लाभ में चल रहे हैं उनको तो अवश्य प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। लेकिन खासतौर से जो उद्योग ऐसे हैं, जो प्रदेश की पूंजी को खाते चले जा रहे हैं, मिटते चले जा रहे हैं, उनको रखने का कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता।

श्रीमन्, तीसरी बात जो है, आपके समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि आज एक आम झगड़ा मचा हुआ है पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 कैडर का और नान पी0सी0एस0 कैडर का, इस पर कोई, आवश्यक निर्णय आपको लेने ही होंगे। पी0सी0एस0 कैडर में देखें कि कहीं भी पी0सी0एस0 आफीसर को बैठाल दिया जाता है, उसमें चाहे, उसको जानकारी हो या न हो, होता यह है कि अगर किसी को जानकारी नहीं है और वह सक्षम न हो पाये, तो उसके ऊपर दोषारोपण होने लगता है। मेरे विचार से यह आवश्यक होगा कि जैसे शुगर कारपोरेशन हैं या जो उद्योग विभाग के कारपोरेशन्स हैं, उसमे जो पी0सी0एस0 आफीसर्स नियुक्त किये जायं, उनके लिए एक ट्रेनिंग करायें या उनका एक विशेष कैडर बना दें कि टेक्सटाइल का कैडर, शुगर का कैडर या मैनेजमट का कैडर, कुछ इस तरह से आपको विचार करना होगा ताकि इनका कार्य सुचारु रूप से चल सके और जो आपस में मतभेद फैलता जा रहा है, वह भी समाप्त हो सके।

मान्यवर, एक बड़ा अहम मसला सामने आ गया है, यह बी0डी0ओ0 का। आपके ग्रामीण विकास की योजनाएं बढ़ती जा रही हैं, ग्रामीण विकास में कुछ काम हुआ करते थे, जो कि थोड़े से धन से हुआ करते थे अब उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से जो धन लगा रहे हैं, वह भी सब बी0डी0ओ0 को करना पड़ता है। इसके अलावा अन्त्योदय के प्रोग्राम, खाद्यान्न योजना के प्रोग्राम, हरिजन नलकूप का कार्य ये सब काम बी0डी0ओ0 ही कर रहे हैं। लेकिन ब्लाक स्तर के सारे जितने अधिकारी पी0ओ0 या मेडिकल आफीसर आदि है, सबके वेतन बढ़ा दिये हैं, लेकिन बी0डी0ओज0 का वेतन आपने अभी तक पुराना ही रखा है। अगर आप उनसे अच्छा काम कराना चाहते हैं, तो उनके वेतनमान को भी बढ़ा कर क्लास 2 का कर देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है, कितना समय देते हैं एक आदमी को?

श्री अधिष्ठाता—

7 मिनट।

*श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन का जो बजट है, उसका मैं समर्थन करता हूं साथ ही कुछ सुझाव देना चाहता हूं। राजनीतिक अस्थिरता का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है शासन पर। जब कोई मुख्य मंत्री आता है तो आई0जी0 और मुख्य सचिव का बोलना आवश्यक हो जाता है। मेरी सम्मति है कि किसी भी जिलाधिकारी या एस0पी0 को कम से कम 2 वर्ष की सेवा का अवसर मिलना चाहिये। उनकी नियुक्ति पर काफी विचार-विमर्श का अवसर होना चाहिये और जब एक बार नियुक्त हो जाये तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं कया।

उन्हें सेवा का अवसर मिलना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि गन्ना विभाग के निदेशक और सचिव आई० ए० एस० हों, लेबर सेक्रेटरी डाइरेक्टर आई० ए० एस० हों। जैसे बहुत से विभागों में होता है, कृषि निदेशक होंगे कृषि विभाग के। इस प्रकार प्रोन्नति तक उन्हें अपनी क्षमता का पूरा-पूरा अवसर मिलना चाहिये। यदि सामान्य प्रशासन को सुधारना चाहते हैं तो प्रान्तीय कम्बाइंड परीक्षायें जो है इन्हें रोकना चाहिये और विभागीय स्तर आधार पर इनकी नियुक्ति होनी चाहिए।

अभी 3 दिन पहले पायनियर में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का एक आर्टिकिल छपा था। उन्होंने कुछ सुझाव दिये थे। एक सुझाव था कि लोकल पुलिस भर्ती होनी चाहिए। आपका प्रशासन इसको करेगा कि क्या फायदा होगा, तैयार है? महिला अधिकारियों को पुलिस में नियुक्ति नहीं किया जायेगा। लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम एक महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया। पिछड़ी जातियों, हरिजन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण है। मेरी सम्मति है कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए।

उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा प्रदेश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि परीक्षाओं में जो फीस ली जाती है वह हिन्दुस्तान के किसी भी लोक सेवा आयोग की जो प्रान्तीय सेवायें हैं, उस से अधिक है। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग में केवल 85–86 रुपये देने पड़ते हैं और प्रान्तीय परीक्षाओं में 107 रुपये देने पड़ते हैं। अन्य राज्यों में 40 रुपये स 60 रुपये तक फीस है। फीस अधिक होने के कारण गरीब विद्यार्थी परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि परीक्षा की फीस कम होनी चाहिये।

आपने इंटर और हाई स्कूल की परीक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। सम्पूर्ण प्रशासन की राजकाज की भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में बना दी है। लेकिन अफसोश की बात है कि हिंदी का जो परचा है उसमें भी अंग्रेजी छिपे रूप से लादी गयी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। संस्कृत जो वैकल्पिक भाषा है उसमें अंग्रेजी का अनुवाद संस्कृत में और संस्कृत का अनुवाद अंग्रेजी में तो छिपे तौर पर अंग्रेजी लादी गयी है। यह जो अंग्रेजी योग्यता सरकारी सेवाओं में लादी जा रही है इसको समाप्त करने का प्रयास होना चाहिये।

तबादलों की बात है, यह एक अहम समस्या है। इस संबंध में स्पष्ट नीति होनी चाहिये। क्लास वन और क्लास टू की सेवाओं के अलावा तबादलों में मंत्रियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। चयन के बारे में मेरा निवेदन है कि जो जिला स्तर पर चयन समितियाँ हैं उनको खत्म करना चाहिये। और इंपलायमेन्ट एक्सचेंज द्वारा विभागों को अपनी आवश्यकतानुसार भर्ती करने का अधिकार देना चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर) समय कम है, आपने लाल बत्ती जला दी है, इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, आज ऐसे मौके पर जब हम इस जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को बजट पर बहस कर रहे हैं, इसी प्रदेश के अन्दर ही नहीं बल्कि देश के बहुत से राज्यों में वहाँ जिन लोगों के ऊपर शांति और व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी है वही आज वहाँ बगावत के ऊपर खड़े हो गये हैं। मान्यवर, प्रदेश इस चीज से अछूता है ऐसी बात नहीं है। बनारस की घटना के बारे में सदन में चर्चा हो चुकी है। मान्यवर, सन् 74 के अन्दर जो विस्फोटक स्थिति थी आज ठीक वही स्थिति प्रदेश के अन्दर है। माननीय मुख्य मंत्री ने केवल कुछ चीजों के बारे में कहा कि वर्दी का एलाउन्स दे दिया, वगैरह-वगैरह। लेकिन आज भी पुलिस फोर्स के अन्दर जो असंतोष है उस असंतोष को यदि माननीय मुख्य मंत्री कम नहीं करेंगे तो उनका वही हाल होगा जो माननीय कमलापति त्रिपाठी का हुआ था।

हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, प्रशासन के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश के अन्दर स्टेबिलिटी का मामला हो और यह मामला हो कि कब तक बनारसी दास जी वहाँ पर बने रहेंगे, इसके पहले राम नरेश जी यादव थे, पूरे बहुमत में थे, उसके बावजूद भी प्रशासन के अन्दर स्थिरता नहीं रही, तो कैसे उम्मीद कर सकते है कि आपके अधिकारी आपके नियंत्रण में रहेंगे, नहीं रह सकते। राम नरेश यादव जी थे, उनके खिलाफ मुहिम शुरू हुआ वह चले गये। अधिकारी मानते हैं कि अगर हमने रामनरेश यादव के इंस्ट्रैक्शन्स को कैरी आउट किया तो न जाने क्या हाल होगा। आपने परम्परायें डाली हैं, मैं नहीं कहता कि इमरजेंसी के दौरान जिन अधिकारियों ने जुर्म किया है उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही न करें। लेकिन आपने जो परम्परा डाली है, क्या कोई बेचारे अधिकारी, वह जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के पीछे माननीय पाँडे जी पड़े हैं। बजट के अनुदानों पर जनता पार्टी के लोग ही उसके खिलाफ वोट देते हैं। अधिकारी तो पढ़े-लिखे है, उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि माननीय बनारसी दास 5 साल इस कुर्सी पर रहेंगे। अगर आज बनारसी दास जी के इंस्ट्रैक्शंस का पालन उन्होंने किया तो कल दूसरे आयेंगे और उनके ऊपर कमीशन बैठाया जायगा। तो क्यों कर आपकी परवाह करें। क्योंकि जब आपका प्रदेश के अन्दर इतना बड़ा बहुमत होते हुये सिविल सर्विसेज और जनता के अन्दर इतना विश्वास नहीं पैदा कर सकते है कि हम कोई स्थायी सरकार बना सकते है तो वह आपके आदेशों का पालन नहीं करने जा रहे हैं। तो पहला कारण यह है।

दूसरा कारण शासक पार्टी के अन्दर गुटबाजी है। एक श्री राजमंगल पाँडेय गुट और दूसरा श्री बनारसी दास जी का गुट। शासन के अधिकारी किस की बात मानें आपकी या दूसरे लोगों की क्योंकि वह जानते हैं यदि उनकी बात नहीं मानते हैं तो वह कल शासन में आये तो उनकी खींचातानी होगी। इसलिये शासक दल चूंकि जनता और सिविल सर्विसेज के बीच विश्वास नहीं पैदा कर सकती है लिहाजा आपका प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं रह सकता है।

मान्यवर, दूसरी चीज आपने परम्परायें ऐसी बना रखी हैं, जिसके लिये वर्तमान मुख्य मंत्री को ही दोषी नहीं बना सकते हैं, कि जो आयेगा वह अपनी बिरादरी, अपनी जाति के लोगों की, भाई भतीजावाद के लोगों को शासन के जो मुख्य-मुख्य अंग है उन पर तैनात करेंगे। ईमानदारी और कुशलता का कंसीडेरेशन नहीं है। बल्कि रेकार्ड यह है कि मुख्य मंत्री की गद्दी पर, मंत्रि परिषद् में किस जाति के लोग हैं उसके अनुसार नियुक्तियाँ और ट्रांसफर होंगे। तो कुशल प्रशासन की बात हम कैसे कर सकते हैं। मान्यवर, मुख्य मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे कि एक बार ट्रांसफर होते हैं और फिर वह कैंसिल क्यों कर दिये जाते हैं। चूंकि यह सर्वविदित है कि पुलिस विभाग में ट्रांसफर किये गये हैं—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग. अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85—ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम

डी0 आई0 जी0 से लेकर सुपरिन्टेडेन्ट पुलिस तक, लेकिन फिर राजनीतिक दबाव पड़ता है और मुख्य मंत्री को मजबूर होना पड़ता है, चूंकि उनको अपने विधायकों को राजमंगल पांडेय की गोद में जाने से बचाना है, इसलिये तमाम ट्रांसफर कैंसिल कर दिये जाते हैं। इसलिये प्रदेश के सामने जो बुनियादी मुद्दे हैं, स्टेबिल्टी न होने से, उनको आप हल करने में असफल हैं।

इसीलिये पुलिस कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ता है और विद्यार्थियों तथा किसानों के रोज-रोज प्रदर्शन और धरनों में पुलिस क्या करेगी। इसलिये यह हड़तालें और प्रदर्शन होंगे यदि आप जनता की बुनियानदी समस्या को हल नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास बुनियादी समस्याओं को हल करने की नीति नहीं है, क्षमता नहीं है इसलिये आप पुलिस के डंडों की सहायता देंगे। जगह-जगह गोलियां चलेंगी और मजदूरों के आन्दोलन को, जनता के आन्दोलन को दमन के सहारे बंद करने की कोशिश करेंगे। यह आपकी पार्टी का चरित्र है।

बड़े-बड़े आंकड़े देते हैं कि इतनी डकैतियां कम हुयीं, इतने कत्ल कम हुये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आज इस देश का नागरिक रेल पर सफर करते वक्त अपनी सुरक्षा समझता है? क्या इस देश का नागरिक रोडवेज की बसों में सफर करते समय अपने को सुरक्षित समझता है? क्या आप ईमानदारी से महसूस करते हैं कि रात 9—00 बजे लखनऊ में अमीनाबाद की सड़कों पर अपने को सुरक्षित समझते हैं? मान्यवर, चारों तरफ देश और प्रदेश में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। मान्यवर, मैदानों में तो यह स्थिति है ही, पहाड़ों में, जहां पहले ताला तक लोग नहीं लगाते थे, डकैतियां और राहजनी होती हैं—इसलिये क्योंकि आपने समाज को भय मुक्त कर दिया है। डकैत भय मुक्त हैं, राहजनी करने वाले भय मुक्त हैं, चोरी करने वाले भय मुक्त हैं। पुलिस वाले भय मुक्त हैं। पुलिस की वर्दी लेकर लोग डकैतियां डाल रहे आज, मान्यवर पुलिस से मिलकर डकैतियां डालते हैं। यह आपके प्रदेश का शासन है। और इसका यही कारण है कि आपकी इन्टेलीजेंस आज-कल बिलकुल उसी नक्शे पर चल रही है, जिस पर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी चल रही थीं। लोग गलत खबर दे रहे थे, संजय गांधी को मसका लगा रहे थे, स्थिति बिल्कुल ठीक है—आप चुनाव करायें।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मान्यवर, मैं माननीय नेगी जी से पूछ सकता हूं कि केरल में आपकी सरकार ने कौन-कौन से आदर्श प्रस्तुत किये हैं कि जिसका अनुकरण किया जा सकता हो? जो अपने में एक माडेल हो? कृपया इस पर प्रकाश डाल दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

नम्बर (1) बेरोजगारी दूर किया। नम्बर (2) तमाम मजदूरों के सारे अधिकार कायम रखे जायेंगे।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

तो, मान्यवर, मैं इन्टेलीजेंस की बात कर रहा था। दादरी में क्या होने जा रहा है, मालूम नहीं। अलीगढ़ में क्या होने जा रहा है, मालूम नहीं। आपको मालूम होता है तब जब घटना घट जाती है। तब माननीय मुख्य मंत्री जी को खबर दी जाती है। लेकिन घटना के पूर्व कोई एन्टेलीजेन्स नहीं है।

मान्यवर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक दो बातें पहाड़ों के बारे में बता देना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने प्रश्न भी किया था कि फलाँ अधिकारी ने यह काम किया लिहाजा उसको पिथौरागढ़ भेज दिया। जो निकम्मे प्रशासक हैं, जिनके बारे में तमाम शिकायतें हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं, उनको पहाड़ों में भेज देते हैं कि जाकर बद्रीनाथ के दर्शन करो—शायद ठीक हो जावोगे। कम से कम पहाड़ के क्षेत्र को पनिशमेंट का इलाका न बनायें। मान्यवर, हमारे बहुत से नवजवान जिलाधिकारी रहे लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। मान्यवर, हम पहाड़ के एम0 एल0 ए0 आपकी डे टु डे ऐडमिनिस्ट्रेशन में इण्टरफियर नहीं करते। लेकिन हमारी हमेशा शिकायत रही है कि पहाड़ उसको भेजते हैं जो मैदान में निकम्मा साबित होता है या जो पहाड़ जाना नहीं चाहता। जो पहाड़ पर काम करना चाहता है, उसको नहीं भेजते। मान्यवर, पहाड़ों में तमाम कठिनाइयाँ हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये भत्ता दें ताकि वहाँ की कठिनाइयाँ दूर हो सकें।

दूसरी बात—मान्यवर, हमारे यहाँ पटवारी होता है जो बी0 एल0 डब्लू0 का काम, पुलिस का काम, वेक्सीनेटर का काम और अमीन का भी काम करता है, लेकिन उसका वेतन बहुत कम है। बहुत कम तनख्वाह उसको देते हैं और अमीन से भी कम देते हैं। इसलिये इसकी ओर कृपया ध्यान दिया जाय।

अंत में केवल यही कहना चाहता हूं कि आपने पुलिस को जो सुविधायें दी हैं, उसके लिये बधाई है। लेकिन हमारे सचिवालय के बेचारे गार्ड्स हैं, मार्शल हैं, जिनका सुपरिन्टेन्डेन्ट का दर्जा है। सचिवालय का अपना कोई पैसा है नहीं जिसके लिये अध्यक्ष महोदय से कहूं। अतः मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो सुविधायें आज पुलिस को दी हैं, वे ही सुविधायें हमारे अंगरक्षकों को, मार्शल को और डिप्टी मार्शल को भी देने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अलीगढ़ की घटनाओं को खूबसूरती के साथ हैंडिल करने लिये बधाई देना चाहता हूं इस अपेक्षा के साथ कि प्रदेश में पनपती हुयी जातीयता को समाप्त करने के लिये चाहे वह सेक्रेटेरियट में हो, या किसी भी विभाग में हो, प्रदेश में, उसमें वही व्यवहार करेंगे, वही समानता का व्यवहार करेंगे जिससे किसी की योग्यता का क्षरण न हो और प्रशासन चुस्त हो सके।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि हमारा नियोजन विभाग चुस्त हो। नियोजन विभाग की जिम्मेदारी केवल दो सालों की नहीं, पिछली सरकारों की भी जिम्मेदारी उसमें आ जाती है। जिस नियोजन का मतलब होता है बेकारी दूर करना, विषमता दूर करना, गरीबी मिटाना, तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मान्यवर, कि 30 साल के शासन काल के दौरान या जनता पार्टी के शासन के दौरान क्या प्रदेश की बेकारी और बेरोजगारी को खत्म कर पाये? मान्यवर, 31 मार्च के आँकड़े हैं कि 27 लाख बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रति व्यक्ति इनकम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

30 साल पहले थी, उसमें एक नये पैसे फर्क नहीं हुआ और जो 268 प्रति व्यक्ति के हिसाब से पड़ता है, अगर रुपये की कीमत के हिसाब से देखे तो उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति का एक नये पैसा 30 साल में बढ़ हा।

मान्यवर, क्षेत्रीय असंतुलन के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे नियोजन विभाग में 9 विभाग हैं जो नवग्रह के तरह विनियोजन कर रहे हैं। कानपुर जो पिछड़ा हुआ जनपद है, आज भी पिछड़ा हुआ है और उसके पिछड़ेपन को दूर नहीं कर पाये इस नियोजन विभाग की अक्षमता ने बेकारी को बढ़ाया है, गरीबी को बढ़ाया है। तो नियोजन विभाग के इस सफेद हाथी को पालने से फायदा क्या? बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन दूर नहीं होगा जब तक इस सफेद हाथी में परिवर्तन नहीं करेंगे यदि परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह पोरस के हाथी की तरह आप की ही फौज को कुचलता रहेगा। इसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जिनको 250 रुपया प्रति दिन के हिसाब से उनके विशेषता के कारण देते हैं लेकिन नीचे से ऊपर तक क्या होता है, इसकी सूचना तभी प्राप्त होगी जब पूरे मसलों को विजिलेंस को देंगे।

मान्यवर, आपका मन्त्रिपरिषद् है। जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि दो लाख, तीन लाख के भ्रष्टाचार की चर्चा होती है, आप प्रतिबन्ध लगा दें कि यदि कोई मंत्री एक लाख के भ्रष्टाचार का दोषी है तो उसकी चर्चा यहां पर नहीं होगी जिससे सदन का समय तो बचेगा। जहां तक सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है मैं कहना चाहता हूं कि आपका सूरज के समान सात घोड़ों का रथ है। मंत्रि परिषद् की चर्चा करना फिजूल है। इसकी कार्य क्षमता के बारे में कोई चर्चा बिलकुल व्यर्थ है मैं जानता हूं कि आप के मंत्री अन्डर ट्रेनिंग हैं जिनके पास वर्ष में एक फाइल पहुंचेगी उसको भी रफा दफा कर पायेंगे, मुझे संदेह है।

आपका जो सामान्य प्रशासन है उसके बारे में कहना चाहूंगा। सामान्य प्रशासन भूखे भेड़िये की तरह काम करता है। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी सेक्रेटेरियट से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक यह आदेश कर दें कि कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, एक मिनट लेट दफ्तर नहीं आयेगा तो शायद चुस्त प्रशासन की बात समझ में आये। जो फाइलों का अम्बार चारों तरफ लगा रहता है निश्चित रूप से जो प्रदेश की जनता के लिए भार है उनमें कुछ कमी आये, जनता को मुक्ति मिले। यदि यह आदेश कर दें कि किसी भी फायल में निर्णय देने में सात दिन से अधिक समय नहीं लगेगा तो शायद जनता को कुछ राहत मिले। आप देखे जहां कहीं दफतर है एक मैस की तरह है। शिक्षा विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी कहीं बैठता है तो सेक्रेटरी कहीं और बैठता है। यदि दफ्तरों को आप एक जगह पर रख सकें तो ज्यादा अच्छा होगा जिससे सेक्रेटेरियट में भी कुछ काम चलेगा।

पुलिस विभाग के संबंध में मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। यदि उत्तर प्रदेश के पुलिस के सिपाही को तीन सौ रुपये मिलेंगे और पंजाब के सिपाही को पांच सौ रुपये मिलें तो इससे

[डा0 अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']
असंतोष होगा। मैं जानता हूं कि एस0 पी0 का घोड़ा जिस अस्तबल में बंधता है उससे भी ज्यादा बदतर हालत पुलिस के सिपाही की है। यदि आप मद्रास की पुलिस की तरह सुविधा यहां की पुलिस को नहीं दे सकते तो कम से कम हमारे जो 30-40 हजार पुलिस कर्मचारी हैं, जो फील्ड में वर्क करते हैं और जो दफतर में कार्य करते हैं उनको समकक्ष करने की कार्यवाही आप करेंगे।

आपके न्याय प्रशासन के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। आप कुछ योजना बनाइये इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिये नहीं तो जनता को न्याय मिलने की गुंजायस नहीं है।

सामान्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन के अतिरिक्त मान्यवर, जहां उत्पादकता बढ़ाने की बात आती है मुझे इतना अर्ज करना है कि अपने नियोजन विभाग को यह निर्देश दे दें कि गांव की ओर चलने की कोशिश करें नहीं तो सम्पूर्ण क्रान्ति, चौखम्भे राज्य का सपना पड़ा रह जायगा। और साथ ही मैं इतना जरूर कहता हूं कि वह दिन भी आयेगा कि शायद हमको और आपको, सबको, बोरिया बिस्तर बांध कर चला जाना पड़ेगा।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रखे अनुदान का मैं समर्थन करता हूं। इस अनुदान में कोई पैबन्द लगाया जाय तो कोई नई बात नहीं निकलेगी। प्रदेश तथा पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उससे कुछ लोग बहुत घबड़ा गये हैं। (व्यवधान) जब तक मुख्य मंत्री जी कोई बुनियादी दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे तब तक केवल प्रतिशत में कमी और बढ़ोतरी हो सकती है। जहां तक सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध है मैं तो इस राय का हूं कि सामान्य प्रशासन का जो ढांचा है वह आजादी के पूर्व का दिया हुआ ढांचा है और उस ढांचे को बदलने का काम हिन्दुस्तान के किसी भी मुख्य मंत्री ने नहीं किया और न ही कोई सरकार ऐसी आई जो पूरे तौर से इस ढांचे में परिवर्तन कर सकती। (व्यवधान) पता नहीं कौन सी सरकार आयेगी जो पूरे ढांचे में परिवर्तन कर सकेगी। जबतक यह नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। मैं इस राय का हूं कि इसका विकेन्द्रीयकरण होना चाहिये और चौखम्भा राज्य की कल्पना को साकार करना चाहिये।

अभी देश में इस प्रशासनिक व्यवस्था के दो पाये हैं—एक केन्द्र और दूसरा प्रदेश जिले तथा ग्राम स्तर पर जो काम हो रहे हैं संविधान में उनको कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं तो चाहूंगा कि संविधान में जिले तथा ग्राम स्तर के कामों को भी स्थान मिलना चाहिये। गांव से जो राजस्व प्राप्त होता है वह राजस्व उसी गांव के विकास के लिये खर्च किया जाय और अगर वह राजस्व उस गांव के लिये पर्याप्त हो जाय और कुछ बचे तो शेष राजस्व दूसरे गांव में लगाया जाय। राजस्व का वितरण जब तक इस प्रकार नहीं होगा तब तक समुचित विकास गांव का नहीं हो सकेगा और एकांगी प्रगति ही आपको देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि उसका मुकाबला कवाल टाउन्स से नहीं किया जा सकता। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस दिशा में कोई सक्रिय तथा व्यवहारिक दृष्टि कोण अपनायें तभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

पृष्ठ 35 पर दिये जी के बजट भाषण से मुख्य मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया "जिला प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिये यह प्रस्ताव है कि इन पांच वर्षों में 147 तहसीलों के मुख्यालयों पर परगनाधिकारी, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और पुलिस के सर्किल आफिसर के कार्यालयों एवं आवासों का निर्माण किया गया"। श्रीमन्, प्रशासन में केवल कुछ तहसील हेडक्वार्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3--मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18--सचिवालय, अनुदान संख्या 19--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग. अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38--विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45--सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख--गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय अनुदान संख्या 100--नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112--प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम

या जिला स्तर पर कुछ लोगों के लिये मकान या दफ्तर बनाने से ही काम चलने वाला नहीं है बल्कि अधिकार भी गांव तथा तहसील स्तर पर बढ़ने चाहिये। इस समय जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह अनुत्सापदिक स्थिति से जुड़ी हुई है। जितनी बेरोजगारी की स्थिति है उससे व्हाइट कालर जाब वाली जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह इस प्रशासन की ही देन है। जब तक रोजगार को उत्पादन से नहीं जोड़ा जायेगा तब तक ये प्रशासनिक विभाग अनुत्सापदक लोगों की स्थायीकरण की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे।

इस समय मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी पी0 सी0 एस0 या आई0 ए0 एस0 अधिकारी को दण्ड देना है, कोई उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी है तो वह कैबिनेट स्तर का कोई भी मंत्री उसे नहीं कर सकता है। वह केवल अपनी संस्तुति मुख्य मंत्री तक भेज सकता है। यदि मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव चाहेंगे तभी कुछ कार्यवाही हो सकती है। इसके लिये मान्यवर, जन-प्रतिनिधियों को और जनतंत्र की प्रक्रिया को विकसित करना होगा और मंत्रियों के अधिकार बढ़ाने होंगे, जन प्रतिनिधियों को अधिकार देने होंगे। विधायक लोग इस समय केवल सिफारिशी अंग बनकर रह गये हैं। माननीय दिघे जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि देश और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता है।

मान्यवर, इसे दूसरे ढंग से देखे। कोई भी शांति व्यवस्था तब तक नहीं बन सकती है जब तक कि देश और प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक अवस्था विकसित न की जाय। केवल पुलिस को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाय यह ठीक नहीं है। अपराध जो है वह हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक कुरीतियों का और अव्यवस्थाओं का है और उनके नतीजों का है। जो आज देश और प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं वह सामाजिक कुरीतियों के ही परिधाम है। (लाल बत्ती होने पर)। मान्यवर, 2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के ढांचे को भी पूरी तरह से परिवर्तित करना होगा। यह सही है कि पुलिस के जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं या बीच के हैं, उनको जरूर सुविधा मिलनी चाहिए। यह बात सही है कि पुलिस के सिपाही को पखाना जाने की जगह नहीं है, नहाने की जगह नहीं है, रहने की बात तो दूर है। उनको सुविधा दी जाय, उनको सहूलियतें दी जाय, लेकिन उसका पूरा ढांचा परिवर्तित किया जाय। गांवों में थाने इतनी दूर हैं कि प्राथमिक रिपोर्ट लिखवाने में ही 4-5 दिन लग जाते हैं। मैं चाहता हूं गांव स्तर को इस सम्बन्ध में विकेन्द्रित कर दिया जाय और पुलिस रक्षा दल बनाये जायं। मान्यवर, अभी 29 अप्रैल को बनारस में एक जगह है मालवी, वहां पर एक पुल के पास घटना हो गयी थी। एक ट्रक और आटो रिक्शा की टक्कर वहां पर हुई थी और कई लोग मारे गये थे। उस सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट भी लिखायी गयी, लेकिन उसके बाद

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

भी लावारिश लाश दिखाकर उनको दफना दिया गया। इस ओर मुख्य मंत्री जी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)---

अधिष्ठाता जी, जो सूची आपके पास है, उससे आप हम लोगों को बुला रहे हैं या जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको मौका दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

यह मेरे विवेक की बात है।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन और पुलिस ये दो विभाग ऐसे हैं जिनके कार्यकलापों का सीधा परिणाम आम जनता के रोज के जीवन पर पड़ता है।

आज यह सामान्य प्रशासन और पुलिस व्यवस्था जो आज हमारे यहाँ है उससे सभी लोग परिचित हैं। मान्यवर, हम सभी जन प्रतिनिधि हैं। जनता से वायदा करके आले हैं। हमने वायदा किया था कि हम जनता को स्वच्छ प्रशासन देंगे और उस वायदे के मुताबिक जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया और हमें चुन कर भेजा, इस प्रकार जनता सरकार का गठन हुआ। हमने स्वच्छ प्रशासन देने के लिए अपनी नीतियों का निर्धारण किया। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि नीतियों को बनाने का काम हम जरूर करते हैं लेकिन उनका अनुपालन कराने वाले वही लोग हैं जो पिछली सरकार ने हमें विरासत में दिया है। वह लोग कौन हैं ?

आज माननीय नारायण दत्त तिवारी यहाँ नहीं है, कल उन्होंने जब कटौती का प्रस्ताव रखा तो सरकार पर अनेक आरोप लगाये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है उन्होंने हमें विरासत में ऐसे लोगों को दिया जिनको उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए सामूहिक और सार्वजनिक रूप से मान्यता प्रदान की थी और जो उनकी योजना में सहयोगी नहीं बने उनको उन्होंने दंडित किया। आज हमें काम उन्हीं से लेना है। हमारी नीतियां ठीक हैं, लेकिन उनका अनुपालन करने वाले जो लोग हैं उनकी आदतों को हमें सुधारना है। यह बात सही है कि हमने जो वायदे किये थे, जनता से उस रूप में अभी पूरे नहीं किये, लेकिन जहाँ तक नीतियों का सवाल है वह ठीक है। मुझे विश्वास है कि अगर हम अपनी नीतियों का अनुपालन करा सके तो जनता में अवश्य संतोष होगा।

समय बड़ा कम है मैं केवल दो ही विषय पर अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा। जहाँ तक जनप्रतिनिधियों के पत्रों के उत्तर के संदर्भ में इस पुस्तिका में भी जिक्र है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण मे जिक्र किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता सरकार की यह नीतियाँ केवल पुस्तकों और सरकारी फाइलों तक ही सीमित न रहे। हम लोग चिट्टी लिखते हैं लेकिन किसी भी चिट्टी का जवाब अधिकारियों के यहाँ से नहीं आता है। कुछ उत्तर मंत्रियों के यहाँ से जरूर आ जाते हैं, लेकिन अधिकारीगण माननीय सदस्यों के पत्रों का उत्तर देना या तो उचित नहीं समझते या उत्तर देना अपना अपमान समझते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर उन्होंने वायदा किया है तो उसको पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उन्हें उठाना चाहिये।

मान्यवर, कल प्रान्त में अराजकता की बात कही गई। यह जो पुस्तिका शासन की ओर से दी गई है इसमें से पुलिस द्वारा किये गये अनेक कार्यों का जिक्र है। उसमें 9 विशेष

संख्या 3—मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

मुठभेड़ों का जिक्र है जिसमे डकैतों के मारे जाने का भी जिक्र है। यह डकैत भी हमें विरासत में उसी सरकार से मिले थे जो पिछले 25 वर्षों से फरार थे। मैं तो कहता यह हूं कि उन्हें कांग्रेसियों के संरक्षण प्राप्त थे। हमारी जनता सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक इस दिशा में अपना कड़ा कदम उठाया है और इतने कम समय में भी इस प्रकार के डकैतों को मारने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। आज ट्रांसफर की समस्या हम विधायकों के लिए और खास कर अधिकारियों के लिए काफी जटिल बन गयी है। इसके निराकरण के लिए मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इसमें स्थानीय और राजनैतिक दखल इस्तेमाल नहीं होना चाहिये। लेकिन मैं उनसे और अन्य मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि पहले वह स्वयं अपने में सुधार लावें, तो समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

(श्री मंजूर अहमद का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

आपने कोई नियम तो बनाया होगा बुलवाने के लिए ? हम देख रहे हैं कि किसी-किसी दल के दो-दो लोग बोल चुके हैं और किसी दल के एक सदस्य को भी मौका नहीं मिला है। किसी-किसी की तरफ आपकी नजर ही नहीं जाती है।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी बात नहीं है, मेरी नजर सब पर जाती है।

श्री राम आसरे वर्मा—

कम्युनिस्ट पार्टी के दो बोल चुके हैं.....

श्री अधिष्ठाता—

वह तो आप पहले की बात कह रहे है, आप बैठिये अब सब ठीक चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय नेता सदन बुजुर्ग आदमी है, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और चूंकि उनको काफी अर्से से जानता हूं बुलन्दशहर के रहने वाले है, इसलिए उनके कार्यकलापों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। कल भी और उससे पहले भी उन्होंने एक बड़े अंदाज में कहा कि हम पुराना कीचड़ और गंदगी साफ कर रहे हैं और उसे साफ करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कल वह सारा सामान्य प्रशासन छोड़कर, पुलिस के बारे में बोलते रहे हैं। जब से जनता सरकार इस प्रदेश और देश में आई, अपने कुकर्मों के लिए उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य पुरानी सरकार की मिसाल देते है, किन्तु यदि वह अच्छा काम किये होते तो आपको मौका कैसे मिला होता। यदि आपको भी वही सारी नकल करनी है और उससे भी आगे बढ़कर जनता के साथ गड़बड़ी और धोखा देना है, तो आपको जनता

[श्री मन्जूर अहमद]

पार्टी की सरकार नहीं जनता विरोधी सरकार कहलाना चाहिए और यह आप कह भी रहे हैं। मैं एक शायरी का एक किता पढ़कर आजकल के हालात पर, अपनी आप की बात कहूंगा। यह मैं उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और जनता के हवाले करना चाहता हूं:—

"तुमने खुद ही राहजनों को नये चेहरे बख्शे,
लुटे हो तो लुटो, शोर मचाते क्यों हो।
आग मस्जिद में लगेगी तो जलेगा मन्दिर,
ऐसा समझते हो तो फिर आग लगाते क्यों हो ?"

माननीय नेता सदन को सारे देश और प्रदेश की जनता जानती है और हमारे केन्द्रीय उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री भी उन्हें भली भांति जानते हैं। उन्होंने 1969 में यह कह कर कांग्रेस छोड़ी थी कि माननीय बनारसीदास जैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जाय जिसने पूरे कोआपरेटिव मूवमेंट को चौपट किया हो, उत्तर प्रदेश में गंदगी और भ्रष्टाचार को पनपाया हो। मैं नहीं कह रहा, मैं तो बहुत आदर करता हूं। यह माननीय चौधरी चरण सिंह की बात को दोहर रहा हूं। मेरी बात नहीं, मैं तो आदर करता हूं। मेरे तो बुजुर्ग हैं। (व्यवधान) (एक सदस्य के खड़े होने पर) आप जरा बैठिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप समय का खयाल रखें।

श्री मन्जूर अहमद—

उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार आयी।

श्री अधिष्ठाता—

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठें। कड़ी से कड़ी बात सुननी चाहिए। उत्तर देने का आपको मौका मिलेगा। इससे कड़ी भाषा में उत्तर दे सकते हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

जैसे ही चौधरी चरण सिंह के मुनीम भूतपूर्व मुख्य मंत्री रामनरेश जी नियुक्त हुए...

श्री बाबू बदरे—

"मुनीम" शब्द क्या संसदीय शब्द है ?

श्री अधिष्ठाता—

जो माननीय सदस्य इस सदन के नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, यह मान्य परम्परा है।

श्री मन्जूर अहमद—

माननीय राम नरेश को आजमगढ़ से लाकर उन्होंने अपने हितों की सुरक्षा के लिए यहाँ पोस्ट कर दिया। कोई बात नहीं। सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं। इसका मुझे कोई दुख नहीं। एकदम, लगातार आई0 जी0 बदला गया, चीफ सेक्रेटरी बदला गया, एस0 एस0 पी0 बदले गये, पश्चिम में सारे, चूंकि चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदार थे लाल सिंह वर्मा को आई0 जी0 बना दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

उनका भी नाम न लें।

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठें।

श्री मन्जूर अहमद—

मुझे ताज्जुब है की बीच में आप खड़े हो रहे हैं। हमारे देश के जितने बुद्धजीवी, किसान, मजदूर हैं, सब जानते हैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव और जाट के अलावा कोई दरोगा भी नहीं मिलेगा, माइनारिटी के अधिकारी का तो नाम ही नहीं। रमेश चन्द्र शर्मा

जो चौधरी साहब के खिलाफ काँग्रेस का एजेन्ट था, उसको जागस गाँव में मारा गया, यानी चौधरी साहब के एजेण्टों ने उसी दिन मार दिया। जब मुलजिमों की गिरफ्तारी का सवाल आया तो एक दम आई0 जी0 ने और चौधरी साहब ने मिल कर वहाँ के एस0 एस0 पी0 को हटाया। और एस0 एस0 पी0, जो सबसे जूनियर था, पी0 ए0 सी0 से लाकर 24 घंटे के अन्दर उसकी पोस्टिंग करायी गयी। उसी जिले में हरिजन डिप्टी रजिस्ट्रार मि0 दोहरे था, उसे हटा कर मिस्टर यादव को डिप्टी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया। डिप्टी केन कमिश्नर उसी जिले में ठाकुर था उसे हटा कर यादव डिप्टी केन कमिश्नर नियुक्त किया गया। मान्यवर, तीन महीने में, जिसे चीफ मिनिस्टर और चौधरी साहब ने डी0 आई0 जी0 पोस्ट किया मेरठ में, वह ठाकुर था, चूंकि उसने ठीक काम किया, एक दरोगा के कहने से, उसका ट्रांसफर कर दिया।

श्री अधिष्ठाता––

अब आप समाप्त करें।

श्री मन्जूर अहमद––

कैसे समाप्त कर दूं अभी तो असली बात पर आ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता––

एक मिनट में कहिए।

श्री मन्जू अहमद––

श्री रामनरेश यादव जी ने अपना कुछ वक्त निभा भी दिया, मगर नेता सदन श्री बनारसीदास ने अलीगढ़ के काँड को लेकर तीन बयान दिये। सबसे पहला बयान देते हैं कि माइनारिटी करेक्टर के विरोधियों ने घटना की है दादरों में जाकर। दूसरा बयान दिया है कि दूध वालों के साथ यह दुर्घटना हुयी है और तीसरा बयान दिया कि लड़कियों की छेड़खानी से यह हुआ। जिस दिन से यह बयान दिया उसी दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में माइनारिटी भयभीत है। इन्होंने सदन को गुमराह किया है।

श्री अधिष्ठाता––

मन्जूर साहब आप बैठिए। आपका समय हो गया है। अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मन्जूर अहमद––

इन्होंने झूठ बोला है, आज एक मुख्य मंत्री मेरठ में रहता है जो बनारसी दास का सुपुत्र है।

श्री अधिष्ठाता––

अब समाप्त करिये।

श्री मन्जूर अहमद--

मान्यवर, मुख्य मंत्री इनके लड़के मेरठ में रहते हैं रबर फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। एक मुख्य मंत्री श्रद्धा कुमारी हैं तीसरा दिल्ली में चौधरी चरण सिंह है। इस तरह से पूरे उ0 प्र0 में कोई शासन नहीं है मैं दरख्वास्त करूंगा, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। यह जनतन्त्र के दुश्मन हैं और अमीरों के गुलाम हैं। इसलिए इनको तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है, जहाँ तक सम्भव हो सके, उनको वह समावेश करें। सामान्य प्रशासन की समस्या जो है उस पर हम विचार करें तो हम देखेंगे जो पश्चिमी सभ्यता है उसी के अनुरूप पिछले शासन ने काम किये। हमारे यहाँ उद्योगों के बढ़ावा के कारण और विभिन्न नीतियों से पूंजीवादी प्रवत्तियों को बढ़ावा मिला जिसके कारण गरीब-अमीर की खाई बढ़ती गयी। सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक विषमता के कारण यह खाई बढ़ती गयी। प्रजातन्त्र की सफलता के लिए भारतीय दार्शनिकों ने यह विचार स्वीकार किया कि प्रशासनिक इकाइयाँ जितनी छोटी होंगी, प्रशासन उतना ही अच्छा होगा। यूनान के प्रसिद्ध दर्शनिक प्रोटोगोनिस ने भी यह स्वीकार किया है। गाँधी जी ने भी यह स्वीकार किया कि किसी भी प्लानिंग की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि अन्तिम व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचता है। आज होता यह है कि सभी को पूरा हिस्सा नहीं मिल पाता है, प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा कैसे प्राप्त हो यह सोचने की बात है। यह स्वीकार किया गया है कि इकाई जितनी छोटी होगी, वह अच्छी होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की साझेदारी सुनिश्चित कर दी जानी चाहिये प्रशासनिक कार्यों और राजनैतिक कार्यों में उन्हें पूरा हिस्सा मिले अगर ऐसा होता है तो कोई भी प्रजातांत्रिक प्रशासनिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मैं चाहूंगा कि हमारी जो ग्राम पंचायतों के जो अधिकार हैं उनको बढ़ाया जाय और प्रशासनिक कार्यों में इनकी साझेदारी को बढ़ाया जाय।

हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत पुराने हैं। उन्होंने सारे विचारों को पढ़ा है। डा0 राधाकृष्णन ने भी यही कहा। इसी तरह से डेमोक्रेसी इन दि ईस्ट में डा0 आर0 के0 मुकर्जी ने यही विचार व्यक्त किया। लेकिन आज जो प्लानिंग होती है तो यह विचार सामने नहीं रखा जाता है। हमारे यहाँ औद्योगीकरण हुआ। महात्मा गाँधी जानते थे इससे देश की समस्यायें और विषमतायें बढ़ेंगी यदि मातृ उद्योगों (Mother Industries) का राष्ट्रीयकरण तथा उद्योग की सामग्री निर्माण के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण न हुआ तो उनका विचार पश्चिमी सभ्यता के आधार पर जो भौतिकता के पीछे चलने वाले हैं उससे भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ी है। गाँधी जी के विचारों के आधार पर संयम व सादगी को इसमें स्थान देना होगा।

पुलिस के सम्बन्ध में जो आँकड़े दिये गये हैं, उनको आप देखेंगे कि लगातार जो लूट, डकैतियाँ और हत्याओं की संख्या दी गयी है, वह वर्ष 1978-79 में वृद्धि हुयी है। इसके कारण क्या हैं? हम यह मानते हैं कि जितने भी हमारे राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनको अपनी बात करने और अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृखंलता बढ़ी है उसका यह प्रभाव पड़ा है कि जो विरोधी दल के लोग हैं उन्होंने इन अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। हमारी कार्यकुशलता भी उतनी नहीं बढ़ी है, कुछ कमी तो रही है प्रशासनिक चुस्ती को जिसके कारण जो आँकड़े रखे हैं, आपराधिक वृद्धि दिखाई दे रही है उनमें सुधार नहीं हुआ है।

जहाँ तक पुलिस का अपराध नियंत्रण का सवाल है मेरी एक अधिकारी से बातचीत हो रही थी, उसने कहा कि शिकागो में एक समय ऐसा आ गया था कि इस बात का विज्ञापन तक करना पड़ा कि कौन-सा ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ की अपराध स्थिति को सुधार सकता

है। एक नहीं 6 बार विज्ञापन हुआ, लेकिन कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा। फिर एक प्रोफेसर ने इसके लिए कहा कि अगर मेरी ये ये शर्तें मान ली जायं तो मैं सुधार करूंगा। ये शर्तें ऐसी थीं कि उनको मानना पुलिस अधिकारियों को असम्भव था। फिर भी पुलिस वालों ने कहा कि इनकी शर्तों को मान लिया जाय, क्योंकि अपराध समाप्त करने थे। तो पता चला कि कुछ समय बाद स्थिति यह हो गई कि चोरी का अपराधी 3 मिनट में पकड़ा जा सकता था। हमारे यहाँ पर आज भी प्रोत्साहन देने के नाम पर सेवाओं को कलंकित करते हैं। पुलिस की जितनी परिलब्धियाँ है, उनमें सुधार होना चाहिए, उनके आवास के लिए उनका अपना निर्माण निगम होना चाहिए। जहाँ तक सामान्य शासन में सुधार की बात आती है, उसके लिए हमें आज हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिये कुछ न कुछ उपाय करने चाहिय, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए हमें अवश्य ही कुछ कदम उठाने चाहिए।

शासन के बारे में एक बात मुझे और कहनी है कि जो इसके अंग हैं प्रशासक के लोग; उनकी जितनी माँगें है, उनको पूरा करने में शासन को अधिक समय देना पड़ता है तो विचार करना होगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं।

जहाँ तक व्यय का प्रश्न है हमारे मंत्रि-परिषद, सचिवालय के व्ययों में बढ़ोत्तरी दिखायी गयी है। हमारे मुख्य मंत्री जी गाँधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। यह व्यक्तिगत सवाल नहीं, नीतियों का सवाल है, जब गाँधी जी विदेशी माल की होली जलवाते थे तो ये गद्दे और फर्श अगर आप जला नहीं सकते हैं तो इनको नीलाम कर दें। आज इस प्रकार के व्यय बहुत बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से देखा जाय कि और कार्यों में हम किस प्रकार से सादगी ला सकते है, सुधार कर सकते हैं। कांग्रेस शासन काल में वर्ष 1975–76 और 1976–77 में जो व्यय बढ़ा था, हम कम से कम उनसे तो कम कर दें हम विधायक निवास में रहते है, उनमें जो पर्दे लगे है, उनसे और अच्छे पर्दों की मंत्रियों को क्या आवश्यकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठिये।

श्री नेम सिंह चौहान—

श्री राज्यपाल के कार्यालय की शोभा एवं वैभव आदि पर आज अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा व्यय किया जा रहा है। उस व्यय में भी कमी की जानी चाहिये।

(इस समय 2 बज कर 52 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

सूचना विभाग इमरजेन्सी के जमाने में गली-गली इन्दिरा गाँधी के नारों का और फैमिली प्लानिंग का प्रचार करता था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, काफी समय आप ले चुके हैं। अब खत्म करें।

श्री नेम सिंह चौहान—

आज जिलों में जो सूचना अधिकारी हैं वे सक्रिय नहीं दिखायी पड़ते। आज हम चाहे बसों में जायं, चाहे रेल से सफर कर रहे हों, हर जगह आलोचना होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करते हुये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, 30 वर्ष के निरंकुश, भ्रष्ट और तानाशाही प्रशासन से छुटकारा मिलने के बाद आज हम लोगों की यह जिम्मेदारी हो गयी है कि जनता की जो हमसे आशायें बंधी थीं उन आशाओं को हम पूरा करें।

हमारे नेगी जी ने अभी आपस की फूट का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि यह बड़े ही फक्र और गर्व की बात है कि सरकारी पक्ष के लोग, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिये, उसको एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिये, स्वच्छ और प्रखर आलोचना करते हैं। माननीय रियासत साहब और माननीय नेगी जी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के लोग अच्छी तरह स जानते हैं कि कांग्रेसी लोग कांग्रेसी शासन में आँखों में पट्टी बाँध कर भ्रष्ट प्रशासन की हाँ में हाँ मिलाया करते थे और उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि केन्द्र का डंडा उनके सर रहता था। आज वह स्थिति नहीं है। इसको शुभ लक्षण भी कहा जा सकता है।

जन समस्याओं से सम्बन्धित पुलिस, मान्यवर, आज तीन हिस्सों में बंटी हुई है। एक सिविल पुलिस, दूसरी एस0 आई0 एस0 और तीसरी सी0 आई0 डी0। यह दुर्भाग्य का विषय है कि सिविल पुलिस के लोग एस0 आई0 एस0 में तथा इसके लोग सिविल पुलिस में चले जाते हैं। इसी तरह सिविल पुलिस के लोग सी0 आई0 डी0 में तथा यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, उनका ट्रांसफर होता रहता है। इससे जनता की समस्याओं का हल नहीं हो पाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जनता में सी0 आई0 डी0 पर अटूट विश्वास है। मेरा ख्याल है हर क्षेत्र के लोग आते होंगे और जब पुलिस सम्बन्धी कोई घटना होती है, तो उनकी इच्छा होती है कि जाँच सी0 आई0 डी0 से करा ली जाय। जनता की सी0 आई0 डी0 में बड़ी श्रद्धा बनी हुई है। लेकिन होता यह है कि सिविल पुलिस के लोग थानेदार जो भ्रष्ट सिद्ध होते हैं, जिनका आचरण खराब होता है, जिनकी जनता शिकायत करती रहती है। ऐसे थानेदारों का ट्रांसफर कभी एस0 आई0 एस0 कर दिया जाता है, कभी सी0 आई0 डी0 में कर दिया जाता है। मान्यवर, मानी हुई बात है कि जो भ्रष्ट दरोगा सी0 आई0 डी0 में पहुंचेगा, तो वह किसी टना की वास्तविकता तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका आचरण अच्छा नहीं है। वह शुद्ध नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह जनता पार्टी की सरकार, यह 30 साल से जो समस्या चली आ रही है, इस हास्यस्पद समस्या को समाप्त क । मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और यह जो नियम बना हुआ है, इसको तोडे। अच्छा यह होगा कि मैं तो यह चाहूंगा और यह जनहित में है, मान्यवर, सी0 आई0 डी0 विभाग, पुलिस का बहुत ही शुद्ध, साफ हो। सी0 आई0 डी0 विभाग में सीधे भर्ती होनी चाहिए और मैं यह चाहूंगा कि पलिस सी0 आई0 डी0 को सबसे ज्यादा वेतन, सबसे ज्यादा सुविधायें मिलनी चाहिये ताकि लोग उस विभाग को भ्रष्ट न कर सकें।

मान्यवर, इसी तरह से जब कभी जनता की घटना होती है, कोई समस्या होती है और स्थानीय थानेदार पर अविश्वास होता है, तो वह जाँच, वह इन्वेस्टिगेशन, एस0 आई0 एस0 को दे दिया जाता । तो जाहिर है कि एस0 आई0 एस0 की जाँच से जनता को कोई काम मिल नहीं पाता। सही घटना की असलियत खुल नहीं पाती। इसलिए मान्यवर,

संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सर्तकता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग, –पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा–विभाग ऋण और अग्रिम

मैं यह कहूंगा कि एस0 आई0 एस0 विभाग भी अलग रखना चाहिए और दूसरे विभाग से ट्रांसफर नहीं करना चाहिये। इससे जनता की और शासन की समस्यायें बनी रहती हैं। जरूरत इस बात की है कि पुलिस विभाग पर जनता का विश्वास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जनता का विश्वास दिन-प्रति-दिन घटता चला जा रहा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्री लोग बादशाहों की तरह शासन करना बंद कर दें। इन्हें गोपनीय तरीके से पता लगाना चाहिये और जहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उनको छापामारी करके तत्काल उस समस्या का निराकरण करना चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से न तो यहाँ के उच्चाधिकारी इस तरह का आचरण कर रहे है और न मंत्रीगण कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह कहना काफी नहीं है कि जरायम घट रहा है, अपराध रहा है। मान्यवर, अपराध और जरायम घटने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। व्यापक रूप से यह बढ़ता चला जा रहा है। हम लोगों को आँख पर पट्टी बाँध कर काम करना उचित नहीं होगा। मान्यवर, दो मिनट और दे दें हमें।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं 7 मिनट हो चुका।

श्री मोती लाल देहलवी—

अच्छी बात, मान्यवर।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, इधर भी ध्यान दे दें।

श्री गौरी शंकर भैया—

मान्यवर, बलिया जिले के किसी भी व्यक्ति को मौका नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

बलिया को जरूर मौका मिलेगा।

श्री गौरी शंकर भैया—

मान्यवर, हमें मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको मौका मिलेगा।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, जनता सरकार ने जनहित में बहुत काम किये हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि है तो प्रशासन संबंधी। इससे मुख्य मंत्री व अन्य वरिष्ठ मन्त्रीगण भली भांति परिचित है

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी]

कि यदि कहीं कोई कमी है तो ला एण्ड आर्डर की। नौकरशाही इतनी बढ़ गई है कि मंत्रीगण आदेश ते हैं और सचिव उन्हें अपनी टेबिल पर वैसे ही पटक देते हैं। पुलिस प्रशासन के संबंध में भी, आप वेतन बढ़ायें, लेकिन अनुशासन कायम कीजिये। सुविधाएँ ीजिये लेकिन जो भ्रष्ट कमायी है, उसे बन्द करायें। जो यह स्तक सामान्य प्रशासन की है इसमें वार्षिक प्रतिवेदन में लिखा है कि "भ्रष्टाचार की शिकायतों में शीघ्रता से कार्यवाही कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गतवर्ष भ्रष्टाचार विरोधी समितियाँ गठित की गयी थीं, जिनमें पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त संबंधित जिले के तीन सम्भ्रान्त, सत्यनिष्ठ एवं निष्पक्ष अशासकीय व्यक्तियों को भी सदस्य बनाया गया है।" मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन जिलों में समितियाँ गठित की गई हैं? उन्नाव में कोई समिति नहीं है।

भ्रष्ट लोक सेवकों को उत्को लेते हुए पक ने के लि राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी से सम्बद्ध एक-एक ट्रैप निरीक्षक नियुक्त किये जाने के शासन के पूर्व निर्णय के अनुसार अधिकाँश जनपदों में ट्रैप निरीक्षक नियुक्त किये जा चुके हैं और शेष जिलों में भी नियुक्तियाँ किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरा सुझाव है कि इन प निरीक्षकों को जिलाधिका ी से अलग कर दिया जाये, एक अलग विभाग कायम किया जाये।

सूचना एवं प्रसार की यह पुस्तक मेर सामने है, इसमें मान्यवर, जहाँ पर प्रकाशन शाखा पत्र, सूचना शाखा, विज्ञापन आदि-आदि चीजों की ओर ध्यान आकृष्ट किया इसमें कहीं पर पत्रकारों की ओर कोई ध्यान शासन ने नहीं दिया है। विभिन्न जनपदों से छोटे मोट समाचार पत्र निकलते हैं लेकिन पत्रकारों की सुविधाओं के संबंध में, उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता। गत वर्ष 2 हजार किलोमीटर तक परिवहन की सुविधा देने के आदेश हुए थे। एक वर्ष बीत गया, अभी तक उनको सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। केरल की भांति यहाँ भी पत्रकारों को पेंशन की, जिसकी घोषणा 16 अक्तूबर, 1976 में सरकार ने की थी, योजना लागू की जायेगी। लेकिन मान्यवर, यह घोषणा मुख्य मंत्री जी की क्या हुयी? उसका पालन क्यों नहीं हुआ? वह फाइल कहाँ दब गयी? आज तक जानकारी नहीं है। तो जहाँ तक मैं समझता हूं कि जहाँ अन्य लोगों की ओर ध्यान दिया गया है वहाँ पत्रकारों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। पत्रकारों के कल्याण की योजना बनानी चाहिये। एक प्रेस परामर्श दात्री समिति गठित हुयी है, उसमें मैं नहीं जानता कि कैसे लोग भर दिये गये हैं और वरिष्ठ पत्रकारों की उपेक्षा की गयी है। मान्यता समिति के लिए भी आपने कोई नियम नहीं बनाया।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका एक मिनट रह गया है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

नहीं मान्यवर, मेरे दो मिनट हैं? आज पत्रकारिता भी एक व्यवसाय बना दिया गया है। मान्यवर, हम पत्रकारों को सुविधा देने की बात करते हैं लेकिन उन पर अंकुश भी रखना चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसे तमाम पत्र हैं जो एक ही घटना को एक ही स्वामी विभिन्न नामों से दैनिक, सप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्रों में छापते हैं और विज्ञापन लेते हैं।

चूंकि समय कम है इसलिये मैं अब कर्मचारियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। "दैनिक जागरण" कानपुर से निकलता है। मान्यवर, अनेकों बार न्यायालय से कर्मचारियों के संबंध में आदेश दिया गया है कि कर्मचारियों का पैसा दिया जाय, लेकिन आज तक नहीं

संख्या 3––मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18––सचिवालय, अनुदान संख्या 19––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30–सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35––प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38––विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45––सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख––गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112––प्राविधक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

दिया गया। मेरा अनुरोध है कि इन कर्मचारियों की ओर भी ध्यान दिया जाय। "नेशनल हेराल्ड", "नवजीवन" की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। छः मास से अखबारों का प्रकाशन बंद है। अब तक 6 कर्मचारियों की मौतें हो चुकी है, लेकिन आज तक उनका पैसा नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष––

आप समाप्त करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी––

सरकार को इन प्रेस के कर्मचारियों की ओर ध्यान देना चाहिये और उनकी समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान देना चाहिये। धन्यवाद।

श्री राम आसरे वर्मा––

मान्यवर, सामान्य प्रशासन के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किये हैं और उसके विरोध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, प्रशासन के बारे में कुछ कहने के पहले, शासन में और शासन से संबंधित जो लोग हैं जो बोलते हैं कम से कम उन्हें अपनी बगलें टटोल कर देखनी चाहिये। प्रशासन और स्वच्छ, चुस्त प्रशासन की बातें करते हैं। लेकिन हम यहाँ देखते हैं तो दुखद स्थिति पाते हैं कि शासन के लोग ही खड़े होते हैं बोलने के लिये, तो कहते हैं हम अनुदान का समर्थन करते हैं लेकिन जब दूसरा वाक्य निकलता है तो ऐसा निकलता है जैसे वह पैनी छुरी हो। सारी बातें विरोध की उनकी होती हैं। लेकिन मैं इसे नैतिकता की बात नहीं समझता हूं। अगर नीतियों से विरोध है तो ईमानदारी का तकाजा है कि शुरू से विरोध कीजिये और आखिर तक कीजिये। समर्थन से शुरू करते हैं और विरोध पर उतर आते हैं यह नैतिकता का तकाजा नहीं है। अनैतिक काम करने वाले अगर प्रशासन के अधिकारियों को नैतिकता का उपदेश दें, प्रदेश की जनता के सामने उनको कोई नैतिक बात कहने का अधिकार नहीं है।

आज पूरे प्रदेश में देखता हूं कि जनता पार्टी के शासन में आपस में किस तरह की खींचातानी मची है। एक न एक मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं चाहे वह सही हों या गलत, मैं नहीं जानता। जनता पार्टी के ही लोग सामूहिक रूप से खोद-खोद कर इन चीजों को लाते हैं। कहते हैं हम इतने अच्छे हैं कि अपने लोगों के पापों को भी छिपाना नहीं चाहते हैं। तो यह ठीक है लेकिन अपने पाप को वह छिपाना चाहते हैं। यदि आप समझते हैं कि जनता पार्टी के शासन में भ्रष्ट, घूसखोर, गलत काम करने वाले तमाम मंत्री हैं तो आप उनको छोड़ें और हमारी तरफ बैठें। लेकिन आप यह नहीं करते हैं।

[श्री राम आसरे वर्मा]

जब यह मुख्य मंत्री जी आये थे तो उस समय एक पूरे प्रदेश में हलचल मची और दहसत छा गयी कि एक अनुभवीशील व्यक्ति मुख्य मंत्री के पद पर आ गये हैं। और इससे प्रशासन में चुस्ती आयेगी। लेकिन ज्यो-ज्यो समय बीतता गया उनकी दहशत समाप्त हो गयी। प्रशासनिक मशीनरी पर जो आप नियंत्रण रखते हैं उसका उल्टा हो रहा है और प्रशासनिक मशीनरी आप पर नियंत्रण रख रही है। यहां तक कि जिला स्तर तक के अधिकारी मंत्रियों के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो क्या कमी है मंत्री के आदेश से उससे उनको मतलब नहीं है। इसलिये जब मंत्री अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक न हों तो जाहिर है कि प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की नजर में आपका क्या स्थान होगा। मंत्रियों के दरबार में जाते हैं तो कह दिया जाता है कि ट्रांसफर के या अन्य काम के बारे में न कहें, लेकिन उनके दरबार में सब वही काम हो रहे है। मान्यवर, आज भी सवाल था कि ट्रांसफर और काम के संबंध में कोई स्पष्ट नीति तय हो जानी चाहिये। इससे दो फायदे होंगे। एक तो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी समझेंगे कि आप सही तरीके से रास्ते पर चल रहे हैं और दूसरे उनकी जो आलोचनायें होती हैं तो कम से कम उनके दिमाग में यह बात रहेगी कि यदि उनको कहीं से हटना है तो एक नीति के अन्तर्गत ही हटना होगा। यह नहीं कि मंत्री जी के दिमाग में जो बात आये और उनके मन का न हुआ तो उनका पत्ता साफ हो गया।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि शासन क्षमतापूर्वक काम क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि कर्मचारियों के मन में अस्थायित्व की भावना है कि पता नहीं किस दिन इनकी कुर्सी डगमगा जाय। इसलिये वह ठोस और स्थायी मन से काम नहीं कर पाते हैं? इसलिये मान्यवर, प्रशासन में ढील है जिसको सभी जानते हैं क्योंकि शासन का प्रशासन पर अंकुश नहीं रह गया है। इसलिये शासन का प्रशासन पर अंकुश तभी हो सकता है जबकि शासन पहले यह आदर्श प्रस्तुत करे कि उसकी काम करने की स्पष्ट नीति क्या है जिसके अन्तर्गत प्रशासन को बांधना चाहिये। इसके अलावा सरकार जनता में विश्वास पैदा करे कि वह स्थायी सरकार होगी। यदि यह बातें नहीं होंगी तो अच्छी नीति भी लागू नहीं होगी।

आज पूरे प्रदेश में प्रशासन में देखते हैं कि आपातकाल में जो लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर भेजे गये थे और जुल्म का राज पैदा किया तथा लोगों को गिरफ्तार कर अनेक परिवारों को जिन्होंने तबाह किया उन अधिकारियों के बारे में भी आपने कोई नीति नहीं तय किया है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी को व्यक्तिगत तरीके से कोई यदि आघात पहुंचा हो तो उसके लिये शायद कार्यवाही हो गयी हो। लेकिन आम तौर से जो जनरल पालसी होनी चाहिये थी, वह शासन में नहीं रही। इतना ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों पर तरह-तरह के नाजायज दबाव भी डाले जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें आपके आदेशों से मुकरने का भी अवसर मिलता है। कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, जब बिना सोचे हुये किसी तरह के आदेश दिये जायेंगे तो एक आदेश का पालन तो कर देंगे, दो आदेश का पालन तो कर देंगे, लेकिन बार-बार पालन करने का मतलब होगा कि वे आपके आदेशों के पालन करने से मुकरेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि आपका शासन टिकाऊ नहीं है। कांग्रेस शासन में जो काम उनके द्वारा किये गये, उसका चार्ज उन पर लगाया गया और वे जानते हैं कि आपके बाद जो दूसरा शासन आयेगा, तो आपके समय में किये हुये कामों का जबाव उसको देना पड़ेगा, क्योंकि शासन का दोष प्रशासनिक अधिकारी पर मढ़ा जाता है। इमरजेंसी के पहले कांग्रेस शासन में जो भी काम गलत ढंग से हुये थे, यही कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारी दोषी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी कम और शासन ज्यादा दोषी होता है और उसकी सजा उनको जनता

संख्या 3—मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

देती है। उसका बदला अगर प्रशासनिक अधिकारियों से लेंगे तो आप पर भी उनका विश्वास नहीं होगा और जब विश्वास नहीं होगा तो समन्वय नहीं होगा। तो इस तरह से एक अनिश्चित नीति के अभाव में शिकायतें बनी रहेंगी।

मान्यवर, आज देखें तो किसी भी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। कदम-कदम पर घटनायें हो रही हैं—किसी को चाकू मार दिया जाता है, किसी का घर लूट लिया जाता है एक असुरक्षा की स्थिति मौजूद है। फिर कह दिया जाता है कि पुलिस निकम्मी है। निश्चित रूप से पुलिस का संबंध शासन से है। जब शासन निकम्मा होता है तो पुलिस भी निकम्मी होगी। और विरोधी पक्ष के लोग भी चूंकि इस माननीय सदन के मेम्बर हैं, इसलिये शासन के प्रति उनका भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व है, लेकिन वे अपने उत्तरदायित्व को तभी निभा सकते जबकि उनके कामों में हस्तक्षेप बन्द कर दें।

मान्यवर, मैं 2/3 मिनट में अपनी बात समाप्त किये देता हूं। आपके पुलिस विभाग में कई शाखायें हैं–पी0 ए0 सी0, एल0 आई0 यू0, सिविल पुलिस, लेकिन उसमें पदोन्नति की एक नीति नहीं है। जो सिविल पुलिस में जूनियर है, उसकी पदोन्नति हो जाती है, लेकिन जो एल0 आई0 यू0 में सीनियर पड़ा है, वह वहीं पड़ा रहता है। तो आपको चाहिये कि सिविल पुलिस से एल0 आई0 यू0 और एल0 आई0 यू0 से सिविल पुलिस–इस तरह से बराबर चेंज करते रहें, ताकि सभी लोगों को बराबर फायदा पहुंचे और लोगों का उत्साह बना रहे और रुचि बनी रहे।

मान्यवर, अभी नेगी साहब ने विधान सभा के अंगरक्षकों के बारे में बड़ी अच्छी बात कहीं। हमारे कौंसिल हाउस गार्ड्स का दर्जा पुलिस के बराबर माना गया है, लेकिन पुलिस को जो सुविधायें दी गयी हैं, वे इनको नहीं दी गयी। हम मानते हैं कि पुलिस को कम सुविधाएं प्राप्त हैं और लूटती है पुलिस, यह आरोप भी सही है। लेकिन लूटने का कारण बताया जाता है कि हम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो यह उचित ही है कि पुलिस को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जायं, ताकि उनमें भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन फिलहाल जो सुविधाएं पुलिस को दे रहे हैं, उनके बराबर सुविधाएं हमारे अंगरक्षकों को भी देनी चाहिये लेकिन शायद उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं।

अभी माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि मन्त्रियों के अधिकार बढ़ाये जायं। मैं कहना चाहता हूं कि मन्त्रियों के पास अभी जितने अधिकार हैं, उन्हीं को नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो और क्या करेंगे उनको पहाड़ से अधिकारों के लाद कर? तो जो मन्त्रियों पर फंदा पड़ा हुआ है, उसको ज्यादा न बढ़ायें तो भी अच्छा होगा।

[श्री राम आसरे वर्मा]

मान्यवर, एक बात यह कहनी है कि जो आपके एस0 डी0 एम0/ए0 डी0 एम0 के पदों पर काम करने वाले लोग है, अगर उनको 8 साल का अनुभव हो जाता है तो उनको कलेक्टर बना देते है लेकिन अगर मन्त्रि परिषद् के सदस्य उनसे खुश हो गये तो तीन ही साल में कलेक्टर हो जाता है। कुछ कम खुश हुये तो 4 साल में और बिलकुल नहीं खुश हुए तो 10--15 साल भी लग जाते है। यह भी नीति का अभाव है। हम यह पाते है कि शासन हर क्षेत्र में अपनी नीति को तय करने में विफल हो रहा है, सिर्फ इसलिये कि आपसी लड़ाई भी है, खींचातानी भी है और जब खींचतान होती है तो मंत्री लोग स्वस्थ दिमाग से काम नहीं कर पाते है। एक बात और कहना चाहूंगा कि नैतिकता का उपदेश देने के लिये पहले हम अपने को तो नैतिक बना लें। शासन में जितने भी लोग है, यदि शासन के प्रति विरोध की बात कहनी है तो समर्थन करना बंद कर दें और समर्थन करें तो उस बात का समर्थन करें जिसको गले के नीचे उतार सकें। आज हम देख रहे हैं कि शासन के लोग इधर उधर बैठने लगे हैं। श्री राज मंगल पांडे जी . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

वर्मा जी, अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री राम आसरे वर्मा---

इन सब बातों को देखते हुए एक स्पष्ट नीति कायम होनी चाहिये शासन की, और उसके अभाव में उसे कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है कि प्रशासन को नैतिकता का उपदेश करे या किसी तरह की टीका टिप्पणी उनके बारे में करें।

*श्री नरेश चन्द्र (जिला लखीमपुर खीरी)---

मान्यवर, सामान्य प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को जो कुछ सुविधायें देने की घोषणा की है उस के लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री गौरी शंकर भैया (जिला बलिया)---

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी 4 बजे बोलने वाले हैं और बोलने वालों की संख्या अभी बहुत है इसलिये कम से कम एक घंटे का समय बढ़ा दें ताकि बाकी लोग जो अपनी बात कहना चाहते हैं, वे कह सकें।

श्री उपाध्यक्ष---

वह बढ़ाने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। जब तक हाउस बैठें, तब तक अपने आप बढ़ा हुआ मान लिया जाएगा।

श्री नरेश चन्द्र---

इसके साथ ही मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि जो कुछ कमियां रह गई हैं, उसको भी निकट भविष्य में मुख्य मंत्री जी पूरा करेंगे ताकि दूसरे प्रदेशों जैसी स्थिति यहां पर न आ सके। मान्यवर, जहां सारी व्यवस्थाओं, वायरलेस या जीपों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा रही है, वहीं कांस्टेबुलों की संख्या में जब तक बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी, तब तक पुलिस प्रशासन की क्षमता बढ़ नहीं सकती। कांस्टेबिलों और साथ-साथ थानों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए और थानों का जो रूप इस समय है वह रूप छोटा कर दिया जाना चाहिए ताकि स्टेशन आफिसर के पूर्ण रूप से कन्ट्रोल में आ सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

इसके साथ ही मैं एक रचनात्मक सुझाव भी देना चाहता हूं। आजकल जो नई जाब्ता फौजदारी बनी है उसमें एक धारा है 167सी0 आर0 पी0 सी0, इसके मुताबिक जिन अपराधियों के खिलाफ दो महीने के अन्दर चार्जशीट नहीं आ पाती, उनकी जमानत हो जाती है। इस प्राविधान के कारण जिन केसों में सत्र न्यायालयों से और उच्च न्यायालय से जमानत नहीं होती है, पुलिस अधिकारियों की साजिश से 60 दिन के अन्दर चार्जशीट नहीं जमा होती है और उनकी जमानतें हो जाती है और इसके लिये बड़ी-बड़ी धनराशि पुलिस अधिकारी और विवेचना अधिकारी लेते हैं। लिहाजा मेरा सुझाव है कि धारा 167 सी आर0 पी0 सी0 में संशोधन करने की तरफ भी मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ताकि अपराधी इस प्रकार से पुलिस अधिकारियों की साजिश से न छूट सकें।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन का जिला स्तर पर मुख्य स्तम्भ पुलिस अधीक्षक हुआ करता है। पुलिस अधीक्षक कैसे बनायें जायें, इस संबंध में मेरा सुझाव है कि ऐसे पुलिस अधीक्षक डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पर पोस्ट किये जाने चाहिये जो कर्मठ हों, ईमानदार हो, व्यवहार कुशल हों, उनमें प्रशासनिक क्षमता हो। इस तरह की जानकारी जैसा अभी मा0 मिश्रा जी कह रहे थे विभाग के अध्यक्षों को रहती है कि हमारे स्टाफ में कौन से और कितने अफसर हैं जो कि जिला प्रशासन को ठीक प्रकार से चला सकते हैं।

मैं इस संबंध में जनपद खीरी की ओर इस माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस समय वहां पुलिस अधीक्षक एस0 आर0 दारापुरी को पोस्ट किया गया है जो एक नवयुवक हैं, जिन को प्रशासनिक क्षमता नहीं है। अभी नई सर्विस होते हुये भी उनका यह हाल है कि 15 थानों में से हर एक थाने में 3 हजार, 4 हजार, रुपये प्रतिमाह का उन्हों ने ठेका दे रखा है।

मान्यवर, जिला प्रशासन जनपद खीरी की शांति व्यवस्था को लेकर स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है कि 18 अप्रैल को ठीक कोतवाली के निकट पंजाब सिन्ध बैंक के मैनेजर का मरडर कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने अपनी अक्षमता पर पर्दा डालनें के लिए दिन दहाड़े जो मरडर होता है उसको श्यूसाइड में कनवर्ट कर दिया। इस संबंध में यह सूचना दे रहा हूं कि जिस मैनेजर का मरडर किया गया उसके शरीर में 6 चोटें पाई गयी और सात कारतूस बरामद किये गये और आंठवां कारतूस बंदूक की नली में रखा हुआ था। इसके बावजूद भी ऐसे केस को मरडर न मान कर श्यूसाइड करार दिया गया सिर्फ अपनी अक्षमता पर परदा डालने के लिये। इसी केस के सिलसिले में असंतोष व्यक्त करने के लिये एक सार्वजनिक सभा हुई जिसको सभी दलों के नेताओं नें सम्बोधित किया और मैंने भी सम्बोधित किया। चूंकि पुलिस प्रशासन की आलोचना की गयी थी इसलिए परिणाम यह हुआ कि इन्सपेक्टर, कोतवाली और पुलिस अधीक्षक ने इस बात की ठान ली कि इन नेताओं को आतंकित करने का प्रयास किया जायगा और यह प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर,

[श्री नरेश चन्द्र]

अगर ऐसे पुलिस अधीक्षक का अविलम्ब स्थानान्तरण न किया गया तो सभी का जीवन खतरे में पड़ जायेगा।

12-5-79 को भी कोतवाली के पास एक दूसरा मरडर होता है जिसके सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दूधवा नेशनल पार्क में जहां पर मंत्री लोग पहुंचते हैं दो लाशें पेड़ पर लटकती हुई पायी गयी और दिन पर दिन इस तरह की घटनायें हो रही हैं। अभी मार्च में गोला रोड पर बस में ग्यारह हजार रुपये की लूट हुयी और एक सख्श मार दिया गया पुलिस अधीक्षक और इन्सपेक्टर ने केवल एक सूत्री कार्यक्रम बना रखा ह रिश्वत पैदा करना। इसके अलावा और दूसरा काम नहीं है।

इसी तरीके से जनपद खीरी में जिलाधीश मदन मोहन वर्मा इस समय कार्यरत हैं। उनका भी पुलिस अधीक्षक से कम रोल नहीं है। उनका भी एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है 29 मार्च 1979 को लखनऊ से लखनऊ मण्डल के कमश्निर साहब वहां दौरे पर आये बाढ़ पीड़ितों को 500 बोरे गेहूं, 300 कंबल, 300 धोतियां वितरित करने के लिये लेकिन इन्हें वितरित करने के बावजूद भी ये चीजें बरामद हुई। एस0 डी0 एम0, डी0 एम0 और तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैंने मुख्य मंत्री जी से स्वयं इस पर बात की थी और उन्होंने तहसीलदार को तुरन्त निलंबित करने के निर्देश दिये थे किन्तु उनके आदेश का भी कार्यान्वियन नहीं हुआ।

ओला पीड़ितों के लिये 80 हजार रुपये दिये गये लेकिन यह रुपया खर्च नहीं किया गया....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ। श्रीमती रामरति देवी। अब पाँच मिनट का समय माननीय सदस्य लेंगे क्योंकि समय कम है।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आज जो पुलिस प्रशासन से सम्बन्धित बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूं। देश में शान्ति और सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारी जितनी देश के नागरिकों पर है उतनी ही पुलिस विभाग पर भी है। जो भी सरकारें आई वे समय समय पर इस विभाग को बराबर अधिक से अधिक सुविधायें देती रहीं जैसे वायरलैस की सुविधा, जीप की सुविधा, अधिक कर्मचारियों को बढ़ाने की सुविधा। इन सुविधाओं के बावजूद जो हमको इस विभाग से उम्मीद थी वह हमारी पूरी नहीं हो सकी। आये दिन समाचार पत्रों में जो देखने को मिलता है उससे दिल कांप उठता है। यहां पर कहा तो बहुत कुछ गया लेकिन महिलाओं के सम्बन्ध में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। चाहे दिन हो चाहे रात किसी भी रास्ते से महिलायें अगर निकलती हैं तो उनके साथ अत्यन्त दुर्व्यवहार किया जाता है यह आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है।

अभी हाल ही में बस्ती जिले में नर्सों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। उसकी चर्चा इस सदन में की गयी। कई अधिकारी जो दोषी पाये गये उनको वहां से हटा दिया गया लेकिन कुछ दोषी व्यक्ति अब भी वहां उपस्थित ह। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको शीघ्र ही वहां से हटा दिया जाय। इस विभाग में सबसे बड़ा दोष दिखाई दिया बिरादरीवाद का। यह बिरादरीवाद अधिकारियों तक में पाया जाना बड़े शर्म की बात है। जब उच्चाधिकारियों में ऐसी संकीर्ण विचारधारा पाई जाती है तो सिपाहियों में पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। उनका व्यवहार अपने विभाग में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पिछड़े वर्ग के साथ, हरिजनों के साथ जिस प्रकार का रहता है उसको देख कर बड़ा दुख होता है। थर्ड क्लास तथा फोर्थ क्लास थाने उनको यह कह कर दिये जाते हैं कि तुम सक्षम नहीं हो, थोड़े दिन हुए है तुम को कार्य करते हुए भले ही वह कितना ही योग्य क्यों न हो। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस महकमे का जो यह दोष है उसे वह निकालने की कोशिश करें।

इसके अलावा थाने स्तर पर उनके सामने जो राजनीतिक दबाव पड़ता है उससे उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह भी अपनी जगह सही बात है कि हमारे विधायकगण उनके कार्य क्षेत्र में कभी कभी दखल देते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाये रखने के लिये और अपना दखल रखने के लिये वे अधिकारियों के पास पहुंच जायंगे। इस प्रकार एक क्षेत्र के विधायक दूसरे क्षेत्र के विधायकों का विरोध करते हैं। इसमें हमारे सदन के भाई ज्यादा दोषी नहीं हैं।

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

अपर हाउस के लोगों के बारे में यहां पर कोई चर्चा न करें।

श्रीमती रामरति देवी—

मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे व्यक्तियों के ऊपर कड़ी निगाह रखें। मिसाल के रूप में मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताना चाहती हूं कि वहां पर ऐसी 2/3 शिकायतें आयी है और मैंने मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया है कि ऐसी शिकायतें नहीं होनी चाहिये और उनको दखल नहीं देना चाहिये। ये लोग वहां पर अपनी बिरादरी के नाते, गटबन्दी के नाते सम्बन्ध बना कर अपना काम निकाल लेते हैं। ये बातें बड़ी हद तक वहां हो रही हैं और यह सही है।

आरक्षण के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहती हूं। 30 वर्ष के बाद इस प्रदेश में हरिजनों के लिये एक कमेटी बनायी गई और उसने सदन में अपनी रिपोर्ट दी है। यदि उसको देखा जाय तो दो साल में जिस प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्या हल हो गयी उसी प्रकार हरिजनों के आरक्षण की समस्या भी हल होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री गौरीशंकर भैया (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सामान्य प्रशासन का अनुदान पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ अलीगढ़ के बारे में, जैसा कि मेरे साथी ने कहा,

---

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री गौरी शंकर भैया]

कई टुकड़ों में मुख्य मंत्री ने बयान दिया। वह माननीय मुख्य मंत्री ने अपने विवेक से दिया और उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और उसके लिये उन्हें धन्यवाद देता हूं। प्रदेश की समस्याओं के सम्बन्ध में हर माननीय सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया है। मैं भी बलिया जिले के ला एन्ड आर्डर की सीचुयेशन की ओर उनका ध्यान खींचना चाहता हूं। हर माननीय सदस्य ने अपने-अपने क्षेत्रों में बेकारी, मंहगाई आदि के बारे में कहा है और बलिया भी उन्हीं में से एक है। बल्कि बलिया की हालत और बदतर है। कुछ शब्द मैं अपने जिले के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। इधर 5/6 महीने में बलिया जिले में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि हर तीन चार दिन में वहां पर गन से एक हत्या हो जाती है और हथगोले चलने लगे हैं। मान्यवर, वहां पर कारों एक गांव है वह नरही थाने के अन्तर्गत आता है। वहां पर हथगोले चलाये गये एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी, कई घायल हुए और गांव की लूटपाट करके ये लोग चम्पत हो गये और पुलिस को इसकी कोई जानकारी न हो सकी।

मान्यवर, एक दूसरी सूचना भी इस थाने के अन्तर्गत आयी है। चितवड़ा गांव में एक सम्भ्रान्त व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा हुआ था। डकैतों ने 5/6 गोली उस व्यक्ति को मारा, वह मर गया तब वे बक्शा लेकर चम्पत हो गये। इसकी अभी कोई जानकारी पुलिस नहीं कर पायी है। बलिया नगर में वहां पर रोज बिजली चली जाती है या काट दी जाती है जिससे दुकानों पर प्रतिदिन डाका डाला जाता है और लूटपाट की जाती है। इसी सम्बन्ध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी बलिया गये थे तो उनको बताया गया था कि वहां पर ला एन्ड आर्डर की समस्या बहुत खराब है। पुलिस विभाग के अधिकारियों के स्थानान्तरण का एक चेन बना था उसमें बलिया के एस0 पी0 का भी नाम था। पहले वे सज्जन देवरिया में थे। जब वहां के विधायकों ने हल्ला मचाया तो उनका स्थानान्तरण बलिया कर दिया गया। पुनः इसका स्थानान्तरण बलिया से अन्यत्र किया गया था। उसका स्थानान्तरण बलिया में रोक दिया गया है। तब से वह वहीं पड़ा हुआ है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बातें कहने में हमें कष्ट होता है। हमारे जिले में मुख्य मंत्री को मुख्य मंत्री नहीं माना जाता है गृह मन्त्री को गृह मंत्री नहीं माना जाता है। वहां पर पुलिस अधिकारी, डी0 एम0 और एस0 डी0 एम0 जो हैं, उनका दरबार लगता है। वह जाकर दरबार लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान शासन का उन्हें समर्थन प्राप्त है। उसके कहने पर थानेदारों की नियुक्ति होती है, उसके कहने पर बी0डी0ओ0 और अन्य अधिकारियों की नियुक्तियाँ होती हैं। वहाँ के सारे विधायक जो हैं चाहे वह पाठक जी हों, चाहे चौधरी शंभूनाथ जी हों, चाहे दूसरे विधायक हों वह जानते हैं। हम लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने वाले हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नाम बताइये।

श्री गौरी शंकर भैया—

श्री बच्चा पाठक से पूछ लें वे नाम बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री गौरी शंकर भैया—

तो मैं कह रहा था कि जब वहाँ के पुलिस अधिकारी के स्थानान्तरण की सूचना गई तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस एस0 पी0 से हमारा गला छुड़ाइये। हमारे लिये यह बड़ी बात होगी। (श्री अरुण कुमार का नाम पुकारे जाने पर) मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करता हूं।

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रोद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें मैंने अरुण कुमार जी का नाम पुकार लिया है।

श्री गौरी शंकर भैया—

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये। यह आपका लिखा नहीं जायगा।

श्री गौरी शंकर भैया—

[× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिये, आपका भाषण लिखा नहीं जायेगा।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, सामान्य प्रशासन एवं पुलिस पर जो कटौती के प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा रखे गये हैं मैं उनके समर्थन में चन्द शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से इस पर चर्चा हो रही है माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानून और व्यवस्था के संबंध में उद्बोधित किया था। लेकिन वह अपने मन से सोचें कि विश्वास किया जा सकता है कि राज्य में कानून की कोई चीज नहीं रह गई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात आज हो रही है। किसी की कोई शिकायत नहीं सुनी जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश हेडक्वार्टर तक नहीं पहुंचते हैं रैफरेंस के तौर पर बताना चाहता हूं कि 9 मार्च को उन्होंने आदेश दिये हैडक्वार्टर रामपुर के बारे में वह अभी तक इलाहाबाद में पड़े हुए हैं।

सामान्य प्रशासन और पुलिस के बारे में जितने माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये उनकी भावनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि सब के दिमाग में क्षोभ है, इस बिगड़ी हुई व्यवस्था से उनको चोट लगी है। यह अलग बात है कि जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार की वकालत की लेकिन उनको मालूम हो गया है कि स्थिति खराब है। कुछ सदस्यों ने जरूर पुरजोर से समर्थन किया और कहा कि जनता पार्टी ने भयमुक्त समाज की रचना का निश्चय किया है। लेकिन उसमें कौन लोग हैं, उसमें वहीं लोग हैं जो जखीरेबाज हैं, जो घूसखोर हैं, जो ब्लैकमारकेटीयर हैं, जो दुराचारी और अन्यायी हैं जो समाज में दुर्व्यवहार को जन्म देते है। जो जोर शोर

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अरुण कुमार]

से समाज में अपना हक कायम रखना चाहते हैं, जिन पर पहले पाबन्दी लगी हुई थी उनको फायदा हुआ है। शेष जो लोग हैं सुबह और शाम की क्या कहें जो दिनदहाड़े घरों से निकलने के बाद भी नहीं जानते कि शाम को सही सलामत लौट आयेंगे उनके घर वाले भी इस बात से डरे रहते हैं। इसलिये प्रशासन में मजबूती करने की आवश्यकता है।

यह अलग बात है कि जनतंत्र में पार्टियों का राज्य हुआ करता है। आज आप सत्ता में आ गये, कल को अगले लोग आयेंगे फिर कोई दूसरे आयेंगे लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद शासन को चलाने के लिये आपने जो काम किये हैं जो आज शासन में बैठे हैं आपकी दुर्भावना को देख रहे हैं। आपकी प्रशासन चलाने की नियत स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। आज आप के ही अन्दर विधायकों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। उसको बरेली अस्पताल में डाक्टरों ने मिलकर मारा था और उसके समर्थन में तमाम जनता पार्टी के लोग और स्वास्थ्य मंत्री ऐसी दलील पेश करते हैं, जिसको जनतन्त्र के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है और न सम्मान दिया जा सकता है। यह अवश्य है कि वहाँ पर उनकी श्रीमती जी भी डाक्टर हैं। किन्तु यदि यह उनके साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करेंगे तो यह कुछ आने वाले समय में आपके साथ भी होगा।

आज उनकी जो दशा है, उसके बारे में अभी जो एक माननीय सदस्य ने कहा बिलकुल ठीक है कि वह एक शिफारिशी पत्र बन कर रह गये हैं। कोई भी ईमानदार आदमी, सम्मानप्रिय विधायक आज सेक्रेटेरियट के गलियारे में चक्कर लगाना उचित नहीं समझता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं है। तो शासन को चलाने के लिए आपको जातिवाद से मुक्त होना पड़ेगा और प्रमोशन और डिमोशन के मामले में केवल स्वविवेक से काम लेना पड़ेगा। ठीक है कि पुलिस में भी कमजोरी है, लेकिन उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आज फोर्स को डिमाईज करने का काम जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं किसी अफसर को नहीं जानता हूं और न ही किसी से मिलने जाता हूं।

किन्तु मैं इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी दौरे पर जौनपुर गये थे। मुझे पता चला है। एक व्यक्ति के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 दर्ज थी, मछली शहर थाने के सेकेण्ड अफसर ने उस एफ0 आई0 आर0 के आधार पर उस मुलजिम को बन्द कर दिया था। लेकिन अपने दौरे के दरम्यान उनके कहने पर उस ईमानदार सेकेण्ड अफसर को सस्पेण्ड करके लाईन हाजिर कर दिया जाता है। सारी फोर्स को एस0पी0 संरक्षण देते हैं व उसे थोड़ा सपोर्ट करते है, तो उनको भी हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से शासन में बैठे हुए अन्य अधिकारियों के साथ भी मंत्रियों द्वारा ऐसा ही हो रहा है। जो हमारे यहाँ के.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें।

श्री अरुण कुमार—

एक बी0 डी0 ओ0 हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं जिसकी उनको जानकारी है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कारगर ऐक्शन नहीं लिया जाता है। एक एस0 डी0 एम0 को हटा दिया गया, चूंकि वह हरिजन था। अतः मेरा निवेदन है कि जो कटौती का प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने पेश किया है, उसको संजीदगी के साथ शासन में बैठे लोग देखें और विचार करें, तो उन्हें शासन चलाने में सहूलियत होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

श्रीमती रामरती ने विधान परिषद् के बारे में जो कुछ आक्षेप किये थे, वह कार्यवाही से निकाल दिये जाएंगे।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85—ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

विधान सभा के बारे में कहा था, भूल से विधान परिषद् कह गये, प्रोसीडिंग देख लीजिए।

(श्री वीरेन्द्रपति यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन—

जो आपने अभी कहा है.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जो निर्णय लिया है, उस पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं कोई आक्षेप नहीं करता , लेकिन इस सभा में जो प्रस्ताव पास हुआ है अपर हाउस को एबालिश करने के बारे में, उसमें बहुत कुछ कहा गया है, तो क्या उसको भी वह..

श्री उपाध्यक्ष—

वह दूसरी बात है ।

श्री बाबू बदरे—

हमें आपने समय नहीं दिया ।

*श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक सुझाव मेरा यह है जैसा कि हमको मालूम है, संविधान में यह कहा गया है, अनुच्छेद 14 में—दि स्टेट शैल नाट डेनाई परसन इक्वलिटी विफोर ला। हमारे न्यायालय इस सदन के बाहर हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी हिन्दी कर दीजियेगा ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—

संविधान में दिया हुआ है, अनुच्छेद 14 में, कि समानता का हर दिशा में प्रयोग किया जायगा और कानून की समानता से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जायगा। मैं इसको लेते हुए कुछ न्यायालय की बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं। हमारे न्यायालय बाहर हैं। कभी-कभी इस सदन को न्यायालय का रूप धारण करना पड़ता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि जब कभी अभियुक्त न्यायालय के समक्ष लाया जाता है उसको अधिकार है कि उसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क होते हैं उसको सुनने का उसको अधिकार है और जो निर्णय होते हैं उसको भी उसको सुनने का अधिकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्र पति यादव]

जब दंड दिया जाता है तो यह अनिवार्य है कि उसकी उपस्थिति में दिया जाय। इसीलिए आपके नियम 68 में एक प्राविधान है कि अध्यक्ष महोदय उसकी उपस्थिति का यहाँ पर प्रबन्ध करेंगे। लेकिन कभी-कभी हम देखते हैं कि जैसा हाल ही में हुआ एक व्यक्ति आया उसने नारे लगाये और परचे बांटे। इसमें संदेह नहीं कि उससे सदन का अपमान हुआ और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन हमको देखना है कि जिन सिद्धान्तों को न्यायालय में बरते है यहाँ पर बरते जाते हैं या नहीं। हमने देखा कि जब कभी अभियुक्त आपके सामने लाया जाता है, आप पूछते है कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके बाद वह बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन जो हम बयान करते है, जो अपनी राय देते है, जो हमारे तर्क है, उसके पक्ष या विपक्ष में वे उस निर्णय को प्रभावित करते हैं और प्रेरित करते हैं, उन सब बातों को उसको सुनने का अधिकार है। अगर किसी अभियुक्त के खिलाफ कोई निर्णय उसकी गैर हाजिरी में दिया जाता है तो उसके कोई मानी नहीं है। वह एक नलिटी है, व्यर्थ सा है। मैं आपसे काहूंगा कि भविष्य के लिए इन सब बातों को ध्यान में रखा जाय।

दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे एक मित्र ने कहा कि पुलिस से विश्वास खोता जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि इसके पीछे कुछ उपाय निकाला जा सकता है। उसका उपाय यही हो सकता है कि आमूल परिवर्तन किये जायं। वह क्या हो सकते हैं? जिलों में हम जाते हैं, पुलिस के खिलाफ बहुत से आरोप होते हैं। विधायकों और पुलिस में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पुलिस में झगड़े होते हैं। ऐसे मामलों में मैं एक सुझाव दूंगा माननीय मुख्य मंत्री को, जिले में एक प्रशासनिक इकाई होनी चाहिये जिसमें अधिकारी लोग हों और जनप्रतिनिधि हों।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

(श्री कन्हैयालाल गुप्त का नाम पुकारे जाने पर)

श्री बाबू बदरे—

इधर भी नजरे इनायत हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये। इनायत हो जायगी।

*श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यहाँ पर जो सामान्य प्रशासन पर हमें पुस्तिका दी गयी है उसमें एक वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ने को मिला। "प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासन को जनता के अधिकाधिक निकट लाने एवं उसकी उपादेयता बढ़ाने के कार्य में योजनाबद्ध तरीके से संलग्न रहा।" मेरा निवेदन है कि प्रशासन पर आज सुबह से चर्चा होती आ रही है। यह प्रशासन शब्द जो है उसकी सफलता इस बात में निहित है कि हम यह समझे कि प्रशासन पुलिस के डन्डों और उसकी वर्दी में नहीं रहता है, प्रशासन का जो आधारभूत भित्ति है वह है संवेदनशीलता। कल माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ पर भाषण कर रहे थे और अनेक बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि माननीय मुख्य मत्री जी द्वारा यह कार्य किया जाये तो सुन्दर होता। मेरा निवेदन है कि हर व्यक्ति को इस पर विचार करना होगा। यह सदन किस उद्देश्य से बना है, अगर यह इस उद्देश्य से निर्मित हुआ है कि हर प्रतिनिधि जन कल्याण से प्रेरित होकर और एक संकल्प से समर्थित हो तो नारायणदत्त तिवारी जी नेता विरोधी दल के नाते मुख्य मंत्री जी से कुछ बातों की अपेक्षा करते हैं तो उसी प्रकार से मुख्य मंत्री जी भी उनसे कुछ बातों की अपेक्षा कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं यहीं तक अपने को सीमित नहीं करना चाहता हूं। राम आसरे वर्मा जी कह रहे थे शासन एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करे। 5 मिनट के अन्दर एक बात कहना बहुत लाजमी है कि इस तरह की प्रक्रिया से क्या कभी भी अपने को बरी कर पायेंगे।

प्रशासन के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं। यह जो शब्द बराबर इस्तेमाल करते रहते है क्या प्रशासन को उससे स्वच्छ बनाने में सहायक होंगे। किसी भी सुधार की प्रक्रिया अपने से प्रारम्भ होती है। मैं इस सदन के एक सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व रखता हूं। मैं अपने से प्रश्न करता हूं कि क्या मैं विधायक की भूमिका अदा कर रहा हूं। थोड़े दिन पहले की बात है। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि समय के बदलने के साथ ही साथ आज मूल्यों में भी परिवर्तन हो गया है। तुलसीदास जैसे सन्त ने कहा कि मो सम कौन कुटिल खल कामी। आज यह कहावत बदल गयी है और यह हो गया कि तो सम कौन कुटिल खल कामी। हर समय मैं सोचता हूं कि मैं बड़ा अच्छा हूं, जो मैं करता हूं वह ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं अपने को बहुत कमजोर मानता हूं। मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से हर समय प्रशासन पर दोषारोपण किया जाता है उससे प्रशासन में कोई सफलता नहीं आयेगी। जो लोग दोषी हैं उनको आप दन्डित करें। चुन चुन कर और अधिक से अधिक कड़ा से कड़ा दन्ड उनको दे जो दोषी है, लेकिन सामूहिक रूप से कहें कि प्रशासन भ्रष्ट है, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी है तो यह उनके साथ न्याय नहीं होगा। चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे कलेक्टर हों या और कोई हो, क्या वे हमारे बच्चे नहीं है, क्या वे हमारे परिवार के नहीं है। क्या हम उनको छोड़कर दूसरी से काम ले सकते हैं। हम केवल उनको कोसते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें उनको देखना होगा कि रोशनी को अपनी ओर मारना होगा। यह देखना होगा कि हम किस हद तक अपने काम का कर रहे हैं। श्रीमन्, बहुत तकलीफ होती है इस सदन के अन्दर किस प्रकार का आचरण हमारे द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा किया जाता है। इस शब्द को "ब्रह्म" की संज्ञा दी गयी है।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो सदन में अनुदान पेश किये गये हैं उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सामान्य प्रशासन का सम्बन्ध सामान्य जन से होना चाहिए। मान्यवर, काँग्रेस के 30–32 साल के प्रशासन में यह केवल स्वप्न बन कर रह गया था। सरकारी कर्मचारी जनता को अपना मालिक नहीं समझे बल्कि गन्ने की तरह से उसको चूसकर फेक दिया। जब तक सामान्य जन को सामान्य प्रशासन का लाभ नहीं मिलेगा तब तक इस देश और प्रदेश का कल्याण नहीं हो सकता है। 30 वर्षों के शासनकाल में काँग्रेस की सरकारों ने सामान्य जन को क्या दिलाया था? किसी भी थाने में बिना पैसे दिये रिपार्ट नहीं लिखा जाती थी, जिस प्रकार से पहले उनके समय में भ्रष्टाचार था, उसी प्रकार से आज भी है। उसे समाप्त करने के लिए हम सब को प्रयास करना चाहिये। जब काँग्रेस के राज्य में हम विपक्ष में बैठा करते थे तो

[श्री शिवलाल मित्तल]

उनके द्वारा सी0 आई0 डी0 हमारी एक्टीविटीज को वाच करती थी। आज देश में जितनी भी चोरियाँ, डकैतियाँ या कत्ल हो रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी इन लोगों पर ही है। ये लोग और दक्षिण पंथी कम्युनिस्ट लोग हड़ताल कराते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी अपनी सी0 आई0 डी0 द्वारा इनकी वाच करायें। ये लोग प्रशासन को गाली देंगे और भ्रष्ट भी कहेंगे और अपने को बड़े भोले बताते हैं। जब आप इनको वाच करायेंगे तभी आपका प्रशासन चल सकता है। आपका प्रशासन तभी ठीक से चलेगा जब सामान्य जनता को अधिकार मिलेंगे।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह का नाम पुकारे जाने पर और श्री शिव लाल मित्तल के बोलते रहने पर जो सुनाई नहीं दिया।)

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, ये बोल क्या रहे हैं? जो ये बोल रहे हैं वह बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए, मैंने श्री भगवती प्रसाद सिंह को बुला लिया है। जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा।

श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा—

मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है।

(श्री मित्तल से)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए। 5 मिनट का समय दिया जा रहा है ताकि आप सुझाव देकर अपनी बातें कह सकें। आप उस समय का सदुपयोग नहीं करते हैं बल्कि 5 मिनट के बजाय आप 7 मिनट तक बोलते रहते हैं। आप कृपया बैठि , मैंने माननीय भगवती प्रसाद सिंह को बुला लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) आप माननीय लक्खी सिंह जी आप सामान्य बजट की बहस में और राजस्व पर बोल चुके हैं। मैं पहले उन लोगों को बुला रहा हूं जिनको अब तक मौका नहीं मिला है।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, सामान्य प्रशासन पर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी की बात को सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पुलिस प्रशासन की बड़ी तारीफ की। उनकी मदद भी करने की की बात उन्होंने बतायी। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी काफी तजुर्बेकार हैं और हमें और प्रदेश की जनता को यह आशा बंधी थी कि उनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश की जनता राहत की साँस लेगी। मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि हर काम के पीछे राजनैतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिये। आपने पुलिस कर्मचारियों की मदद की, कोई कारण नहीं है कि उनके आर्थिक संकट को दूर न किया जाये, पुलिस में जो छोटे लोग है उनकी मदद की जानी चाहिये और जो मदद की है उसके लिये मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके पीछे क्या है, इसे भी देखना है। आज पुलिस का आदमी आर्थिक दृष्टि से जर्जर हो रहा है, वह अपनी आवाज उठा रहा है कि उनकी भी यूनियन हो।

माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी सत्ता की कमजोरियों को छिपाने के लिये पुलिस की तारीफ करते हैं, लेकिन भर्त्सना भी होनी चाहिये। आज कोई थाना ऐसा नहीं मिलेगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहाँ दर्जनों से ज्यादा रिवाल्वर आपको न मिलें मैं सुल्तानपुर की एक घटना आपको बताता हूं। वहाँ एक यादव की विधवा पर कुछ सामन्तों ने हमला किया। उसको बचाने के लिये पड़ोस का एक यादव लड़का आया। मगर सामन्तों ने उसको गोली से उड़ा दिया, वह मर गया। इसी प्रकार इलाहाबाद में एक हरिजन की हत्या कर दी गयी एक खेत के अन्दर

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय भगवती प्रसाद सिंह, समय का ध्यान रख कर आप जो सुझाव ना चाहें दे दें।

(शोरगुल)

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, अगर सत्ता पक्ष के लोग इस तरह शोर करेंगे, तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, ये खामोश रहेंगे।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, इस तरह से मैं नहीं बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना भाषण जा ी रखें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

पूरे प्र श में हरिजनों के साथ जो ज्यादती हो रही , मुख्य मंत्री जी ने एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा। मान्यवर, ड़े दुःख की बात , लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में इतनी झूठी बात कहने के बाद जो अधिकारी रिपोर्ट ता है, उसकी तनी असत्य बात निकलती है और फिर आप लोग महत्व नहीं हैं। मान्यवर, किन शब्दों में आपको विश्वास दिलाऊं और अपने मुख्य त्री जी और मंत्रि ों को दिलाऊं, 24 टे मैं गिरफ्तार था। मैं क शब्द भी झूठ बोलने का आदी नहीं । हो सकता है गलती से निकल जाय, मान्यवर, आपने सना दिया कि झूठ बात , माननीय भगवती सिंह थाने में बन्द नहीं थे, कैसे आपने रिपार्ट दिया, 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट थाने में गया, उसने मुझसे कहा, जब मैं वहाँ कैद में था, थाने में बैठाया गया था। मान्यवर, मैने एक मर्तबा नहीं, हमारे मख्य मंत्री जी जानते है, लेकिन दलगत राजनीति क्या है, दलगत राजनीति के अन्तर्गत पुलिस चाहे जितना जुर्म करे, पू प्र श की जनता को तबाह करे, लेकिन मान्यवर, जो सत्ता पक्ष में रहता है, वह कभी भी इस बात का गौर नहीं करता ह कि शासन कैसे चलेगा और प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। मान्यवर, सत्ता पक्ष को बचाने के लिये पुलिस को जो बल दिया जाता है, उससे प्रदेश कमजोर होता है।

(श्री बाब बदरे का नाम पकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—
श्रीमन्, मेरा नम्बर नहीं आयेगा ?
श्री भगवती प्रसाद सिंह—
मान्यवर, दो मिनट और दे दें।
श्री उपाध्यक्ष—
अब आप समाप्त करें।
श्री सुखपाल पाण्डेय—
मान्यवर, हमको भी अवसर दिया जाय। मैंने आप से निवेदन किया।
श्री उपाध्यक्ष—
आपको भी अवसर दूंगा।
श्री भगवती प्रसाद सिंह—
मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग हमारे बोलने में शोरगुल करते है, आप हाउस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, मुझे सत्ता पक्ष के लोग बोलने में बाधा डाल रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी इशारा नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत में मेरा समय हल्ला में लिया गया है। अपनी पार्टी का मैं अकेला सदस्य हूं।
श्री सुखपाल पाँण्डेय—
आपको मैं जानता हूं।
(व्यवधान)
श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ?
श्री भगवती प्रसाद सिंह—
मान्यवर, मुझे बोलने में बाधा डाली गयी है और मुझे अवसर नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।
(श्री भगवती प्रसाद सिंह सदन त्याग कर चले गये।)
श्री बाबू बदरे—
(शोर)
जहाँ तक भ्रष्टाचार संबंधी बातें कही गयी है, इसमें 2 राय नहीं हैं लेकिन मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में, एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक गाँव में एक मेला लगा था और उसमें तमाम तरीके की दुकानें थीं। एक आदमी बैठा हुआ बिच्छू बेच रहा था था जो 3 तरह के थे। दाम पूछा एक सदस्य ने उसने 20 आने बताये, दूसरे का 20 आना और जो सबसे बड़ा बिच्छू था उसके भी 20 आने बताये। तब उसने कहा कि इतने बड़े बिच्छ का भी 20 आना तो उसने कहा कि डंक तो एक तरीके से ही मारता है इस लिए 20 आने हैं।

शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, इसकी जिम्मेदारी हाउस की है। हमारे बीच के लोग जो इस तरह की बातें करते हैं, तो उनको दल के अन्दर बैठकर अपनी बात कहनी चाहिए। जहाँ तक अधिकारियों का ताल्लुक है, हमारे बीच के लोग उनकी तारीफ तथा बुराई करते हैं। डंक तो डंक है, मारेगा सभी को।

हमारे स्टेट में अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, राजनीतिक हैं जो अच्छा दिमाग रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विरोध के, लेकिन अगर हम देखें कि विरोधी हैं, आलोचना करना ही काम है और सत्ता पक्ष मे हैं, शासन करना काम है तो ठीक नहीं। पी0 ए0 सी0 का विरोध हुआ, कितनी नाजुक स्थिति आ गयी थी ? लेकिन श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जब मुख्य मंत्री हुए तो प्रदेश में शासन व्यवस्था सुधरी उसी तरह मुख्य मंत्री भी प्रयास करें। आज पुलिस की बगावत होने जा रही है, मैं आगाह करता हूं इस तरह से अफसरों की झूठी रिपोर्टों पर जो पुलिस के बेड़े को गर्क करना चाहते हैं।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान सख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

राम नरेश को हटाओ, हट गये। बनारसी दास आ गये, आई0 जी0 को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। क्या वजह है। एक शासन मुख्य मंत्री नहीं चला सके हटा दिये गये, एक चला सकते हैं, आ गये। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पुलिस व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करिये। अच्छे-अच्छे लोग हैं, उनको लाने की कोशिश करिये। वरना आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हम सब को मिलकर, जो अराजकता बढ़ रही है, राजनीति में अराजकता का प्रभाव बढ़ गया है, तो उन अधिकारियों को हटाना पड़ेगा। इसके साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि हरिजनों की हालत से आप पूरी तरह से अवगत होंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, हमको समय नहीं मिलेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

मान्यवर, मैं कुछ बातें हरिजनों के संबंध में कहना चाहूंगा। मुख्य मंत्री जी जो आपकी कैबिनेट है उसी में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश में इस समय 19 विश्वविद्यालय हैं। अगर मैं मुख्य मंत्री जी से पूछूं कि इनमें, वाइस चांसलर्स में हरिजनों का क्या प्रतिशत है। वाइस चांसलर्स में हरिजनों का प्रतिशत 0 है। प्रदेश में 56 विभिन्न निगम है लेकिन इनके जो अध्यक्ष हैं उनमें हरिजनों का परसेंटेज शून्य है। डी0 आई0 जी0 की पोस्ट में एक भी हरिजन अब तक नहीं लिया गया। वह भी शून्य के बराबर है। अब मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान सचिवालय के ओर दिलाना चाहता हूं। सचिवालय में करीब करीब 18 सचिव शाखायें हैं। इनके नाम हैं—मुख्य सचिव शाखा, गृह सचिव शाखा, वित्त सचिव शाखा, उद्योग सचिव शाखा, सांस्कृतिक कार्य एवं सूचना सचिव शाखा, शिक्षा सचिव शाखा, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, राजस्व सचिव शाखा, हरिजन एवं समाज कल्याण सचिव शाखा, न्याय सचिव शाखा, श्रम तथा आबकारी सचिव शाखा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन सचिव शाखा, विद्युत् सचिव शाखा, सार्वजनिक निर्माण और परिवहन सचिव शाखा।

तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सेक्रेटेरियट में हरिजनों का जो परसेन्टेज है वह आपके सामने आ जाय और उस पर आप गौर करें। क्लास वन अफसर इस सेक्रेटेरियट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

में 2734 कार्य कर रहे हैं। उसमें से केवल 85 हरिजन हैं। यानी अगर परसेन्टेज लगाया जाय तो 3.1 परसेन्ट हैं। पिछले 30 सालों में हरिजनों का परसेंटेज पूरा नहीं हुआ है। अब मैं क्लास–2 अफसरों के बारे में बताना चाहता हूं, 11735 क्लास –2 अफसर है उसमें से 425 हरिजन हैं। यानी 3.6 प्रतिशत हैं। इसी तरह से क्लास वन में अनुसूचित जन जातियों का प्रतिशत शून्य है। क्लास –2 में अनुसूचित जनजातियों का परसेंटेज .02 है। इसी तरह से क्लास 3 के 2 लाख 5 हजार 176 कर्मचारी हैं। जिसमें से 16 हजार 415 कर्मचारी हरिजन है। केवल 8 परसेंन्ट हरिजन हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सचिवालय का नक्शा नहीं खींचा है। क्लास 4 में 1,56,318 में केवल 19,912 हरिजनों की संख्या है जो कि 12.75 प्रतिशत बैठता है। आज तक क्लास–4 में चपरासियों की संख्या को यह पूरा नहीं कर पाये हैं। अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्लास–3 में .24 प्रतिशत और क्लास 4 में 1 प्रतिशत की संख्या है।

*श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह देखा गया है कि इसी सदन के माननीय सदस्य श्री मकबूल जब सामान्य बजट पर विवाद करने खड़े हुये तो उन्होंने पहले मुख्य मंत्री जी के उस बयान की तरफ फरमाया जिससे कि उनकी रुह को तसल्ली पहुंचती थी। मान्यवर, यह सिलसिला इस प्रदेश में चलता आ रहा है, यहाँ यदि कोई कहे कि अक्लियत गैर महफूज है तो इस प्रदेश की सरकारों को सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले हमारी पार्टी के हैं, वह यहाँ तक कहने से नहीं चूकते जो इस तरह का ख्याल रखते हैं, कि वह मुल्क का गद्दार है। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश में ला एण्ड आर्डर की स्थिति उसी समय सही मानों में बाकी रह सकती है जब कि एक नजर से यहाँ के तमाम अखबारों को देखा जाय। मुझे शिकायत है कि उत्तर प्रदेश में 56 जिलों में पूछा जाय कि कितने कलेक्टर मुसलमान है तो शायद इसका जबाव ठीक से न आये। मान्यवर, हरिजनों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के 56 जिलों में से 14 में तो हरिजन कलेक्टर हो सकते हैं लेकिन मुसलमान जो एक बड़ी अक्लीयत है उनको शायद यहाँ पर बिठाने में दुस्वारी हो और उसके संबंध में 2–3 दिनों के बयानों में हम देख रहे हैं कि उनको क्यों नहीं कलेक्टर बनाया जा रहा है।

अब मान्यवर, मैं पुलिस के सिलसिले में चंद बातें कहना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन जो ला एन्ड आर्डर की बैकबोन है वह तकरीबन फेल हो चुका है, इस प्रदेश में। उसका कारण अंग्रेजों से विरासत में जो हुकूमत करने का तरीका मिला था वही आज तक जारी है। काँग्रेस ने अपने 30 साल के शासन में उसी को चलाया और आज वही अफसरों की फौज है। और देखा यह गया है कि 30 साल में यह फौज तो दिन प्रति दिन बढ़ती चली गयी, लेकिन वे निचले दर्जे के कर्मचारी जिनको हम सिपाही, हेड कांस्टेबिल और एस0 आई0 के रैंक के कहते हैं, उनकी तादाद में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, और इस प्रदेश का शासन तब तक दुरुस्त नहीं हो सकता है जब तक जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से पुलिस में बढ़ोत्तरी नहीं की जाती। मान्यवर, हम दुनिया के मुल्कों का मुकाबिला करें तो पायेंगे कि उनके यहाँ परसेंटेज हमारे यहाँ के पुलिस और पापुलेशन के परसेंटेज में बहुत बड़ा फर्क है। मैं खुद अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि बहुत से ऐसे इलाके है जहाँ घटना के 24 घंटे बाद भी सिपाही नहीं पहुंचता। मेरी उनसे, मान्यवर, गुजारिस होगी कि वह कृपया पुलिस के निचले कर्मचारियों की संख्या को ऊपर बढ़ावें।

मान्यवर, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जो पुलिस कर्मचारी या अधिकारी किसी घटना का शिकार होगा तो उनको साढ़े 12 हजार से 50 हजार तक उनके परिवारों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सर्तकता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रायोग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय. अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

को दिया जायेगा। मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर एक सिपाही मर जाता है तो उसके बीबी बच्चे तो सिपाही नहीं होते। वह भी भारत का और आजाद भारत का नागरिक है, लेकिन केवल साढ़े 12 हजार मिलेंगे, उसके परिवार को, वहीं पर अगर एक सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस मर जाता है, या किसी घटना का शिकार हो जाता है, तो उसके बीबी बच्चों को 50 हजार दिया जाना कहाँ का इन्साफ है? तो मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस फर्क की ओर ध्यान देंगे और यह केवल आई0 जी0 महोदय की वजह से हुआ है कि जिनकी वजह से प्रदेश के पुलिस संगठन में बगावत की भावना पैदा हो रही है जिसको दबाने में वह नाकामयाब रहे हैं।

इसी तरह से मैं पी0 ए0 सी0 के बारे में कहना चाहता हूं कि जब कभी कोई रायट्स हुये तो पी0 ए0 सी0 ने एक तरफ ऐक्शन लिया। इसलिये मेरा निवेदन है कि मौजूदा पी0 ए0 सी0 को तोड़कर एक ऐसी फोर्स बनायी जाय जिसमें मुसलमान, हरिजन और पिछड़ी जाति सभी जातियों के लोगों को रखें, सभी को नुमायन्दगी मिले, तभी ला एन्ड आर्डर की पोजीशन ठीक होगी।

*श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में पुलिस की बड़ी तारीफ की है। लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मान्यवर कि उन्होंने पुलिस के काले कारनामों को अपने मुंह से नहीं कहा। मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं कि वह आगरा की घटना है और केवल आगरा ही नहीं, पूरे यू0 पी0 के नाम पर कलंक है। मान्यवर, आगरे के अन्दर एक मासूम बच्चे की, जिसकी उम्र केवल 5 साल थी, एक लाला ने बलि चढ़ा दी। सूचना मुख्य मंत्री जी को पहुंची, लेकिन उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी और सारा पुलिस प्रशासन चुप है। पाँच साल के बच्चे की बलि चढ़ा कर भट्टी में डाल दिया और कहा गया कि वह जमुना में डाल दिया गया था और मृतक साबित किया गया जबकि उसके अंदर से पानी का एक बूंद भी नहीं निकली। यह आपके आगरा का प्रशासन है, यह आपके यू0 पी0 का प्रशासन है।

मान्यवर, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, अखबारों में आया है कि श्री बनारसीदास, न बनारस के दास है और न दिल्ली के दास है लेकिन मुख्य मंत्री बनते ही कुर्सी के दास हो गये हैं। इससे बड़ा अफसोस है। जिस वक्त उन्होंने शपथ ली थी, यह आशा थी कि एक बहुत ही तजुर्बेकार, बुजुर्ग आदमी शासन सम्भालेगा तो एक अच्छा मन्त्रि मण्डल बनाये लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बुजुर्ग नेता ने इस बात को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा]

सोचा। अखबार में तो बयान देते है कि गद्दी रहे न रहे, आर0 एस0 एस0 नहीं रहेगा। बड़ी खुशी की बात है, बहुत तगड़ा कदम उठाया है आपने।

आपने कभी यह भी देखा है कि जनता पार्टी के माथे पर एक कलंक और है, वह है युवा मोर्चा, जो हर जगह जाकर आपको बदनाम करता है। उसके सदस्य कहीं भी जाकर कहते है कि मैं सदस्य बोल रहा हूं। पूछा जाता है तो कहते है कि मैं युवा सदस्य बोल रहा हूं। यह लोग युवा जनता पार्टी की आड़ में गुन्डा गर्दी को बढ़ा रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय अपने मंत्रि-मण्डल की तरफ भी देखें। आपने मंत्रि-मण्डल मे नये नये लोग भरे है, अगर नये आदमी को जूते की दुकान पर भी बैठा दिया जाए तो वह ठीक से काम नहीं कर सकेगा तो एक नया आदमी मंत्री का काम कैसे कर सकेगा? मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब आप अपने मंत्रियों को पोस्ट देते हैं तो यह भी जाकर देखे कि वे कर क्या रहे हैं? याद रखिये, आपने कल पंचवर्षीय योजना के लिये कहा था, पाँच साल आपकी सरकार चलेगी तभी तो योजना भी बनेगी। पीछें वाले टाँग खींच रहे हैं, आगे वाले हाथ खींच रहे हैं। यह सरकार कब तक चलेगी, आप कितने मंत्री बनायेंगे और कितने मुख्य मंत्री बनायेंगे? मुख्य मंत्री महोदय को अपनी गद्दी की लगी हुई है। आपने पुलिस प्रशासन की कितनी तारीफ की है, मैं भी तारीफ करता हूं लेकिन आप उनके अवगुणों को भी तो बताइये। कहा जाता है कि इतने डकैत पकड़े गये, इतने कारतूस पकड़े गये। क्या आज कल डकैतियाँ नहीं पड़ रही हैं। यह सब पुलिस के संरक्षण में काम होता है।

*श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए और माननीय नारायणदत्त तिवारी जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हूं। मान्यवर, यह पुलिस के कार्यकलापों की जो सूची है, इसको देखने से स्पष्ट होता है कि हमारे प्रदेश की गतिविधियाँ कैसी हैं। 1976 को देखिये। 1976 में डकैती 440, राहजनी 6147, हत्या 4243, दंगे 9873 और नकबजनी 33106 हुई। 1977 में डकैती 6605 और राहजनी 10222 हुई। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय 1976 में रपट दर्ज नहीं होती थीं।

जब जनता पार्टी की सरकार बनी और यह आदेश हुआ कि कोई भी रपट हो, वह दर्ज होनी चाहिए। यही अधिकारी तब भी थे नारायण दत्त जी के वक्त में और यही अधिकारी आज भी हैं। उस समय तो वह रपट दर्ज कराई जाती थी कि फलाँ आदमी ने रेल का तार काट दिया, बस लूट लिया, इन्दिरा गाँधी को पलटने के लिये प्लान बनाया जा रहा है, इस प्रकार की रपटें दर्ज होती थी और मुकदमे चलाये जाते थे और रात में घर में लेटे हुए लोगों को पकड़ कर इमरजेंसी में जेलों में भेज दिया जाता था लेकिन जब वास्तविक तथ्य सामने लाकर के जनता पार्टी की सरकार ने दिये है और इस पुस्तिका में जो कार्य पुलिस विभाग के दिखाये गये है सरकार की तरफ से उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं कहना चाहता हूं कि 9 मु ठभेड़े हुई, 156 डकैत मारे गये, इस तरीके से डकैतों का सफाया करने का प्रयास जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारी माननीय तिवारी जी की सरकार में इनकी संख्या दिनोंदिन बढ़ती चली गयी थी। अपराध के जो आँकड़े दिये गये हैं उनसे स्पष्ट है कि जनता पार्टी की सरकार ने सारे आँकड़ों को सही रूप में लाने की कोशिश है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज छात्रों की हालत क्या है ? आपको बताना चाहता हूं कि फैजाबाद में बसों को रोक कर लड़के बैठ लेते है, चाहे किसी की बहू बेटी हो, अशिष्ट व्यवहार करते है, हमारी सरकार ने कानून बनाया कि बिना टिकट बस में चलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बचानी है तो कड़ाई से इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। माननीय तिवारी जी बातों को उग्र रूप देने का प्रयास करते रहेंगे। आप जानते है कि पुलिस विभाग को हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री राम सिंह जी ने तहस नहस कर दिया था, पक्षपात भर दिया था। उन्होंने ऐसी खाई पुलिस विभाग में खोद दी है जो आजतक पाटी नहीं जा सकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि माननीय मुख्य मंत्री जी उस रास्ते पर चलेंगे तो इस प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार का भी रिजरवेशन कर दिया था। हम सब कहत है कि उसे खत्म करना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह हरिजन है, पिछड़ी जाति का है, दूसरी जाति का है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। अगर प्रमाण है तो अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप के पुलिस विभाग में प्रतिबन्ध लगा हुआ है कि सवर्णों के लड़के अगर बीस वर्ष से ज्यादा होंगे तो उनके लड़कों को आप. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा . . . . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय—

दो मिनट और बढ़ा दीजिए. . . . . मैं चाहता हूं उनको सारी सुविधा दीजिए, उनको पढ़ाई में छूट दीजिये, कपड़े दीजिये, किताब दीजिये लेकिन कम्पीटीशन . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये, मैं अब इजाजत नहीं देता. . . . .]

श्री सुखपाल पाण्डेय—

आपका विजिलेन्स विभाग है इसमें आप जानते है कितने मुकदमे पड़े हैं ? इनका निस्तारण होना चाहिए . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (श्री सुखपाल पान्डेय से) आप बैठिये ।

श्री सुखपाल पांडेय—

[× × ×]

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये। यह लिखा नहीं जायगा. . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय--

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, यह जो सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। सारे देश में जनता पार्टी ने कुछ घोषणायें की थीं कि उसकी सरकार बनने पर उनको वह कार्य रूप में परिणित करेगी। मुझे मुख्य मंत्री की नीति व नीयत पर शुबहा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा अहसास होता है कि जन प्रतिनिधियों को और जनता को कि कहीं गलती तो नहीं हुई है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है वह वैसी ही है और वह ब्यूरोक्रेसी जनता पार्टी के मेनिफेस्टो के प्रति कमिटेड नहीं है। फलस्वरूप हमारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। आई0 जी0 साहब हैं उनको कोई छू ही नहीं सकता। दिल्ली से उनका सीधा रिश्ता है। प्रदेश में एक नौटंकी चल रही है इन्काउंटर्स की। इन्काउंटर जरूर हों लेकिन इन्काउंटर के नाम पर लोगों को घरों से निकाल कर सड़क पर गोली मारी जा रही है। यह जो हमारा जीने का अधिकार है संविधान में उसका हनन किया जा रहा है और जुडीशियरी के प्रति विश्वासघात है। इसको आने वाली जनरेशन माफ नहीं करेगी। इन्काउंटर के नाम पर जुडीशियरी को, मौलिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं होगी।

भदौरिया साहब जनता पार्टी के संसद सदस्य हैं। वह डा0 लोहिया के सपनों को साकार करने वालों में है और देश की जनता उनकी ओर आशा भरी नजरों से देखती है। आज उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमको अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार है। वह सरकार के पक्ष में बात कहते। कोई बगावत करने नहीं जा रहे थे। इसी मौलिक अधिकारों के लिये एमरजेंसी में हमने लड़ाई लड़ी और जेल की हवा खाई आखिर क्या यह सरकार इन्द्रा जी के चरण चिह्नों पर चलेगी, क्या यह हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करेगी? क्या डेमोक्रेसी का मर्डर होगा, कौन सी शकल हम वोटरों को दिखलायेंगे? इसी प्रकार गोरखपुर में कैपसूल्स से बालू तथा इंजेक्शन्स से पानी बरामद हुआ है। लखनऊ में कोई कम्पनी है मलिक एंड कम्पनी। गोरखपुर में जो ज्वायंट डयरेक्टर मिस्टर माथुर हैं उन पर मैं चार्ज लगाता हूं उन्होंने लाखों रुपये की दवा इस कम्पनी से खरीदी जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है और कैपसूल्स के जरिये बालू तथा इंजेक्शन के जरिये पानी गरीब जनता को दिया गया और शासन के द्वारा आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी और एक भी कर्मचारी गोरखपुर अस्पताल से नहीं हटाया गया।

चीनी उद्योग के सम्बन्ध में मैं अवश्य सरकार को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि तिवारी जी के समय में साढ़े 5 रुपये तक चीनी बिक गयी लेकिन गन्ने का मूल्य उस समय 10 रुपये ही रहा और अब गन्ने की कीमत साढ़े 12 रुपये किसानों को दी गयी लेकिन चीनी की कीमत ढाई रुपये ही रही। लेकिन एक परेशानी अवश्य है कि खेतों में गन्ना खड़ा है। मेरा आग्रह है कि हमारी नीति साफ होनी चाहिये। कारपोरेशंस, कोआपरेटिव की फैक्टरीज अलग तथा प्राइवेट फैक्ट्रीज अलग हों। दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग हो और दोनों में कम्पीटीशन हो तभी यह इंडस्ट्री तरक्की कर सकेगी। आगे आने वाले दिनों में यह इंडस्ट्री बरबाद होने वाली है। मुझे विश्वास है कि अगर ये शुगर इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश से चली गई तो इसके बुरे दिन आने वाले है और कोई पैसा इनको देने वाला नहीं है। इसलिये इस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है. . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3--मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18--सचिवालय, अनुदान संख्या 19--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35-प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38--विज्ञान और प्रौद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45--सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54--नियोजन विभाग, अनुदा संख्या 85-ख--गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112--प्राविधिक शिक्षा विभाग- ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

यह सामान्य प्रशासन का बजट है। शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा के बजट पर बोलें। अब आप कृपया बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं कहना चाहता हूं कि जो कमाण्ड एरिया है, जो छोटे-छोटे कर्मचारी है उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

श्री अवधेश नरायन। इनके बाद सिर्फ 3 मिनट में श्री गौरी शंकर को दूंगा।

(व्यवधान)

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)--

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को अलीगढ़ और दादरी कांड के सम्बन्ध में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है और जिस तरह से वहां की दुर्घटना को बचाया है, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इसलिये भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुलिस के विभिन्न वर्गों में कुछ सुविधायें प्रदान की हैं जो उनको मिलनी चाहिए थी। मान्यवर, सिपाहियों का एक ऐसा वर्ग है जो चौबी सों घंटे ड्यूटी करता है और उसके अनुसार जो सुविधायें उनको मिलनी चाहिए वह उन्हें नहीं दी जाती हैं। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि उन्हें अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जायं। मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में अलीगढ़ पर वक्तव्य देते हुये यह कहा था कि वह सरकार सरकार कही जाने की हकदार नहीं है जो अपने नागरिकों का जीवन सुरक्षित न रख सके।

इसी संदर्भ में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान गाजीपुर की शांति व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां पर रोज शांति और व्यवस्था का ह्रास हो रहा है। दिन प्रति दिन वहां पर शांति और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। कुछ पेशेवर बदमाश हैं जो हावी हो गये है और पुलिस निष्प्रभावी और निष्क्रिय हो रही है। इसी संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक पत्र लिखा था कि वहां पर दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं-एक अशोक कुमार की हत्या डिग्री कालेज में हुई थी। 3 हत्यायें सैदपुर में हुई थीं। गाजीपुर में एक फर्लांग आगे एक व्यापारी को 22 हजार रुपया लूटकर मार दिया गया, उसके पहले 21 हजार रुपये की एक डकैती और हुई। उसके एक दिन पहले 7 बजे कोतवाली के समीप एक व्यक्ति की हत्या करके उसे लूट लिया गया। करैन्डा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश नरायन]

में एक ही रात में एक ही गैंग के द्वारा चार डकैतियां हुईं। उसका अभी तक पता नहीं चला। मान्यवर, वहां का हर इन्सान अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। पुलिस निष्क्रिय हो रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है। गाजीपुर में पुलिस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बदमाशों के साथ मिला हुआ है जो कि परोक्ष रूप में उनकी सहायता करता है और अपराधों को छिपाता है तथा डाकुओं को और बदमाशों को भागने में मदद देता है। मैं समझता हूं कि गाजीपुर की पुलिस को और वहां के प्रशासन को इस बात की जानकारी है। वहां कोतवाली की सीमा के अन्दर अपराधों का विद्यालय चलता है। वहां अपराधों की प्रेरणा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है और अपराधों को छिपाने का षडयंत्र रचा जाता है। वहां की पुलिस वहां के अपराधी तत्वों से मिली हुई है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, मेरे हाथ में एक फोटो है। यह फोटो मान्यवर, राजस्थान की एक युवती का है। फरवरी माह में यह युवती गहमर स्टेशन पर उतरी और अर्द्धविक्षिप्त अवस्था में थी और होश में आने के बाद चूंकि वह सुन्दर युवती थी वहां के एक दुकानदार ने उसे गहमर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। मैं समझता हूं उसको देखने के साथ ही साथ वहां के पुलिस के लोगों के मन में दुर्भावना पैदा हुई तो न तो उसकी आमद दिखाई गई और जब दो तीन दिन के बाद वहां के दरोगा उसे बनारस ले गये तो न उसकी रवानगी दिखाई गई। इस प्रकार उस युवती को बनारस में ले जाकर बेच दिया गया। मान्यवर, इस संदर्भ में माननीय मंत्री देवराम जी ने आपको लिखा है मैंने भी लिखा है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपा करके इस पर विशेष ध्यान दें और पता लगायें कि वह युवती कहां है। मैं समझता हूं कि उस युवती का करुण क्रंदन बनारस के किसी स्थान पर हो रहा होगा और वह अपनी इज्जत को बेच रही होगी। इसका आप पता लगायें.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप खत्म करें।

श्री अवधेश नरायन—

मान्यवर, अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह एक ज्यादती होगी हर नागरिक के साथ।

श्री उपाध्यक्ष—

गौरीशंकर जी आप तीन मिनट में खत्म करें।

श्री अशफाक अहमद (जिला बरेली)—

आप समय का कंट्रोल न लगायें मान्यवर, टाईम बढ़ा दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, आपने जो समय बोलने का दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का मैं समर्थन करता हूं। ऐसा लगता है जो आपने मुझे तीन मिनट का समय दिया वह मेरी उम्र के हिसाब से दिया क्योंकि जो सबसे बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा समय आपने दिया और चूंकि मैं कम उम्र का हूं इसलिये कम समय मुझे मिला। चूंकि शायरी का आग्रह है मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूं—

"हर एक है अपनी तबियत के निराले, गधे कैसे कैसे हुकूमत ने पाले"

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने सुझाव दें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

जिस प्रशासन की आज यहां चर्चा हो रही है यह 1858 में यहां चालू हुआ। उस समय के कलेक्टर जो होते थे वह किस प्रकार काम करते थे जिसकी चर्चा आज भी हम करते हैं। सात समुद्र पार से आकर उन्होंने यहां राज्य किया। उसमें कुछ अच्छाइयां भी थीं लेकिन जो अच्छाइयां थीं वह आज की हमारी ब्यूरोक्रेसी ने नहीं लीं और जो उनकी बुराइयां थीं उनको आत्मसात कर लिया है। आखिर वह कौन से कारण थे जिसमें उस समय का कलेक्टर जो था देहातों में जाता था, उनके पास घोड़े थे, आज तो इनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, वह लोग गांवों की पूरी जानकारी रखते थे। आज के अधिकारी मैं समझता हूं ज्यादातर ऐसे हैं जो चने का पौधा कैसा होता है, नहीं जानते।

जैसे समाज में चातुरवर्ण है उसी प्रकार हमारे अधिकारी भी चातुरवर्ण में विभाजित हैं। जो डायरेक्टर आई0 ए0 एस0 बन जाता है वह 20 विस्वा वाला होता है और जो पी0 सी0 एस0 से प्रमोट होकर बनता है वह 15 विश्वा का होता है। तो वह 20 विस्वा का आई0 ए0 एस0 15 विस्वा के अधिकारी से बात करने में अपनी हेठी समझता है। उनका काम करने का वही तरीका है जैसे यूनिवर्सिटी के बंद कमरे में पढ़ते रहे उसी तरह से एक बंद कमरे में रह कर काम करने की उसकी प्रवृत्ति हो गई है। उसको मिलने के लिए एक चिट भेजनी होती है तभी कोई आदमी उससे मिल सकता है। अगर हमें समाज को बदलना है तो हमें उनकी आदतों को बदलना होगा।

जब माननीय रामनरेश जी मुख्य मंत्री थे तब भी मैंने कहा था और आज भी कहता हूं कि यह ब्यूरोक्रेसी एक अड़ियल घोड़े की तरह है और इसको चलाने के लिये घुड़सवार की रानों में कुछ ताकत होनी चाहिये। रामनरेश यादव की रानों में उतनी ताकत नहीं थी, जिसके कारण हम दो साल तक प्रशासन में भ्रष्टाचार, अक्षमता और शान्ति व्यवस्था की दुर्व्यवस्था की चर्चा करते रहे, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। ठीक है वह दुबले पतले मुख्य मंत्री थे, लेकिन ईमानदार थे, इसलिये नहीं कर पाये। लेकिन आपका तो भारी भरकम शरीर है और मैं समझता हूं कि आपकी रानों में ज्यादा ताकत होगी और होनी चाहिए। अतः मैं आपसे आशा करता था कि आप इस अड़ियल घोड़े पर अंकुश लगाएंगे लेकिन तीन महीने हो गये हैं यह अड़ियल घोड़ा अपनी जगह पर अड़ा है, वह अपनी जगह से मनचाही दिशा में आगे नहीं बढ़ा है और न इस दिशा में कोई प्रयास कर रहा है।

अधिकारियों की प्रवृत्ति ज्यादातर यही होती है कि वे किसी काम को टालें। उनकी निगेटिव एप्रोच है, उसको पाजेटिव एप्रोच में बदलने की आवश्यकता है। चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार मिटाने की और चाहे हरिजन उत्पीड़न की वह अनडयू कम्पलायंस करके योजना को कार्यान्वित नहीं करता है, जिससे उसमें बिलम्ब काफी हो

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

आता है और उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। इस पर विशेष तौर पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत हरिजनों के लिए शासन ने जो कुछ निर्देश दिये, उसका कोई कोटा शासन कहीं पूरा नहीं कर सका है। श्रीमन्, आपके पास में जो अच्छे अधिकारी हैं, उसको पनिशमेंट के लिए विजीलेंस में भेज दिया जाता है और आप उनसे यह अपेक्षा करते है कि वह बेईमान अफसरों को पकड़ कर दण्ड दिलाएंगे। कोआपरेटिव में करोड़ों रुपये का करप्शन है, लेकिन एक भी बड़ा करप्शन सामने नहीं आया है। इटावा में एक चपरासी जो एक रुपये का शुकराना ले रहा था, उसे विजीलेंस ने पकड़ा तो क्या ऐसे ही शासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, आपका समय हो गया।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

जो सेक्शन अफसर, अंडर सेक्रेटरी की नोटिंग होकर स्पेशल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पास पहुंचता है, उसी पर मंत्री कोई निर्णय लेता है। यदि आपको सिर्फ चिड़िया ही बिठालनी है, तो आप क्यों इतने सफेद हाथियों को पाल रहे हैं, जो कि 3-3 हजार रुपये की बड़ी-बड़ी तनख्वाहें लेते हैं ....

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठिए.....

(व्यवधान)

अशफाक अहमद।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

अन्त में मैं अपनी बात एक शायरी के साथ समाप्त करते हुए प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं:

"न पूछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अकसर
जब किसी नामेहरबां को मेहरबां कहना ही पड़ता है।
हमारे सामने जिसने बहारे अंजुमन लूटी,
उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है।
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहाँ पत्थर को भी लाले गिराँ कहना ही पड़ता है।
बफैजे मसलेहत ऐसा भी होता है जमाने में,
कि राहजन को अमीरें कारवाँ कहना ही पड़ता है।"

श्री अशफाक अहमद खान (जिला गोंडा)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सामान्य प्रशासन पर प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मेरे इस संबंध में कुछ सुझाव हैं। इस चर्चा में बात दादरी और अलीगढ़ की उठी। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि मुसलमानों का इस मुल्क में तीन चीजों से जज्बाती लगाव है। एक है उर्दू, दूसरा पर्सनल-ला और तीसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और चौथी बात यह है कि कभी-कभी जब मुल्क में फसाद होते हैं तो उससे भी उसे चिन्ता पैदा होती जाती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इन चार मुद्दों पर किसी को सियासी दुकानदारी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी खड़ा होता है, जैसे आर० एस० एस० और विद्यार्थी परिषद् एक खुजली हो उसे खुजलाना शुरू कर देता है, वसे ही इस मामले में हुआ। दादरी काण्ड कैसे हुआ इसको देखने का प्रयास नहीं किया जाता है, एक उत्तेजना फला दी गयी और शहर में दोबारा फसाद हो गए।

आप उस असलियत में जायं। मैं चैलेंज करता हूं कोई भी मुसलमान एम0 एल0 एज0 जाकर देखें कि असलियत क्या है। सच्ची बात कड़वी होती है। इसे राजनीतिक मुद्दा बना कर, जिसे देखो वही मुसलमानों के जजबात से खेलना शुरू कर देता है और खड़े होकर अपने को यह कहते हैं कि हम नम्बर दो के शहरी हैं। मैं क्यों कहूं कि मैं नम्बर दो का शहरी हूं। मैं इस मुल्क का नागरिक हूं। मेरे हुकूक हैं जो संविधान में दिये गये हैं। मेरे अन्दर ताकत होनी चाहिए, कि बढ़ कर उन हुकूक को ले लूं। मैं क्यों कहूं कि मैं नम्बर दो का शहरी हूं ? अक्लियत महफूज क्यों नहीं है, इसको गौर से सोचिए ? इस कौम की ये सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है कि इस दौर में अपना कोई नेता नहीं दे सकी ? तीस साल से लेकर आज तक इंदिरा गाँधी और दूसरे लोग इसके नेता रहे। आपको अपना कोई नेता नहीं मिला। श्रीमन, मैं बड़े खुले दिन से माननीय मुख्य मंत्री जी के उस बयान का स्वागत करता हूं जो उन्होंने अलीगढ़ के संदर्भ में दिया। एक सच्चाई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बदले जबानें बड़ी बड़ी लम्बी निकल कर बाहर आयीं। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री के बयान से सारी जबाने अन्दर चली गयीं। श्रीमन्, यह अच्छा कदम था। मुझे सूचना मिली है कि अलीगढ़ में गिरफ्तारियाँ ज्यादा हो रही है जिससे नागरिकों में बेचैनी है। मेरा आपसे निवेदन है, यह ठीक है कि असामाजिक तत्वों का जो फसाद कराते है, उनका कोई मजहब नहीं होता, वह इंसानियत के दुश्मन हुआ करते ह, ऐसे लोगों को कतई न माफ किया जाय चाहे किसी धर्म के मानने वाले हों या किसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हों ? लेकिन इन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में अधिकारियों से मालूम करें कि कहीं कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है ?

पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उनको जितनी छूट देनी चाहिए, दे दीजिये, जितनी सहूलियत देनी चाहिए खूब दे दीजिये। मेरा निवेदन है कि जितना भी हो सब दे दीजिये लेकिन सवाल यह है कि क्या इनका भ्रष्टाचार खत्म हो जायगा ? यह क्वैश्चन मार्क है सवालिया निशान है। हम आज तक सोचते चले आये है कि मुल्क हमको क्या दे रहा है। कभी नहीं सोचा कि मुल्क को हम क्या दे रहे हैं। यह सोचना चाहिए। मैं पुलिस वालों को जो भी सुविधाएं दी गयी हैं उनका समर्थन करते हुए अपने बलरामपुर की बात करूंगा। मैं सीधा सादा विधायक हूं। मैं सोचता हूं कि जब यहाँ की सदस्यता की अवधि समाप्त हो जायगी तो मेरे पास इतने मुकदमे हो जायंगे, पुलिस द्वारा बनाये गये, मेरे छोटे भाइयों पर कभी डकैती मुकदमा कायम कर दिया जाता है, कभी कोई मुकदमा, जो चाहता वह लिखा देता है, सी0 ओ0 सिटी बिलकुल ऐसे लोगों से मिले हुए हैं ? मैंने एस0 पी0 से कहा लेकिन कोई सुनवायी नहीं।

रेल प्रशासन के बारे में निवेदन है, यह केन्द्रीय सरकार का मामला है लेकिन जहाँ तक रेल प्रशासन में ला ऐंड आर्डर का मामला है, यह राज्य सरकार से ताल्लुक रखता है। किसी की आज इज्जत महफूज नहीं है, बलरामपुर से बुढ़वल पहुंचने में और लखनऊ तक। साथ में अगर फैमिली है, तो उसकी इज्जत महफूज नहीं है।

श्री अशफाक अहमद खान]

आपने एक पत्रिका निकाली है। इसमें लिखा गया है उर्दू भाषा और अल्पसंख्यकों के बारे में। मेरी एक आपत्ति है। उर्दू के सिलसिले में, इसमें लिखा जो सामान्य प्रशासन की पत्रिका छपी है इसमें लिखा गया है कि उर्दू अल्पसंख्यकों की भाषा हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमान इसे अवसीरियत में बोलते हैं लेकिन आप लोग भी बोलते हैं। उर्दू को अल्पसंख्यकों की भाषा लिख देना यह अन्याय है। यह मेरे हकीर से सुझाव थे जो आपके सामने मैंने रखे। धन्यवाद।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत सामान्य प्रशासन के बजट पर मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस चर्चा में सदन के सम्मानित सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह चाहूंगा कि आप बहुत ही कुशल प्रशासक हैं, योग्य हैं, प्रशासन को चलाने की आपमें क्षमता है। मैं, मान्यवर आपसे यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान पुलिस महा अधीक्षक के काल में जितने बड़े साम्प्रदायिक दंगे, अराजकता इस सूबे में फैली है किसी आई0 जी0 के जमाने में नहीं फैली है। मान्यवर, आई0 जी0 महोदय विधायकों के तमाम आदेशों की अवहेलना करते हैं।

वह दिन मुझे याद है जब कि भूतपूर्व गृह मंत्री श्री राम सिंह बाराबंकी में मौजूद थे। पटेल कालेज के अन्दर पुलिस ने फायरिंग की और जिसमें 2 छात्र मारे गये। उस समय भूतपूर्व गृह मंत्री मौजूद थे। मैंने आई0 जी0 से कहा कि चल कर आप जांच कर लीजिए। मैंने उनसे सम्पर्क स्थापित किया और कहा कि चल कर आप देख लीजिए, बाराबंकी के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी कोई दूसरी घटना बाराबंकी के इतिहास में नहीं हुई है। यह घटना इमरजेन्सी को मात कर देने वाली थी। यह ऐसी घटना है कि निर्दोष छात्रों की निर्मम हत्या कर दी गयी। पुलिस ने उनको मारा और उस घटना को आरक्षण विरोधी आन्दोलन से जोड़ दिया। वह पिछड़ी जाति के थे। इसलिए उनको आरक्षण विरोधी आन्दोलन से जोड़ दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों को इनाम दिया। इससे बड़ी शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? इन आई0 जी0 महोदय के कारण शासन अस्त व्यस्त हो रहा है और कानून व्यवस्था भी ढीली हो रही है। यह सारी जिम्मेदारी आई0 जी0 की है। इनके रहते हुए जनता पार्टी की सरकार की साख गिरेगी। अगर पुलिस आन्दोलन होता है तो इन आई0 जी0 के कारण ही होगा। (लाल बत्ती जलने पर) केवल एक मिनट दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, मैं माँग करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इन आई0 जी0 को जो पुलिस को निष्क्रिय और अक्षम बनाये हुये है, उनको तुरन्त हटावें। इससे स्वच्छ परम्परा कायम होगी।

श्री सोहन बीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं कुछ अपने विचार आपके समक्ष प्रकट करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलीगढ़ काण्ड के बारे में जो कदम उठाया है वह स्वागत योग्य है। एक निवेदन और है कि वहां पर व्यापारियों ने हड़ताल की। वहां पर उन व्यापारियों को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि उन व्यापारियों को बाजार बन्द करने की और हड़ताल करने की जरूरत नहीं थी। मेरे जो साथी बाबू बदरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

और सुन्दर लाल दीक्षित की कुछ समस्यायें हैं और आई0 जी0 उनके सब कष्टों का कारण हैं। कष्ट तो निवारण हुआ है। एक डिपार्टमेंट जो विजीलेंस का है उसको ठीक कर दिया। चौधरी चरण सिंह ने जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार के आरोप में ससपेंड किया था उसको विजीलेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया गया। मेरे लायक दोस्तों ने आक्षेप लगाया कि गबन होता है, भ्रष्टाचार होता है और चोरियां होती हैं।

हमारे शासन में दक्ष लोग मौजूद हैं, 409 गबन के चार्जेज हैं और जिनके खिलाफ इस सरकार ने गबन के मुकदमे कायम किये हैं। वे जान जायेंगे। जो 2–3 कत्ल हुए उनकी जांच हो जायगी। हमारे मंत्रिमंडल में दक्ष लोग हैं। उन्हें सार्वजनिक रूप से थैलियां भेंट होती हैं और उसे वे अपने घर में रख लेते हैं। जांच हो जायगी, हमारे शासन में दक्ष लोग भरे हैं लेकिन भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा, गबन कैसे मिटेंगे ?

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने एक स्टैन्ड लिया है जिसका प्रदेश में ही नहीं अपितु प्रदेश के बाहर भी स्वागत हुआ है। उनसे एक और प्रार्थना है कि वे एक और स्टेप ले लें कि जो उनके मंत्रि मंडल में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आपकी सरकार ने गबन के मुकदमे कायम किये है, उनका इस्तीफा ले लीजिए। एक मंत्रि मंडल के सदस्य ने 19 तारीख को एक पत्र लिखा। उन्होंने साइक्लोटाइल्ड करके कापी बांट दी, उसकी कापी मेरे पास भी मौजूद हैं, उसमें बहुत गन्दे-गन्दे आरोप हैं, उसकी प्रतियां बाजार में भी बांट दी गयी हैं। एक सदस्य ने उनसे कहा कि इससे उनके दल को ठेस लगेगी। हम लोग माननीय मुख्य मंत्री के साथ हैं हमारी प्रार्थना है कि उसकी आप जांच करा लीजिए। मैं वह डाक्यूमेंट देने को तैयार हूं जो कि आपके मंत्री ने आपको लिखा है जिसमें मेरे खिलाफ भी चार्जेज हैं। अगर मेरा कहना गलत साबित हो तो मै सदन से इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो वे। प्रोटैक्टेड को रेसपोंडेन्स की कापी क्यों भेजते हैं ? अगर माननीय मुख्य मंत्री को प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाना है, दक्ष शासन लाना है, तो सख्ती के साथ उन्हें कदम उठाना होगा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्तावों का समर्थन किया है। मैं उन सदस्यों का भी आभारी हूं कि जिन्होंने कटौती के प्रस्तावों का विरोध तो किया लेकिन विरोधात्मक समर्थन किया क्योंकि जो भी बातें उन्होंने कहीं वे मुख्यतया, आम तौर पर मेरे द्वारा दिये गये सुझावों का या तो समर्थन करती हैं या कुछ नयी बातें उन्होंने सुझाव के रूप में दी। यह विडम्बना है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बिना मुख्य मंत्री के उत्तर सुने मुझे उत्तर देना पड़ रहा है और जहां मेरा समर्थन हुआ है अधिकांशतः मैं उन्हीं का उत्तर दूं। सदन के जिस बहुमत ने मेरे प्रस्तावों का समर्थन किया, नये-नये सुझाव, विचारणीय सुझाव, दिए मैं उनकी तार्किक शक्ति के लिए अनुत्तरित हो जाता हूं। यह अवश्य है कि कल से आज तक कुछ नयी बातें सामने आयी हैं, उनके कुछ अधूरे प्रकरण सम्मुख आए हैं। इस सदन में लगभग 14 मंत्री उपस्थित हैं, 27 मंत्रियों में से। यह बात नयी हुयी है। 1-2 कौंसिल में होंगे। यह अच्छा शुभचिन्ह है, अगले साल अगर यह सरकार रही तो सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे।

दूसरी बात यह है कि जो बहुत से सदस्यों ने अपनी मनोभावना का प्रतिबिम्बन किया है उसमें वास्तविकता की झलक है। यह जो पुलिस के सम्बन्ध में विशेषरूप से कल हमें जानकारी नहीं थी कि वाराणसी में कल कुछ गिरफ्तारियां हुईं जिसमें संसद सदस्य माननीय भदौरिया जी भी हैं और यहां के एक विधायक भी जो वहां जाना चाहते थे उनको रोक दिया गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी की कुशलता की सबसे बड़ी परीक्षा है और वे कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि अनुशासन टूटे।

मैं जानता हूं कि हमारा पुलिस फोर्स अनुशासित है और वह किसी भी प्रकार दूसरे प्रदेशों में जो हो रहा है उसे करना नहीं चाहता है। लेकिन उनके लिये जो सुझाव माननीय श्यामधर मिश्र तथा अन्य सदस्यों ने दिये हैं उन पर भी विचार करना आवश्यक है। मुझे मालूम हुआ है कि उनकी एक माह की छुट्टी में से आपने 16 दिन की छुट्टी काट दी, 14 दिन की रह गयी है। हो सकता है मेरी बात गलत हो, मुख्य मंत्री जी सही कर दें, मगर अगर यह सही है तो इससे उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। उनको कितनी कठिनाई होगी। उनके लिये आपने जो उदारतापूर्वक निर्णय लिया है वह फिर अधूरा रहेगा और उसमें जो ग्रेस रहना चाहिये वह नहीं रह पायेगा।

मान्यवर, पुलिस प्रशासन में दरोगा सारे एडमिनिस्ट्रेशन की कुंजी है। अगर वह ठीक से काम करता है तभी प्रशासन ठीक से कार्य कर सकता है। आप जो उनको सुविधायें देते हैं उस पर बहुत कुछ उनका कार्य निर्भर करता है। शासन की छवि बहुत कुछ दरोगा के कार्य एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। चाहे उनकी वर्दी का सवाल हो, चाहे बीमे का सवाल हो, चाहे वेतन और भत्ते आदि का सवाल हो, कान्सटेबिल से लेकर दरोगा तक के लेविल के कर्मचारियों के संबंध में आपको विचार करना चाहिये। अभी आपने पूरा विचार नहीं किया है, यद्यपि कल कुछ घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि उनकी मांगों पर विचार करें। सारा प्रदेश चाहता है कि उनमें अनुशासन बना रहे।

मान्यवर, 6 जिलों में क्राइम्स को रोकने के लिये हमने पहले एक योजना बनायी थी जिसके लिये भूतपूर्व माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया था। यह बात निकली थी कि जहां पर सबसे कम सड़के हैं, सबसे कम स्कूल हैं, सबसे कम बिजली है, जहां सब से ज्यादा क्राइम्स होते हैं और इस दृष्टि से 6 जिलों को छांटा गया था। उनके लिये गहराई से विकास की योजनाएं बनायी गयी थीं। चाहे एटा हो, चाहे हरदोई हो, चाहे कोई जिला हो, उनके लिये एक योजना बनायी गयी थी जो आज ढीली पड़ी है। सप्तम वित्त आयोग ने भी उनके लिये कोई धन नहीं दिया है। कानपुर जैसे शहर में पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है जिसके कारण क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि क्राइम्स भी वैज्ञानिक तरीके से होते जा रहे हैं। उसके रोकने के लिये भी पुलिस को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से सुसज्जित करना होगा तभी वे उन क्राइम्स को रोकने में सफल हो सकेंगे। वायरलेस सेट्स को हर स्टेशन पर लगाना होगा। जो और आधुनिक उपकरण हैं उनको वहां उपलब्ध कराना होगा।

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम

कम्यूनल राइट्स के बारे में कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने चर्चा की और कुछ जांच रिपोर्ट्स का हवाला दिया कि वे अभी तक नहीं आयी हैं। वे रिपोर्ट्स क्यों नहीं आयीं ? क्यों नहीं आयी, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते, विरोधी दल नहीं दे सकता, माननीय सदन का सदस्य नहीं दे सकता, सरकार दे उसका उत्तर कि क्यों नहीं आज तक 12-14 झगड़ों की रिपोर्टें आयीं ? आप बतायें, मुख्य मंत्री जी बतायें कि जो जुडीशियल इन्क्वायरी बैठाई गयी थी, उनकी क्यों नहीं आज तक रिपोर्ट आई ? श्रीमन्, मैं जुडिशियल इन्क्वायरी का बहुत हामी नहीं हूं। लेकिन श्रीमन् मख्य मंत्री जी याद करेंगे, हमसे ही जुडिशियल इन्क्वायरी की माँग की जा रही थी। आज अलीगढ़ की इन्क्वायरी कराने को तैयार नहीं हैं। श्रीमन्, मुझे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेन्ट मुस्ताक साहब मिले, जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया, उसको मैं मुख्य मंत्री को दूंगा। उस मेमोरेंडम में मैंने देखा, उसमें कहा है कि हमारी बात नहीं सुनी गयी। तो कोई भी सम्प्रदाय, कोई भी हो, कम्युनल, उसकी हम निन्दा करते हैं। लेकिन आज मुख्य मंत्री जी कभी हाट की, कोल्ड की, कभी इस तरह की गर्मी दिखा दिये, कभी इधर की निन्दा कर दी, कभी उधर, बायें, कभी दायें, इस तरह काम नहीं चलेगा ? इसके लिए संतुलित दृष्टि से काम करना होगा। मुझे आशा है, बहुत से माननीय सदस्यों ने उनको बधाई दी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं, जब स्थिति का पूरा समाधान हो जायगा। मैं यादव जी को बधाई देना चाहता था, लेकिन पूरी नहीं दे पाया था। मुख्य मंत्री जी को मैं चाहता हूं बधाई देना लेकिन अभी नहीं। जो पुराना इतिहास है, इसको देखते हुए मैं असमर्थ हूं।

श्रीमन्, आज देखें, हमारे कारपोरेशन्स का अखबारों में कल हमें समाचार मिला है कि हमारे कारपोरेशन्स में व्यक्तिगत कुछ चेयरमैनशिप से हटाये गये। दो साल पहले राज्यपाल के अभिभाषण (77) में यादव जी ने घोषणा की थी, माननीय राज्यपाल के मुखारबिन्दु की कि मैं राजनैतिक उपहार के रूप में चेयरमैन नहीं बनाऊंगा। आज कितने चेयरमैन हैं ? क्या राजनैतिक उपहार में उनको कहेंगे ? आप कारपोरेशन के चेयरमैन बनायें गैर सरकारी व्यक्तियों को, लेकिन अनुभवी और मेरिट के आधार पर, तब कारपोरेशन्स ठीक चलेंगे। वही गलती जो पहले दोहराई गयी है, उसको न दोहराइये। आज हमने अगर उन आदमियों के हाथ में दे दिया है, जो कि अनुभवी नहीं हैं, आज जो 80 करोड़ रु0 लगा हुआ है, आपने तो मुझसे नहीं कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी, लेकिन सुनते हैं कि हमने फलां-फलां-फलां साहब की राजनैतिक संतुष्टि कर लिया। श्रीमन् बनायेंगे, मैं यह नहीं चाहता हूं कि एलेक्ट्रिसिटी का चेयरमैन साल में 4 बार बदला जाय।

श्रीमन्, अस्तित्व होना चाहिए। मैं उसमें नहीं हूं कि चीफ सेक्रेटरी, आई0 जी0 को बदला जाय, कोई अन्य चीफ सेक्रेटरी, आई0 जी0 सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। आप शासन में छांटिये, उनको मौका दीजिये, पालिसी आप बदलिये, रोज गुस्सा हो जाने से यह काम नहीं चल सकता, इसलिये उच्च अधिकारियों को बदलें, इस भावना से स्वच्छ प्रशासन

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

होने वाला नहीं है। मुझे श्रीमन्, बड़ा दुख हुआ। आज ही मुझे मालूम हुआ कि किस प्रकार व्यवहार हो रहा है, जो राजनीति में काम करते हैं, जुगल किशोर जी कल गिरफ्तार हुए, उनकी जमानत का विरोध किया गया, उनकी जमानत नहीं हुई। उनकी जमानत का विरोध किया गया, पैरोल भी नहीं दिया गया कि चुनाव लड़ सकें। आज मैंने पूछा कि कौन दफा में गिरफ्तार किया गया तो 120 कान्स्पेरेसी में। उनकी जमानत के लिए तारीख कब पड़ेगी, हम नहीं जानते। आज हमारा उम्मीदवार जेल में है, चुनाव कैसे लड़ सकते हैं।

सेन्ट्रल प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक भी नया सेन्ट्रल प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में 2 साल में नहीं आया, जो हैं वे जा रहे हैं। टेलीफोन इण्डस्ट्री, जहाँ राज नारायण जी का क्षेत्र है, इंदिरा गाँधी का नाम नहीं लूंगा, टेलीफोन इण्डस्ट्री 80 करोड़ की हटाई जा रही है। झांसी में ट्रांसफारमर का सेकेन्ड फेस नहीं लगा रहा है, कालागढ़ में हजारों का सामान खाली पड़ा है और जो हैवी इलेक्ट्रिकल्स का वायदा था, वह पूरा नहीं होता। बिहार और यू0पी0 को मिलाने वाली गण्डक नदी के पुल वैसे ही है। इस प्रकार की योजनायें आज हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं है।

बेकारी दूर करने का प्रयास, कोई योजना किसी प्रकार की उनके पास है, कोई उल्लेख नहीं। हरिजनों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसका विजिलेंस सेल है, यहाँ बना हुआ? मैं चाहता हूं कि उसकी अलग से व्यवस्था करें। मैं राजनीतिक प्रचार के दृष्टिकोण से नहीं कहता, जो भी विजिलेंस ने कार्यवाही की है उसकी रिपोर्ट सदन के सामने आनी चाहिए ताकि मालूम हो कि कहाँ क्या कार्यवाही हुई। श्रीमन्, इसी प्रकार आज टेक्निकल एजूकेशन का सवाल है.....

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

श्रीमन्, नियमानुसार नेता विरोधी दल एक अपना भाषण दे चुके। नियमों में जो कटौती का प्रस्ताव रखता है, जो आलोचना होती है, उसका उत्तर देता है। नेता विरोधी दल एक दूसरा भाषण दे रहे हैं। इस प्रकार समय का भी ध्यान रखें। जितने भी प्रश्न रखे हैं, उनका अगर कोई भी व्यक्ति विरोध करता, नई बात होती, उसका उत्तर देना चाहिए था। इस पक्ष में, हमारी तरफ से जो आलोचना होती उसका उत्तर देते, तो नारायणदत्त जी एक दूसरा भाषण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

नेता, विरोधी दल, अब आप करीब 15-16 मिनट बोल चुके हैं। अब आप इसे समाप्त करें।

एक सदस्य--

मान्यवर, नेता विरोधी दल मेरा एक शेर सुन लें :--

मोहब्बत का इनकी दूध जो पीकर पले बढ़े,
शैतान उनको देखकर लाहौल खुद पढ़े।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि मुख्य मंत्री जी को सब पदों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अध्यक्ष रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं लेकिन नेता विरोधी दल नहीं रहे। नेता विरोधी दल अगर रहे होते तो ऐसी बात न कहते। श्रीमन्, मैं नेता विरोधी दल के कर्त्तव्य का पालन कर रहा हूं, दूसरा भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप संक्षेप में समाप्त करें।

संख्या 3––मंत्रिपरिषद, अनुदान संख्या 5––निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18––सचिवालय, अनुदान संख्या 19––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26––गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30––सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35–प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38––विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45––सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54––नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख––गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92––सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100––नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112––प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मैं संक्षेप कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री जी को अच्छे सुझाव दीजिये तो परेशान हो जाते हैं। श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि हिन्दी संस्थान के माध्यम से एक लाख रुपया सर्वश्रेष्ठ हिंदी पुस्तक के लिये दिया गया था लेकिन वह रोक दिया गया। आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में है, लखनऊ में, मेडिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ में बने इसके लिये 50 लाख रुपये लखनऊ यूनीवर्सिटी में जमा है। लेकिन मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं बना। कितनी योजनायें हैं जो सिसक रही हैं, रुकी हुयी हैं। वह योजनायें जनहित में हैं लेकिन तड़प रही हैं। कोई उनको देखने वाला नहीं है।

श्रीमन्, दुर्व्यवहार के बारे में, राजनीतिक हत्याओं के बारे में जो कुछ हो रहा है वह छिपा नहीं है। जन प्रतिनिधि, आज हम एक दूसरे का अपमान स्वयं करते हैं। ताजी घटना को मैं बताना चाहता हूं। चंद्रमणि कांत सिंह, जिनके परिवार ने उदय प्रताप कालेज बनाया उनका किस प्रकार से लखनऊ में अपमान हुआ वह शायद मुख्य मंत्री जी से छिपा नहीं है। रोज ऐसी घटनायें हो रही हैं, निर्दोष लोगों को किस प्रकार अपमानित किया जा रहा है। श्रीमन्, ताजा घटना है, चंद्रमणि कांत सिंह जो भूतपूर्व विधायक हैं, जो सारे प्रदेश में जाने माने व्यक्ति हैं उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ है, मुख्य मंत्री जी परिचित हैं। हत्या चाहे प्यारे लाल जी की हो या किसी की हो उस सारे विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मुझे आशा है कि मुख्य मंत्री जी, इस सभी संदर्भों में, मैं जानता हूं कि सभी प्रश्नों का उत्तर वह इस समय नहीं दे सकते हैं लेकिन अगर उन्होंने विधान मंडल के सदस्यों की बैठक बुलायी होती, आज वह परम्परा टूट गयी है, पहले होती थी, हर मंत्री बोलते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने डिवीजन वार सबको बुलाया ?

श्री मान सिंह आजाद––

बुलाया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

एक पक्ष के लोगों को मुख्य मंत्री जी ने बुलाया लेकिन विरोधी पक्ष के लोगों को नहीं बुलाया। अगर ऐसी मीटिंग की परम्परा डालते तो यह सुझाव वहाँ आ सकते थे। यह परम्परा साफ है, अच्छी है, इस परम्परा को डालना चाहिये। आज के विरोधी कल के सहयोगी होते देखे हैं। आज के सहयोगी कल के विरोधी देखे हैं। खैर इन बातों को छोड़िये और आयें देश के निर्माण में। देश के निर्माण में एक रचनात्मक बात कही गयी है और वह यह कि देश और प्रदेश से क्या लेते हैं, यह नहीं होना चाहिये बल्कि देश और प्रदेश को क्या हम देते हैं। इस भावना से हम प्रत्येक कार्य को देखें तो यह सबसे बड़ी भावना है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को और यदि विश्वास कर सकें तो मुख्य मंत्री जी को भी तथा उन माननीय सदस्यों को जो मुझको बार बार टोका करते हैं कि भावना को देश और प्रदेश के जीवन के अंतिम क्षणों में भी हम साथ दे सकें तो इस भावना के साथ मैं उनका साथी हूं।

*मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल के दोनों भाषणों के लिये और माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मूल्यवान सुझाव दिये और जो शासन की त्रुटियाँ थीं उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया। कुछ विध्वन्सात्मक आलोचनायें भी की गयीं, कुछ आक्षेप भी किये गये और उन आक्षेपों के बारे में तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि तुलसीदास की एक पंक्ति मुझे याद आती है---

बूंद अघात सहैं गिरि ऐसे, खल के बचन संत सहैं जैसे।

श्रीमन्, बजट पर तीन प्रकार की आलोचनायें की गयी हैं। एक का संबंध नियोजन से है, दूसरा पुलिस और प्रशासन से है तथा तीसरा माननीय तिवारी जी ने कुछ राजनीतिक चर्चा की। उन्होंने कहा बहुगुणा जी का नाम लेकर के कि जनता पार्टी की किश्ती लहरों के साथ चल रही है। दूसरा उन्होंने मेरी तरफ संकेत किया, मेरे वक्तव्य की तरफ जो हिन्दुस्तान ने प्रकाशित किया कि जनता दल को सत्ता जोड़े हुये है। मैं जानता हूं कि श्री तिवारी जी ने जो कहा कि मुझे विरोधी दल का नेता होने का अनुभव नहीं है, यह ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

हो जायेगा।

श्री बनारसी दास---

धन्यवाद। लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य सभा में मैं भी अपने दल का विरोध पक्ष में नेता था। और उस समय मैंने अपने कर्त्तव्य को निभाया था। अपने दल के नेता की हैसियत से कहा था---जिस समय श्री कमलापति त्रिपाठी सुब्रामण्यम स्वामी को 6 साल के लिये निष्कासित कर रहे थे---तो मैंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया और कहा पंडित जी सत्ता के मद में आज स्वामी जी को बिना अवसर दिये हुये निष्कासित किया जा रहा है। इसलिये जब एक दिन कड़े मत का दिन आयेगा तब हिसाब किया जायेगा और यह मद का तीर इंदिरा गाँधी को जाकर लगेगा।

श्री राज किशोर तिवारी (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से। मान्यवर, अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जब सुब्रामनियम जी को निकाला जा रहा था तो अपने बड़ी कृपा करके पंडित कमलापति त्रिपाठी से कहा कि जो कार्यवाही अंकित हो रही है, और जो आज उनके साथ कर रहे हैं, उसका अंजाम देना पड़ेगा। लेकिन इस बार जब इन्दिरा गाँधी को निष्कासित किया जा रहा था तो आप क्यों चुप रहे? क्यों आपमें कुन्ठा आ गयी?

श्री बनारसी दास---

मान्यवर, पहले मैं नियोजन नहीं ले रहा हूं और जो राजनैतिक प्रश्न हैं, उनको भी बाद में लेना चाहता हूं। सबसे पहले श्री तिवारी जी ने कहा कि सी0 आई0 डी0, सतर्कता, इन्टेलीजेंस के पदों को पनिशमेंट न मानकर इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाय। मान्यवर, तिवारी जी मुख्य मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के काल में, वह जानते हैं, सी0 आई0 डी0 इन्सपेक्टर का वेतन शुरू में 400 से होता है। करीब 1000 डी0-वाई0 एस0 पी0 का और सब इन्सपेंक्टर का इसकी तुलना में अधिक है। जो सिविल पुलिस में नहीं, जो सी0 आई0 डी0 इन्टेलीजेंस या सतर्कता में हैं, उनको विशेष प्रोत्साहन की बात जो श्री तिवारी ने शुरू की है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। हम इस पर भी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। इसमें कल उच्चस्तरीय कमेटी की घोषणा की गयी और वह इस पर भी विचार कर रही है कि इन्टेलीजेन्स, विजीलेंस और क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन विभागों के पृथक करने पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम गम्भीरता से विचार कर रहे है। चूंकि आज देखता हूं कि पुलिस इन्सपेक्टर्स की संख्या 800 से ऊपर है लेकिन सिविल इन्सपेक्टर की कुल संख्या करीब 200 है। सिविल में हर आदमी जाना चाहता है।

इसलिये जो तिवारी जी ने सुझाव दिया, मैंने तो हमेशा इस पर गौर किया और म यह समझता हूं कि आज सिविल पुलिस का कार्य निरोधात्मक और अन्य कार्यों में इतना बढ़ गया है कि इनवेस्टीगेशन को भी हानि पहुंच रही है और यह इनवेस्टीगेशन का कार्य अलग हो और प्रायः आये दिन देखता हूं और यह बडे बिडम्बना की बात लगती है कि एक तरफ तो अधिकांश विधायक कहते हैं कि कोई भी सब इन्सपेक्टर सी0 आई0 डी0 या दूसरी जगह से हटाकर सिविल में लाया जाय और दूसरी तरफ सिविल पर अविश्वास भी है। प्रायः आये दिन रोज यह माँग करते हैं कि इस मामले की जाँच सी0 आई0 डी0 से की जाय। अभी इस संबंध में माननीय नरेश चन्द्र जी ने खीरी के पुलिस अधिकारी की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उनका सुझाव है कि तुरन्त सी0 आई0 डी0 की जाँच की जाय। जिस मैनेजर का बध हुआ है, उनका कथन है कि वह आत्म हत्या नहीं थी, जैसा कि पुलिस ने कहा है, बल्कि उनका कथन है कि वह मर्डर था। तो उसकी विवेचना के आदेश हमने दे दिये हैं।

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल का यह कथन सही है कि आज डर का वातावरण समाप्त हो गया है। अनुशासनहीनता बढ़ी है, अपराध पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। जब भय और आतंक का वातावरण होता है और उस भय और आतंक को दूर किया जाता है, उसके बाद अवश्य ही कुछ शिथिलता आती ह। उसका उत्तरदायित्व तो माननीय तिवारी जी पर है क्योंकि पब्लिक सेफटी बिल पर पंजाब के अन्दर हिन्दुस्तान में उस वक्त डा0 सत्यपाल ने कहा "यह ऐसा कानून है, न वकील, न अपील, न दलील।" इसी तरह मीसा का वह कानून था जिसमें न वकील, न अपील, न दलील। इससे एक आतंक और भय का वातावरण पैदा हुआ। जैसे अंधेरे से बड़ी तेज रोशनी में जाये तो आदमी अंधा हो जाता है। हमारा यह कर्त्तव्य था कि इस कृत्रिम भय और आतंक के वातावरण को दूर करें। हमने मीसा को दूर किया तो भय और आतंक का वातावरण क्यों बढ़ता जा रहा है?

आपने कहा कि जो नारे में 'अनुशासन राष्ट्र को सफल बनाता है' उसको मिटा दिया गया। हो सकता है कभी कभी जब क्रान्ति होती है, जोश में आकर कुछ लोग गल्ती भी करते हैं। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ जघन्य घटनायें जुड़ जाती हैं तो वह भी उस शब्द को बहुत घृणित बना देती हैं। जैसे 'महात्मा' शब्द भी कभी कभी हास्य का शब्द बन जाता है। इमरजेंसी में कहा गया कि अनुशासन राष्ट्र को सबल बनाता है लेकिन राष्ट्र सबल नहीं बना बल्कि कृत्रिम अनुशासन से राष्ट्र कमजोर हो गया।

[श्री बनारसी दास]

लेकिन मैं हामी हूं कि अनुशासन होना चाहिए। श्रीमन्, मैं तो इनका सहयोगी रहा 60 तक, मैं तो कांग्रेस में पला, कांग्रेस में बड़ा हुआ। वास्तव में जनता पार्टी ने जैसा अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा, स्वतंत्रता संग्राम की जो उज्ज्वल परम्परायें थीं, उनके अनुसार में भी चला। श्री नारायण दत्त जैसे व्यक्ति से जो 1977 तक मुख्य मंत्री रहे, उनसे अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिला, वह काहे ? पार्लियामेंट को अधिकार नहीं है स्पेशल कोर्ट्स बिल पास करने का ? क्या यह पार्लियामेंट का कन्टेम्ट नहीं है कि स्पेशल कोर्ट्स बिल को लेकर गिरफ्तारियां करने की कोशिश की जाए ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इमरजेंसी तो संविधान पर बलात्कार था, यह कभी भी कांस्टीट्यूशन के जनकों ने सोचा नहीं था। इस प्रकार इमरजेंसी की परिकल्पना की गई थी, अगर कहीं युद्ध हो, देश पर आक्रमण हो। लेकिन उस वातावरण में क्या फौज में बगावत थी ? क्या देश के अन्दर कहीं पर सिविल राइट्स हो गये थे ?

श्रीमन्, मैं जिक्र नहीं करना चाहता था, माननीय तिवारी जी ने मेरा ध्यान इमरजेंसी की तरफ आकर्षित कर दिया। इमरजेंसी का कानून पास कब किया, जबकि 25 जून को विरोधी पक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को सदन की विशेषाधिकार समिति के निर्णय के मातहत उनको सदन से निष्कासित किया, उनको क्षमा याचना का अवसर दिया लेकिन उन्होंने संसद को अपने से ऊपर समझा। तो श्रीमन्, उसको लेकर के माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने इस प्रदेश के अन्दर एक अवज्ञा की, अनुशासन-हीनता की, आप जेल गये, कानून को तोड़ा। आपने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को निष्कासित किया गया। उनको निष्कासित किया गया देश के कानून के मुताबिक। अभी आपने जिक्र किया भिनगा के राजा साहब का कि उनको गिरफ्तार किया गया। श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री रहे..... (व्यवधान) आपने कहा इसलिए आपकी मनोभावना मैं समझता हूं। आपने कहा भूतपूर्व विधायक हैं। चूंकि भिनगा के राजा हैं, भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 हैं क्या उनको अधिकार है कि एक कान्सटेबिल जो यूनिफार्म में हो उसके हाथ पांव तोड़ दें, सर तोड़ दें, मैंने कान्सटेबिल को अपने आंखों से देखा है, उसके शरीर पर चोट है, हाथ में चोट है। मुझे इत्तिला मिली है खुद उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया..... (व्यवधान) अब इस प्रकार से..... (व्यवधान) मैं माननीय उपाध्यक्ष से कहूंगा कि इस प्रकार व्यवधान डाला जा रहा है।

श्री अरुण कुमार—

चोट आई क्यों उसमें परदा न डाला जाय ?

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी का प्रतिपादन यह है कि कांसटेबिल को पीटा जाय तो वह कानून का उल्लंघन नहीं है ? आपका मलतब है ? .....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने नहीं कहा कि कान्सटेबिल को पीटा जाय....

श्री बनारसी दास—

इसलिए मैं यह कह रहा हूं। राजा भिनगा गिरफ्तार हुये उसकी विवेचना हो रही है। उसका फैसला न्यायालय देगा। आप तो चाहते हैं एक मुख्य मंत्री आप रह चुके हैं कि पुलिस कानून के मुताबिक कार्यवाही न करें। तो क्या पुलिस को कदम-कदम पर आप समझते है.....

श्री अरुण कुमार—

पुलिस कैम्पस में क्यों गई....

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष—

अरुण कुमार जी, आप बैठें....

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, यह व्यवहार अत्यन्त आपत्तिजनक है। श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि अब आप का दूसरा आक्षेप यह है कि जुगल किशोर को गिरफ्तार किया गया। जमानत पर नहीं छोड़ा गया। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में जुडिशियरी एक्जूक्यूटिव से बिल्कुल पृथक है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के अधीन है। हम तो कोई आदेश नहीं दे सकते। वहां पर 6 कत्ल हुए.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

पैरोल का आदेश दे सकते थे....

श्री बनारसी दास—

पैरोल की दरख्वास्त मेरे सामने नहीं आई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि चुनाव लड़ने के छद्म वेष में किसी को इस बात की आजादी नहीं है कि वह कत्ल कर सके। श्री जुगल किशोर पर कत्ल का अभियोग है। श्री शिव राज सिंह का कत्ल हुआ, उनके भाई का कत्ल.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप कैसे यह कह रहे हैं कत्ल कर दिया....?

श्री बनारसी दास—

मैं कहता हूं कि अभियोग है उन पर। वह अभियुक्त हैं। श्रीमन्, इसके मतलब यह हुए कि अगर कोई उम्मीदवार हो गया है और उम्मीदवार पर यह अभियोग हो कि उसने कत्ल किया हो और चुनाव लड़ने की आजादी होगी और काश जीत जाय तो कहा जायगा कि जनता की अदालत ने फैसला किया, न्यायालय का फैसला नहीं होना चाहिए। जुगल किशोर जी को मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, कितने दल बदले हैं। आखिर आपको उम्मीदवार खड़ा करने में कुछ सोचना चाहिये था। आतंक का वातावरण जुगल किशोर तथा उनके साथियों ने पैदा किया। आप चाहते हैं कि शासन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप करे। उनको गिरफ्तार किया गया तो कोर्ट के सामने उनकी जमानत हो सकती है। आप पैरोल के लिए मेरे सामने आयेंगे तो मैं गौर करूंगा।

कल तिवारी जी ने कहा कि जब वह मुख्य मंत्री थे तो मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, हमेशा बिना चाय पिलाये नहीं आने देते थे। मैं जानता हूं कि नारायण दत्त जी मेरे मित्र हैं। मेरे साथ रहे हैं और सन् 69 के संजीव रेड्डी के चुनाव में वह मेरे साथ-साथ थे। एमरजेंसी में अपना कर्त्तव्य समझ कर कई मर्तबा उनके पास गया मेनटिनेन्स और पैरोल आदि प्रश्नों को लेकर। मैं अपना कर्त्तव्य समझ कर जाता था और वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करते

[श्री बनारसी दास]

थे। लेकिन मेरी धृष्टता को तिवारी जी क्षमा करेंगे मेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है उतना ही वह मक्खन लगायें जितनी जरूरत हो। तिवारी जी में मानवता है, संवेदनशीलता भी है, सहानुभूति भी है। हो सकता है, कि उनके दिल व दिमाग में संघर्ष होता हो लेकिन मैं यह जानता हूं कि दिमाग कहीं और हो लेकिन दिल मेरे साथ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

यह मक्खन लगाने की बात किसके लिये कह रहे हैं। बनारसीदास जी ने कभी मक्खन लगाया हो तो मैं नहीं जानता।

श्री बनारसी दास--

नेता विरोधी दल ने यह शिकायत की कि श्रीमती इन्द्रा गांधी के निष्कासन के सम्बन्ध में अन्याय हुआ, उनसे संबंधित मुकदमों को वापस नहीं लिया गया। मेरे स्पष्ट आदेश हैं कि जो व्यक्ति किसी आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये सबको छोड़ दिया जाय, सिवा उनको जिन पर हिंसा तथा तोड़-फोड़ के आरोप ह और इन आदेशों को मेरी जानकारी में अमल में लाया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी0 ओ0 का क्या नम्बर है ?

श्री बनारसी दास--

मैं आज सदन में कह रहा हूं। सब जगह आदेश जा चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

जी0 ओ0 बतलाइये।

श्री बनारसी दास--

आपकी शिकायत है कि विद्यार्थियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। मैं माननीय तिवारी जी से पूछना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थियों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैंने यह नहीं कहा....

श्री बनारसी दास--

कल आपने अपने भाषण में कहा। यह तो बड़ी मुश्किल है कि आपकी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर है।

श्री अरुण कुमार--

आपने जीरो सेशन कर दिया, इससे बड़ा मुकदमा और क्या हो सकता है।

श्री बनारसी दास--

छात्र कानून से ऊपर नहीं हो सकते। मैं तिवारी जी से पूछता हूं कि मीसा के अन्दर उन्होंने कितने नौजवानों को बन्द किया था और मुकदमा चलाया था ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया जाय और यह किया जाय कि जब तक न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय न लिया जाय, जमानत न ली जाय। जहां तक अग्रिम जमानत का सवाल है, उसमें संशोधन हो चुका है। यह एक विधि का प्रश्न है जो गंभीरतापूर्वक विचार करने के योग्य है। इस वक्त अलग करने का हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं है। श्री जगदम्बा प्रसाद ने कहा कि पुलिस के कार्य में शासन द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और मिड टर्म स्थानान्तरण के आदेश नहीं होने चाहिये। मैं इससे सहमत हूं। मैंने कल ही इस सम्बन्ध में कहा कि पुलिस एक पैरा मिलिटरी फोर्स है उसमें अधिक दखल नहीं होना चाहिये और इस बात के आदेश भी हुए हैं और यह ठीक भी है कि

संख्या 3—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग—पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग—पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग—ऋण और अग्रिम

बिहार प्रदेश हम से नीचे है और शेष सबसे हम पीछे हैं। इसलिये हम चाहते थे कि 7700 करोड़ की योजना हो। नियोजन विभाग ने 4315 करोड़ रुपये की योजना ही स्वीकार की, वह बिल्कुल अपर्याप्त थी। अतः हमने 8 मई को जाकर प्लानिंग विभाग से आग्रह किया, तब उन्होंने 4600 करोड़ की योजना स्वीकार की और 176 करोड़ रुपया पृथक से पहाड़ों के विकास के लिये दिया। इस प्रकार से यह योजना 4776 करोड़ की हुई, लेकिन इसको हमने अभी स्वीकार नहीं किया है। और यह भी निर्णय है कि अब तक का जो गाडगिल फार्मूला, उसके मुताबिक जो भी विभाज्य राशि थी, वह हमें कम मिलती थी, अब इसका श्रेय हमारे नियोजन सचिव और नियोजन कार्यालय को है कि उसने इस प्रकार से पुस्तिका बनायी और आँकड़े बनाये, जिसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्र को दो हजार करोड़ रुपये की धनराशि अलग से रखनी पड़ी।

अब आमदनी को आबादी से मिलाकर जो नया फार्मूला बना, उसमें हमें 424 करोड़ रुपया मिला और अगर यह गाडगिल फार्मूला के हिसाब से मिलता तो 342 यानी 82 करोड़ रुपया कम मिलता। हमने इसको बढ़ा लिया। इसमें 2,800 करोड़ रुपया सबके साधन का है, जिसमें 600 करोड़ रुपया नये साधनों का है, और अब 600 करोड़ रुपया नियोजन निगम ने अपने पास उन राज्यों की मदद करने के लिये रखा है, जिनकी विशेष समस्यायें हैं। तो आप जानते हैं 8 राज्य पहाड़ों के अलग हैं, उसके अलावा 14 राज्यों में हमारा आग्रह यह था कि यह धनराशि केवल यू0 पी0, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिये अलग कर दी जाये, जिनकी औसत आय कम है। इसमें श्रीमन्, हमको सफलता मिली है और मैं आशा करता हूं कि इस 600 करोड़ की धनराशि में से हमको 50 करोड़ रुपया और मिल जायेगा।

हमने अभी इस योजना को माना नहीं है। उनका कहना यह है कि जितना पैसा हम दे सकते हैं, उसे हम तो इंगित करते हैं, उसके अतिरिक्त जितने आपके संसाधन हों, आप बढ़ा सकते हैं। नेता विरोधी दल से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर योजना का आकार बढ़ाना है, तो उसके लिए हमको थोड़ा त्याग करना होगा।

श्री बनारसी दास—

लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1977 में जब आप चुनाव के संघर्ष में आये तो आपने जिस तरीके से स्कार्ब अर्थ पालिसी होती है, जब हारने की आशा होती है, तो सब जलाते चले जाते हैं। आपने 58 करोड़ के साधन समाप्त कर दिये, 29 करोड़ का बजट आपने सरकारी सेवाओं में बाँट दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ, करीब 87-88 करोड़ रुपये के हमारे संसाधन कम हो गये ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आँकड़े दिये, उनकी जो सूचना है वह सत्य से परे हैं। माननीय मुख्य मंत्री यह बतायें कि हमने हारने के समय क्या, जीतने के बाद कितने संसाधन समाप्त कर दिये ?

श्री बनारसी दास—

माननीय नेता विरोधी दल को इस बात से इनकार नहीं है कि 50 करोड़ रुपये से ज्यादा उन्होंने समाप्त कर ही दिया और 29 करोड़ का भार सेवाओं में वृद्धि करके डाल दिया। आप हमारी यह शिकायत करते हैं कि तरक्की नहीं हो रही है। अभी तक हमको सफाई करने का काम करना पड़ा रहा है, कूड़ा-करकट, मलवा हटा कर।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

टैक्स रेवेन्यू को कूड़ा करकट कब से मानने लगे हैं ?

श्री बनारसी दास—

माननीय नेता विरोधी दल ने शिकायत की कि इतने बड़े प्रदेश में कम्प्यूटर नहीं लगा रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल को स्मरण होगा कि आपने आई0 सी0 एल0 कम्पनी से 901 कम्पयूटर लगाने के लिए पत्र व्यवहार किया था। टेक्नालिजी बदल गयी। इससे आई0 सी0 एल0 का लाइसेंस समाप्त हो गया। वह जानते है कि यह डिपार्टमेंट आफ एलेक्ट्रानिक्स इम्पोर्ट करने की अनुमति देता है उसका मूल्यांकन करके। जहाँ तक हमारा सवाल ह हमने टेक्नीशियन्स को प्रशिक्षित किया है और कम्प्युटर का भवन भी बनवाने का हम प्रयास कर रहे ह। उसमें माननीय नेता विरोधी दल का भी सहयोग चाहता हूं कि कम्प्युटर हमारा जल्दी से जल्दी बन सके।

आपने शिकायत की जो पी0 आर0 ए0 इंस्टीट्यूट है इसको बढ़ाया नहीं। आप जानते हैं कि गोबर गैस की प्लान्ट की योजना कई जिलों में लागू की है, पी0 आर0 ए0 के जरिये से। हमने हर जिले में जहाँ पर 14 से ज्यादा ब्लाक्स हैं वहाँ पर साँख्यकीय लोगों को मुकर्रर किया है। इसी प्रकार से योजना बनाने का कार्य हम जिले के लेविल पर ले आये हैं। छोटे सीमेंट के कारखाने लगाने की योजना हम बना रहे हैं और पी0 आर0 ए0 के कार्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

प्रदेश को कब तक चौपट करवा देंगे आप ?

श्री बनारसी दास—

जब श्री मंजूर यहाँ पर चुन कर आ गये तो अगर प्रदेश चौपट नहीं होगा तो क्या होगा ?

श्री मन्जूर अहमद—

आपके चौधरी साहब को दो बार हराया है। आपकी पूरी ताकत आयी है, सूबे में कहीं से लड़ लें।

श्री मानसिंह आजाद—

जरा संभल कर बोले मंजूर साहब।

श्री बनारसी दास—

अब मैं राजनैतिक प्रकरण पर आ रहा हूं। माननीय नेता विराधी दल ने शिकायत की कि मैं दल का नेता नहीं हूं, मुख्य मंत्री हूं। श्रीमन्, तिवारी जी जब नेता थे, उनको यह भ्रम हो गया है कि वह सबके माननीय नेता नहीं थे वह दिल्ली से मनोनीत किये गये थे। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो दल का चुना हुआ नेता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या आप दिल्ली से मनोनीत नहीं हुए थे।

श्री मान सिंह आजाद—

तिवारी जी सुने तो, ये वोटिंग से हुए हैं, आप तो मनोनीत हुए थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप भी तो दिल्ली से मनोनीत हुए थे।

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस) अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री बनारसी दास—

जरा दिल थाम कर बैठिये। मैं यह कह रहा था कि अगर दिल्ली से मनोनीत हुआ होता आप घटकवाद की बात कल अपने भाषण में कह रहे थे, मेरा घटक छोटा था, तो मेरा मनोनयन कैसे हो सकता था ? इस पार्टी के अन्दर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है और घटकवाद की ीवार टूट गयी और उसी के कारण दल ने मुझको नेता चुना।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्री चन्द्रभानु गुप्त नेता न हो इसलिए आपको नेता मनोनीत किया गया।

श्री मान सिंह आजाद—

बनारसी बाबू ही आपको मंत्रि परिषद् में लाये थे। यह बाबू जी की ही मेहरबानी है।

श्री बनारसी दास—

मुझे बड़ी खुशी हुई कि श्री नारायणदत्त जी तिवारी को श्री चन्द्रभानु गुप्त से एक नया इश्क पैदा हो गया है। श्री गुप्ता जी ने आपको अपने मंत्रि मंडल में सम्मिलित किया। श्री संजीव ेड्डी हार गये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं।

श्री बनारसी दास—

उसके बाद गुप्ता जी को आप छोड़ कर चल गये।

श्री मन्जूर अहमद—

आपने तो गुप्ता जी को बुढ़ापे में छोड़ दिया।

श्री मान सिंह आजाद—

मंजूर साहब इधर देखो गुलाब की माला पहनायेंगे। आओ।

श्री बनारसी दास—

अब कल श्री तिवारी जी ने जनता पार्टी का जिक्र किया। आपका आशय शायद यह था कि जनता पार्टी सुधर नहीं रही है आपने कहा कि हम लहरों पर हैं। जनता पार्टी का जहाज लहरों के साथ चल रहा है। कोई नहीं जानता कहाँ पर डूब जायेगा। जनता पार्टी का वह स्वरूप नहीं रह गया है जो आज । मौजूदा स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1977 में चुनाव लड़े, दिन रात 'इंदिरा इज इंडिया' के नारे लगे। जो हर समय खाना खाते, शाम और सुबह इंदिरा के नारे लगाते थे, वे अब कहाँ हैं ? डाक्टर करन सिंह कहाँ है चव्हाण कहाँ हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

श्री जगजीवन राम कहाँ हैं ?

श्री बनारसी दास—

मैं कहता हूं कि आपको हमारी चिन्ता कहाँ ? देवराज अर्स जी अब कहते हैं कि मैं संजय गाँधी के साथ नहीं हूं और कुछ दिन में आप और देखेंगे । देहरादून में जब संजय गाँधी गिरफ्तार हुए तो वहाँ पर नारे लगे 'संजय गाँधी मुर्दाबाद' 'इंदिरा गाँधी जिन्दाबाद' । आज आपका दल इन्ट्रेग्रेशन की ओर जा रहा है। बहुत लोग यह प्रश्न कर रहे हैं कि जो लोग एमर्जेन्सी के दोषी थे आज फिर उन्हीं का बोलबाला है वे इंदिरा जी के नजदीक हो रहे हैं। और यही कारण है कि जो वरिष्ठ नेता इंदिरा जी के साथ थे वे पृथक हो रहे हैं।

(श्री मंजूर अहमद के कुछ कहने पर)

आप दूसरे मकतब में पढ़िये, ये आपके समझने की बात नहीं है।

आपने मेरे इन्टरव्यू का भी जिक्र किया था। मैंने उस समय यह कहा था कि जनता पार्टी एकीकरण की प्रक्रिया में है। हम तो "विभिन्नता में एकता" में विश्वास करते हैं। यह तो हमारे देश का दर्शन है। जब प्रश्न किया तो मैंने कहा था. . . . .

श्री नारायणदत्त तिवारी—

आप दुबारा माननीय यादव जी को मुख्य मंत्री बना दीजिए ?

श्री बनारसी दास—

वे दुबारा बनेंगे। आप चिन्ता न करें? मैंने कहा था कि जैसे काँग्रेस स्वराज्य के जमाने में साम्राज्य विरोधी मोर्चा था और महात्मा गाँधी बड़े चतुर थे . .

(श्री मंजूर अहमद के कुछ कहने पर)

गाँधी जी से तुम्हारा क्या वास्ता ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शांति रखिए।

श्री बनारसी दास—

माननीय नेता विरोधी दल, जरा मंजूर साहब को खूंटे में बाँधिए। तो मैं यह कह रहा था कि इसी तरह से जनता पार्टी एमरजेन्सी विरोधी मोर्चा था। हम सब लोगों का एक लक्ष्य था कि एमरजेन्सी हटे। लोकतंत्र रेल पर फिर से चढ़ जाय और लेखन की और भाषण की स्वतंत्रता हो। जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ काल के लिए भटक कर माननीय नारायण दत्त तिवारी उधर चले गये। मेरा कहना है कि जैसे नेगी जी, डाक्टर अहमद, हम 37 में काम करते थे वे अलग हो गये। तो काँग्रेस में पोलराइजेशन आरम्भ हुआ। इसी तरह से जनता पार्टी में मेरा कहना था कि एक संघ दल हो ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह हर वाक्य पर टोकना ठीक नहीं है।

श्री बनारसी दास—

मैं वक्त दे सकता हूं, इनको हमारे क्लास में भिजवा दीजिये . . . .

(हंसी)

(व्यवधान)

श्री मानसिंह आजाद—

हमारे साथ आओ, दशहरी आम खिलायेंगे. . . .

एक सदस्य—

इनको भी कहीं का चेयरमैन बना दीजिये।

संख्या 3—मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85–ख—गृह (पुलिस) विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग–पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग–पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

श्री बनारसी दास—

आप हमको जानते हैं, हम आपको जानते हैं, कहीं ठठेरे ठठेरों में बदलाव हुआ करता है ? (व्यवधान)

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो आपको राजनीतिज्ञ मानता हूं यह ठठेरा शब्द कहाँ का इस्तेमाल किया ?

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

ठठेरा नहीं कहा है, यह कहा है कि एक ही थैली के हैं।

श्री बनारसी दास—

आपने प्रदेश के विभाजन की बात कही। मंत्रि परिषद् की कोई नीति प्रदेश के विभाजन की नहीं है और न ही कोई प्रश्न इस समय विचाराधीन है। कुछ व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं, वे उनकी निजी राय हो सकती है। मैंने उसके बाद कहा कि मंत्रि परिषद् के सदस्यों को इस तरह का वक्तव्य नहीं देना चाहिये क्योंकि इससे विकास के कार्य में बाधा पड़ती है। . . . (व्यवधान) . . . . . दाढ़ी की वजह से कही गर्मी थोड़ी होती है. . . . . .(हंसी)

माननीय तिवारी जी ने एक आरोप यह भी हम पर लगाया कि हमारा लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, चुनाव रोक दिये। मैं उनसे पूछ लूं कि मुरादाबाद और मेरठ में चुनाव कब से नहीं हुये ?

(व्यवधान)

सन् 57 से चुनाव नहीं हुये।

(शोर)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

उस समय साम्प्रदायिक दंगे थे।

श्री बनारसी दास—

आप सच बोल रहे हैं। सन् 57 से वहाँ चुनाव सलिये नहीं हुये हैं कि साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे। अब अगर हमारे स्वायत्त शासन मंत्री ने यह कहा कि अलीगढ़ के दंगों का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है तो क्या गलती है ?

(व्यवधान)

आपने नगरपालिकाओं को सन 73 में सुपरसीड किया। इलाहाबाद में सन 74 में निलम्बित किया . . . . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ठठेरे-ठठरे एक ही होते हैं।

श्री बनारसी दास–

तो आपका यह कहना, हम चुनाव से बचना चाहते हैं, तो आप तो 77 तक रहे, आपने क्यों नहीं कराया ? हमको तो दो ही साल हुआ है, हमारा कोई दोष नहीं, अब तक परिसीमन नहीं हो पाया और वह हमने घटा कर 18 साल कर दिया। नगरमहापालिकाओं का चुनाव मैं नहीं कहूंगा कि उधर के बैठने वाले कितने लोगों ने यह कहा कि जून की गर्मी में चुनाव कराना ठीक नहीं है। मैंने तो यह अपने ऊपर लिया, मैं ठंड में कर रहा हूं। हम जानते हैं, हमें तो तिवारी जी की सेहत का भी ध्यान रखना है। श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों ने और माननीय नेता विरोधी दल ने भी लोकतंत्र की दोहाई दी। यह कहा कि वाराणसी के अन्दर एक संसद सदस्य को गिरफ्तार किया, प्रतिबन्ध लगाया, तो इसमें तो आपको, हमको ट्रिब्यूट देना चाहिये कि जनता पार्टी विधि के राज्य में यकीन करती है, न अपने में और न आप में, भेद करती है। मैं आपसे कहता हूं, पुलिस परिषद् जिसमें बर्खास्त आदमी है, पार साल भी मेरे सहयोगी रामनरेश जी ने इसको बैन किया, 144 लगा।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी––

आपके कैबिनेट मंत्री फर्नांडीज कहते है कि उनको मान्यता दी जाय।

श्री बनारसी दास––

जार्ज फर्नांडीज ही सही यह पारसाल का निर्णय था। आजादी का मतलब जिम्मेदारी है। आजादी का मतलब संयम है। आजादी का मतलब लाइसेंस नहीं है। 73 में जिन लोगों ने बगावत किया, आपने तो उन्हें परमिट नहीं किया। आप कहते हैं कि हमने क्यों बैन किया। अर्जुन सिंह भदौरिया ने आज्ञा का उल्लंघन किया, श्री हरिकेश ने उल्लंघन किया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उन पर निषेधाज्ञा जरूर की गयी कि आप बनारस में नहीं जा सकते हैं। तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कहीं-कहीं आप देखते हैं कि लड़का कितना ही क्यों प्रिय न हो, अगर थोड़ा संतुलित नहीं होता, तो उसको ठीक नहीं करेंगे ? अगर अपनी पत्नी पागल हो जाय, तो उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। आजादी के माने यह नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि नारायण दत्त तिवारी जी ने 144 धारा क्यों नहीं निकाल दिया और 107, 109 क्यों नहीं निकाल दिया ? प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून क्यों बनाया ? तो श्रीमन्, अगर समाज की आजादी खतरे में हो, कुछ व्यक्तियों की आजादी को छीनना अनिवार्य होता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

यही इमरजेन्सी में हुआ।

श्री बनारसी दास––

अब आज तिवारी जी, मुझे याद आता है, शैतान शासक की दुहाई देता है। आपको पूरी आजादी है। यह आरोप नारायणदत्त तिवारी जी ने लगाया। इससे पहले श्री गनेशी लाल जी ने हरिजन आरक्षण की बात की। हमारे प्रदेश में 14 कलेक्टर, 12 कप्तान पुलिस के जिलों में, हरिजन हैं। राम रती जी ने कहा कि हरिजनों को अच्छी जगह नहीं रखा जाता। यहाँ का एस0 एस0 पी0 परिगणित जाति का है। 2 कमिश्नर रैंक के व्यक्ति हैं। मैं गनेशी लाल जी से कहूंगा कि आरक्षण एक सुविधा है जैसे किसी कमजोर आदमी को स्ट्रेचर पर ले जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपरेशन कराना चाहता है तो क्या ये कहेंगे कि मैं हरिजन से ही कराऊंगा।

श्री गनेशी लाल चौधरी––

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि जो संविधान में अधिकार मिला है उसकी पूर्ति की जाय।

श्री बनारसी दास––

जब तक सेवाओं में नहीं आते तब तक ठीक, लेकिन सेवा में आने के बाद न शिड्यूल कास्ट है, न बैकवर्ड, न सवर्ण हैं। वह राज्य के सेवक हैं। अभी बारी साहब ने मुस्लिम की

शिकायत की। मैं मानता हूं कि मुस्लिम रिप्रेजेन्टेशन पुलिस में 7.5 प्रतिशत के करीब हैं। 3 एस0 पी0 हैं। 2–3 डी0 एम0 हैं। उसका कारण क्या है ? मैंने आई0 जी0 पी0 से पूछा था कि कान्स्टेबिल में मुस्लिम क्यों कम हैं ? इन्सपेक्टर्स में कमी क्यों है ? जैसा अशफाक साहब ने कहा, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। एक जब मार्शल, राष्ट्रपति मुस्लिम हो सकता है, मैं आपके द्वारा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मुस्लिम बड़ी तादाद में, करीब साढ़े तीन हजार इन्सपेक्टर्स भर्ती करना है, दरखास्त दें। पी0 ए0 सी0 में दर्खास्त दें लेकिन अगर दर्खास्त नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूं।

पाकिस्तान बनने के बाद जो अधिकाँश अधिकारी आई0 पी0 एस0, आई0 सी0 एस0 थे, चले गये। कुछ दिन तक सहमें हुए मुस्लिम रहे कि फौज में, इन सर्विसों में नहीं लिये जायेंगे मैं आपके द्वारा आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुस्लिम के प्रति पुलिस में, सब इन्सपेक्टर्स में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हमारे नियुक्ति सचिव मुस्लिम हैं, कमिश्नर, एक्साइज कमिश्नर मुस्लिम बनाये गये हैं। लेबर ट्रिब्युनल में कोई मुस्लिम नहीं था। एक अवकाश प्राप्त पुराने अधिकारी को.....

(व्यवधान)

श्रीमन् मैं समझता हूं, एक बात की चर्चा, एक ऐसा नाजुक मसला है, मैं नहीं चाहता कि उसका जिक्र किया जाय, लेकिन उस दिन भी और आज भी मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूं कि यह सफेद झूठ है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के अन्दर कभी भी पी0 ए0 सी0 दाखिल हुयी। शमशाद मार्केट जिसको नारायणदत्त तिवारी जी जानते हैं कि वह आम रास्ता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

इस तरह की टोका-टोकी ठीक नहीं है।

श्री बनारसी दास––

तिवारी जी जरा इनको रोकें। मंजूर साहब आप में न इंसानियत है, न हिन्दुस्तानियत है।

श्री मन्जूर अहमद––

आप अमेरिकन हैं।

श्री उपाध्यक्ष––

(नेता विरोधी दल से) आप कृपया मना करें।

श्री बनारसी दास––

मैं अनुरोध करुंगा कि इनका व्यवहार अनुचित है। इनको निकाला जाय। मैं निवेदन कर रहा था कि शमशाद मार्केट में होकर रोजाना सैकड़ों सवारियाँ जाती हैं। अनूपशहर की सड़क है, बरेली का रास्ता है, उसके दाहिने तरफ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की दीवाल है। अब तक यह कहा जाता था कि शमशाद मार्केट में पुलिस नहीं रहनी चाहिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जहाँ सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ रोज जाती हैं वहाँ पर पुलिस का कोई कर्त्तव्य

[श्री बनारसी दास]

है कि नहीं ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं स्यूडो सेकुलर नहीं हूं। मेरी प्रतिबद्धता सत्य के प्रति है। मेरा पहला कमिटमेंट सत्य के प्रति है। मैं वोट का तिजारती नहीं हूं। जिसको मैं सत्य समझता हूं, कहता हूं। श्रीमन्, मुझे याद आता है कि जब अमेरिका में लड़ाई हो रही थी तो विलियम लियार्ड गैरिसन एक अखबार "एमेंसिपेशन" निकालते थे। उसकी पहली पंक्ति थी जिसे मैं सत्य समझता हूं उससे एक इंच नहीं डिगूंगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वराज की लड़ाई में मेरे दोस्त इब्तिजा साहब थे। मैं जानता हूं उनका किस प्रकार से उत्पीड़न हुआ। साम्प्रदायिकता के खिलाफ हाफिज साहब, रफी अहमद किदवई, अबुल कलाम आजाद, मौलाना मदनी ने हमेशा आवाज उठाई। मैं जानता हूं, मेरे सामने मदीने के एडीटर को नमाज नहीं पढ़ने दी गयी। मैं जानता हूं कि दाढ़ियाँ नोचीं गयी, लेकिन फिर भी लोग साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ते थे। मैं कहना चाहता हूं, कि जब वक्त आयेगा, मेरी जिन्दगी इस बात की साक्षी है, लेकिन सेकुलरिज्म का सार्टीफिकेट लेने के लिये सत्य का गला घोंटना साम्प्रदायिकता की अग्नि को प्रज्वलित करना है।

(मेजों को थपथपाने की आवाजें)

मैं अपने मुसलमान दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि उनको अधिकार है, मुसलमानों पर ज्यादती हो या किसी भी इंसान के खिलाफ ज्यादती हो तो वह आवाज उठायें। मैं कहता हूं कि शिया-सुन्नी का झगड़ा हुआ तो कितने लोग वहाँ गये और अपना खून बहाया। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने दिल्ली में बंगाल और पाकिस्तान के पेपरों की कटिंग को देखा है तथा अरब कंट्रीज में कहा जा रहा है कि अलीगढ़ में मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है। यदि हिन्दुस्तान की तस्वीर, जहाँ हमने इस देश में अपना खून देकर एक सकुलरिज्म की स्थापना की और जहाँ साम्प्रदायिकता की अग्नि का समन करने के लिए महात्मा गाँधी जी ने अपना बलिदान दिया, इस प्रकार से पेश की जाय और आज हम पर इल्जाम लगाया जाय, तो मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान की अक्लियत सुरक्षित नहीं है। तो सबसे ज्यादा काम मुसलमान भाइयों का यह है कि वह कहें कि हमारे मुल्क के खिलाफ यह इल्जाम झूठा है। हमारे मुल्क की तस्वीर बिगाड़ना इस मुल्क के अन्दरुनी मामलों में दखलन्दाजी करना है। यह अन्य मुल्कों ने कहा है। तो मैं खुश करने के लिये अपनी आँखों को धोखा नहीं दे सकता हूं। मैं स्वयं गया हूं। जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं—जुर्रत नहीं कि दो-दो-चार कहें। मैंने तो कहा, इस लिये मुझे एतराज नहीं। यहाँ यह भी सोचना पड़ेगा शशिकान्त को मुकर्रर किया गया। तीन बार अनुरोध किया कि उसको इक्सटेंशन न दिया जाय, लेकिन नहीं होता। फिर हमने एक अश्वनी कुमार को मुकर्रर किया है।

एक सदस्य—

आप यह क्या कह रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, मुझे ताज्जुब है कि बीच-बीच में बोलने पर श्री तिवारी जी इन लोगों को पढ़ाते नहीं हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

इस देश में आप आग लगा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मंजूर अहमद, आप बैठें। सदन में शांति बनाये रखें।

श्री बनारसी दास—

इसलिये यदि कोई जाँच कमीशन नहीं होगा तो फैसला कौन करेगा ? मैंने जो वहाँ देखा है। तो सरकार अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं। यह जाँच तो

आपकी तसल्ली के लिये है। जाँच उनके लिये है जो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिये यदि मेरा नहीं, तो जाँच का विश्वास करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, मुख्य मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय दखलन्दाजी के बारे में कहा जिसका यहाँ उल्लेख भी नहीं हुआ, न पार्लियामेंट में बात आयी, न राज्य सभा में आयी तो इसलिए इस प्रकार से यहाँ तनाव के वातावरण में मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे हैं जिसका यहाँ जो बातें कहीं गयी है उससे संबंध नहीं है। सेकुलर की बात जो कह रहे हैं वह क्यों कह रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—

आपने कहा कि आपने जो वक्तव्य दिया है, लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैंने जो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न नहीं था।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ये सब खुश करने के लिये बातें कर रहे हैं।

श्री बनारसी दास—

यह खुश करने के लिये नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

क्या आर0 एस0 एस0 के लिये जो आर्डर था, वह खुश करने के लिये नहीं था ? आज सब बातें खुश करने के लिये हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

वह जो कल वक्तव्य हुआ है, उसी के सिलसिले में जबाव दे रहे हैं।

श्री बनारसी दास—

मैं जानता हूं, माननीय नेता विरोधी दल अवसरवादिता की बात करते हैं। जब आपने कहा कि मेरा वक्तव्य गलत है तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। अलीगढ़ से संबंधित बातें पाकिस्तान, बंगलादेश और अरब देश में निकली हैं। वे अलीगढ़ से संबंधित हैं।

श्री मन्जूर अहमद—

यह तो केवल गुमराह करने की बात हुई।

श्री बनारसी दास—

मान्यवर, उस तरफ लोग ऐसा आचरण कर रहें है, जैसे यह सदन न हो जंगल हो। माननीय मंजूर अहमद इस तरह से केवल फिरकापरस्ती को प्रदर्शित कर रहें हैं। इस तरह बार-बार टोकना मान्यवर, ठीक नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद--

आप फिरका परस्ती की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंजूर अहमद जी, मैं चेतावनी देता हूं कि इस तरह से बार-बार न टोकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मान्यवर, कब तक इस तरह से एक ही बात पर वह बोलते रहेंगे ? मेरे लिये तो टाइम की बंदिश लगा दी।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इस पर काफी बोल चुके। अब दूसरा विषय ले लें।

श्री बनारसी दास--

कृपया आप लोग अपने को संतुलित रखें और यह समझें कि हम हिन्दुस्तानी हैं। अगर कोई गलत कहता है तो उसको रोकने में झिझकना नहीं चाहिये। मैं यह कह सकता हूं कि पहले जो लोग राजनैतिक तिजारत करते थे, यह उसी का नतीजा है।

श्री मन्जूर अहमद--

वह आप करते हैं। आपको इस तरह नहीं कहना चाहिये।

श्री बनारसी दास--

हमको अधिकार है। यह उसी का नतीजा है कि तीन महीने तक अलीगढ़ जलता रहा और अबकी बार सच्चाई का नतीजा है कि अलीगढ़ में 10 तारीख से कोई घटना नहीं हुयी।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मान्यवर, अलीगढ़ दंगे से पाकिस्तान से जोड़ने की क्या जरूरत है। आप सद्भावना की बात करें, लेकिन उससे पाकिस्तान से जोड़ने की क्या जरूरत ?

श्री बनारसी दास--

मान्यवर, मुझे आश्चर्य होता है कि एक सीधा सा सवाल है। मैं यह कहता हूं कि अलीगढ़ की चर्चा पाकिस्तान के अखबारों में है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

चूंकि नेता सदन बार-बार अलीगढ़ की बात लेकर पाकिस्तान की बात उठा रहे हैं, जो उचित नहीं है। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी काँग्रेस (आई) दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।]

श्री मान सिंह आजाद--

हिन्दू-मुस्लिम दंगे की बात करते हैं, मान्यवर, और जब सही बात कही जा रही है तो भाग खड़े हुये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3 के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3--मन्त्रि-परिषद् के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 49,61,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या 3—मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18—सचिवालय, अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26—गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30—सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35—प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38—विज्ञान और प्रौद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45—सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54—नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख—गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92—सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100—नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112—प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5 के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5—निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 55,44,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18—सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,84,92,1000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाल परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,29,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 21--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,45,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,83,64,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह ह कि अनुदान संख्या 30--सतर्कता विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह हैं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30--सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,78,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,59,40,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संख्या 3--मंत्रि परिषद, अनुदान संख्या 5--निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या 18--सचिवालय, अनुदान संख्या 19--कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या 21--सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग, अनुदान संख्या 26--गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या 30--सतर्कता विभाग, अनुदान संख्या 35--प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 38--विज्ञान और प्राद्योग विभाग, अनुदान संख्या 45--सूचना विभाग, अनुदान संख्या 54--नियोजन विभाग, अनुदान संख्या 85-ख--गृह (पुलिस) विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 92--सूचना विभाग-पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 100--नियोजन विभाग-पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 112--प्राविधिक शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38--विज्ञान और प्राद्योग विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--विज्ञान और प्राद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 45--सूचना विभाग के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 45--सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,49,60,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54--नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,04,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 85--ख के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 85--ख--गृह (पुलिस) विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 23,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92 के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 92--सूचना विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 100 के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 100--नियोजन विभाग--पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 112 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 112--प्राविधिक शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7,99,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने श्री भीषम और श्री बाबूराम वर्मा की नीरा के सम्बन्ध में अनियमितताओं एवं नीरा सम्बन्धी जटिल कानून से उत्पन्न परेशानी के सम्बन्ध में है, को स्वीकार किया है। इसके अलावा दूसरी सूचना श्री रणजीत सिंह जूदेव की है जो "लखनऊ के कन्टोनमेन्ट रोड पर स्थित भिन्गा (बहराइच) के भूतपूर्व विधायक के निवास स्थान पर दिनांक 19-5-79 को घटित घटना तथा पुलिस के व्यवहार" के सम्बन्ध में है—उसे मैं ने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। बाकी सूचनायें अस्वीकृत की गई है। यह वक्तव्य माननीय मंत्री जी 26 तारीख को दे देंगे।

प्रदेश में जहां-जहां नहरें बनाई जा रही हैं वहां चकबन्दी कराने तथा जहां हो गई हों वहां पुनः चकबन्दी कराने के सम्बन्ध मे राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद कानून न बनने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

उप मुख्य मंत्री एवं राजस्व मंत्री (श्री नारायण सिंह)—

मान्यवर, विधान सभा के वर्ष 1978 के तृतीय सत्र में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने श्री राम अधार राय आदि सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना के उत्तर में बताया था कि शासन ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार कर लिया है कि चकबन्दी किये हुये क्षेत्रों में यदि किसी बड़ी परियोजना के लिये भूमि की आवश्यकता हो तो उसकी अध्याप्ति की ऐसी प्रक्रिया निश्चित की जाय कि उसका प्रभाव गांव के सभी खातेदारों पर पड़े और यह संभावना न रहे कि किसी खातेदार की पूरी की पूरी भूमि अथवा अधिकांश भूमि परियोजना के अन्तर्गत आ जाय। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये एक नया कानून बनाना आवश्यक पाया गया है तथा वांछित विधेयक को तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

2—वर्तमान स्थिति यह है कि वांछित विधेयक का प्रथम आलेख्य बना लिया गया था तथा इसके विविध प्राविधानों के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग, क्षेत्रीय विकास विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विधि विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की कई बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में प्रत्येक प्रस्तावित प्राविधान की विस्तृत समीक्षा इस उद्देश्य से की गई कि विधेयक में ऐसी व्यवस्था की जावे जिससे कृषकों को अधिक से अधिक सहूलियत मिल सके तथा परियोजनाओं के लिये भूमि अध्याप्ति का कार्य शीघ्रता से किया जा सके।

3—विधेयक के आलेख्य को तैयार करने में हुये बिलम्ब का मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार का भूमि अर्जन का कोई कानून जहां तक जानकारी है, देश के किसी भाग में भी अभी तक प्रचलित नहीं था और वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिये बनाये जाने वाले कानून के आलख्य को तयार करने का यह प्रथम प्रयास था अतः जो भी शंकायें विभिन्न व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उत्पन्न हुई उनका निवारण पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा विस्तार से किया गया जिसमें समय लगा।

4—राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तावित विधेयक के आलेख्य को अन्तिम रूप देकर विधायिका विभाग को दिनांक 20 फरवरी, 1979 को अन्तिम रूप से विधीक्षण के लिये भेज दिया गया है। विधायिका विभाग में विधेयक के आलेख्य का परीक्षण ध्यानपूर्वक विस्तार से किया जा रहा है और जैसे ही यह कार्य पूरा हो जायेगा इसे अधिनियमित कराने के लिए अग्रिम कार्यवाही तत्परता के साथ की जायेगी।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय मंत्री जी ने 20 फरवरी को अंतिम रूप में इसे कानून विभाग को भेज दिया है। अब एक ही उत्तर उनसे चाहता हूं और वह यह है कि कब तक विचार होता रहेगा क्योंकि सन् 77 से इस पर विचार चल रहा है। दो वर्ष हो गये हैं। माननीय मंत्री जी अपने भूतपूर्व मंत्री जी को देख लें। उन्होंने इसी सदन में कहा था कि पिछले सत्र के शुरू होने के पूर्व अध्यादेश के रूप में विधेयक आ जायेगा। वह आज तक नहीं आया? इस सम्बन्ध में स्थिति बता दें?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कहना चाहूंगा कि हो सकता है वह इसी सत्र में आ जाय।

*श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि 20 फरवरी को हुए करीब-करीब तीन महीने हो रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत पड़ रही है विधायिका विभाग जो है उसका विधेयक लाने में जिसमें वार्तालाप राजस्व विभाग का और विभागों का हो गया है। नीतिगत प्रश्न पर जो कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट दे दी है। 1977 का कार्य-विवरण मेरे सामने है उसमें एक कमेटी बनी थी उसने रिपोर्ट भी दे दी। ऐसा कोई प्रश्न नहीं रह गया है जो अस्पष्ट रह गया हो। अब इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? मंत्री जी कहते हैं कि हो सकता है इसी सत्र में विधेयक आ जाय। हम लोग स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं, जनहित में चाहते हैं यह मंत्रिमंडल के हित में भी होगा। वह कहें कि इसी सत्र में विधेयक लायेंगे।

श्री नारायण सिंह—

मैंने कह दिया है कि बहुत जल्दी आयेगा। हो सकता है कि इसी सत्र में आ जाय लेकिन इस चीज का मैं वायदा नहीं करता हूं।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में नहरें बन रही हैं और काफी जमीन नहरों में ली जा रही है। अगर वहां चकबंदी करायेंगे तो उसमें दो महीने लग जायेंगे, 6 महीने लग जायेंगे, किसान वहां फसलें पैदा करने से वंचित हो रहे हैं तो क्या उस फसल का मुआवजा किसानों को देंगे?

श्री नारायण सिंह—

जो सुझाव दिया गया है मैंने उस पर विचार किया है। अगर जमीन हमने ले ली है और कब्जा नहीं किया है और वह एक दो साल तक रहती है तो उस पर विचार कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

करीब 20 महीने से यह प्रश्न विचाराधीन है। जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विधि के ज्ञाता लोगों का एप्रूवल बिल में लगा हुआ है। जैसा कि श्यामधर जी ने चाहा कि टाईम बाउन्ड कर दीजिये। उस पर मंत्री जी ने संदेह व्यक्त किया कि हो सकता है कि जुलाई तक उसे फाइनल न कर पाये तो उससे सारे प्रदेश के किसानों में हाहाकार मच जायेगा। क्योंकि दो तीन बार मुख्य मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, राजस्व मंत्री घोषणा कर चुके हैं फिर भी मामला लटका हुआ है। इसलिये म चाहता हूं कि एक निश्चित तिथि का आश्वासन दें कि इसी सत्र में विधेयक लाया जायेगा।

श्री नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि उसकी सब कार्यवाही पूरी हो चुकी है और उसके बाद वह कैबिनेट में आयेगा, फिर भारत सरकार के पास जायेगा। हो सकता है कि भारत सरकार के पास जाने में वहां 10 दिन लग जायं, 20 दिन लग जायं। मैं स्वयं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी वहां से वापस आ जाय।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, यह मामला बड़ा गंभीर है। 10 जुलाई, 77 को शासनादेश हुआ और वह शासन की लाल फीताशाही में लिपटा रह गया है जिस कारण कार्यरूप नहीं दिया जा सका है। मान्यवर, नहरें जबरदस्ती खोदी जा रही हैं। मेरठ में भी यह बात आई है कि 200 मीटर चौड़ी नहरें बन रही हैं। हमारे यहाँ भी बन रही है। तो क्या इस तरह के आदेश जिलाधीशों को भेजेंगे कि जबर्दस्ती नहरें न बनायें जब तक कटौती की जमीन न निकल आये।

श्री नारायण सिंह—

जहाँ चकबन्दी हो चुकी है, धारा 52 का नोटिफिकेशन हो चुका है अगर ऐसी जमीनें ली जा रही हैं तो उस पर कोई प्रार्थनापत्र आयेगा तो उस पर विचार किया जायेगा।

श्री राम अधार—

भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था तो मैं चाहता हूं कि आप भी आश्वासन दें कि जब तक दुबारा चकबन्दी करके जमीन नहीं निकलेंगी तब तक नहरें नहीं निकाली जायं।

श्री नारायण सिंह—

माननीय सदस्य आजमगढ़ की कोई अगर बात है, किसी खास जिले की बात है, मुझे मालूम नहीं कि कितनी जमीन ली जा रही है यह जो हमारा नियम बन रहा है, उसमें तो 10 परसट अगर गाँव की कोई जमीन है, तो उससे ज्यादा नहीं ली जाएगी और यदि बहुत कम जमीन है तो लैण्ड का एक्वीजीशन किया जाएगा, वही नियम चलेगा और कोई बात हो तो विचार किया जा सकता है।

श्री मोतीराम (जिला कानपुर)—

हम लोग यह कह रहे हैं कि जो पूरे गाँव के गाँव साफ हो रहे हैं इसमें ?

श्री नारायण सिंह—

उसी के लिए तो हमने नियम बनाया है।

श्री हरिश्चन्द्र (जिला गोरखपुर)—

जिस मंशा से यह विधेयक बन रहा है, वह केवल नहरों के लिए ली जाने वाली जमीन पर लागू होगा या अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए भी जो जमीन ली जाएगी, उस पर भी लागू होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो सिर्फ नहरों के बारे में है।

श्री नारायण सिंह—

मैंने इसमें साफ कहा है कि जहाँ जमीन नहरों के लिए, उनका इसमें जिक्र है, दूसरी कोई बात तो नहीं है। हमने सिंचाई विभाग, क्षेत्रीय विकास विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग से बातें की हैं, तो इसका मतलब है कि पी0 डब्लू0 डी0 आदि में भी जा सकती है।

श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

जैसा मंत्री जी ने कहा कि कमेटी में 4 विभागों के अधिकारी बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बड़ी सड़क में भी जमीन जाती है, तो उसमें भी यह नियम लागू होगा और वह जमीन गाँवों वालों से काटी जाएगी। तो क्या बड़ी-बड़ी सड़कों और अस्पताल को भी उन्होंने रखा है या केवल नहरें रखी हैं ?

श्री नारायण सिंह—

को भी है।

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

जहाँ चकबन्दी हो गयी है, किन्तु धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ ह और नहर खोदी जा रही है, जिसमें अनेक हत्यायें भी हो चुकी हैं, जिसको मैंने 301 में भी उठाया था। नारायणपुर रजबहा को खोदने में दो हत्यायें हुई हैं, तो क्या ऐसी जगहों की खुदाई आप अविलम्ब रुकवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आप अलग से प्रश्न करें, आपने तो स्थान विशेष का नाम लिया है। इसकी वह जानकारी नहीं दे सकते हैं।

श्री राम अधार—

उनको आदश दिया जाए कि जबरदस्ती नहर न खोदी जाएं, यह हम चाहते हैं।

श्री राम देव दुबे—

मेरा प्रश्न है कि चकबन्दी हो गयी है, लेकिन धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है, वहाँ नहर खोदी जा रही है, जनता रोकती है चूंकि समरेखन गलत हुआ है, तो क्या ऐसे स्थानों पर नहरों का खोदना तुरन्त रोक दिया जाएगा ?

श्री नारायण सिंह—

माननीय सदस्य शायद मेरे जवाब को समझे नहीं। मैंने कहा, जिस गाँव में आधी या चौथाई परसेंट जमीन ली जा रही है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसमें तो लैण्ड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग ही चलेगी। बड़ी योजनाएं जितनी हैं, उसमें माननीय सदस्यों को कोई किसी किस्म की कठिनाई हो तो उसके हल के लिए मैं तैयार हूं।

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर सवाल है। इस सवाल पर विधान सभा का उपवेशन स्थगित हो चुका है। मंत्री जी ऐसा मत समझें, बड़ा गुस्सा है हम लोगों को, लेकिन चूंकि पौने आठ बज चुका है इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आपकी मारफत, इस सवाल का अन्तरिम उत्तर मान कर एक निर्देश दे दें पूरी तैयारी के साथ एक दिन, दो दिन, तीन दिन म माननीय मंत्री जी आएं, क्योंकि इस समय खुदायी का काम जारी है। (व्यवधान)

आपकी जानकारी में हों तो आप से प्रश्न पूछे दफा 52 आप जानते है क्या हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो सूचना है, एक कानून के बारे में वह कब तक आ रहा है, उसके सम्बन्ध में है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है। नियम कब तक बन जायगा यह पता नहीं है। खुदाई का काम जारी है। रोज ब रोज किसान दौड़-दौड़ कर जनप्रतिनिधियों के पास आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। यही जगह है जहाँ हम जनता के हितों की रक्षा कर पाते हैं। वैसे दफतर म जावो तो पता नहीं हैं या नहीं।

समय तो बहुत हो गया है। माननीय मंत्री जी भी थक चुके हैं। कल, परसों, नरसों एक समय तय कर दीजिए ताकि खुले दिमाग के साथ, नियम कानून के साथ हाजिर हों, उस समय सारी जानकारी हो तब तक के लिये आदेश दें जब तक नियम नहीं बन जाता है तब तक सारी लम्बी चौड़ी योजनाओं का सारा खुदाई के काम को स्थगित कर दें ताकि किसानों को परेशानी न हो।

(श्री राज ब्रजराज सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैंने यह कहा कि खोदने का काम स्थगित रहेगा, जब तक नियम नहीं बन जाता है, पूरी नियमावली नहीं प्रस्तुत हो जाती है तब तक के लिए बड़ी-बड़ी नहरों की खोदाई का काम जो चल रहा है, क्या उसको रोक देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी सूचना अलग से दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यही असली प्रश्न है। सारे प्रदेश में किसानों के हित का मामला है। यह नियम 56 में सवाल उठ चुका है।

श्री विक्रमा राय—

माननीय मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री ने भूल की।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप किसानों की स्थिति देखिए। काम जारी है। जब तक नियम नहीं बन जाता तब तक स्थगित कर दें योजना को।

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मंत्री जी इसमें अवश्य ही काफी बिलम्ब हो चुका है। पिछला जब विधान सभा का सत्र था तब यह मामला आया था। इसमें नहरों की खोदाई हो रही है और जब तक बारिश नहीं होती तब तक खोदाई होगी। अब तक यह कानून आ जाना चाहिए था, लागू हो जाना चाहिए था। इसको आप फिर देखिए कब तक इसको यहाँ ला सकेंगे, इसमें क्या बिलम्ब है ?

श्री श्यामधर मिश्र—

एक बड़ी सहायता होगी उनकी, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि विधायिका विभाग के सामने तीन महीने से .....

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठिए।

श्री बाबू राम वर्मा—

जब आप बोल रहे हैं तब क्या कोई सदस्य बोल सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने स्वयं मना कर दिया।

श्री श्यामधर मिश्र—

आपकी आज्ञा मान कर नहीं, उनकी आज्ञा माँग कर बोल सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में पुनः एक वक्तव्य अगले सप्ताह में दे दें।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मुझे एक शब्द की आज्ञा दें। जैसा आपने आदेश दिया और जैसा शतरुद्र प्रकाश जी और माननीय सदस्यों ने कहा है, क्यों ज्यादा समय लग रहा है, तीन महीने से

[श्री श्याम धर मिश्र]

विधायिका विभाग में ड्राफ्टिंग के लिए प्रस्तुत हैं और नहीं हो पा रहा है। जिसके विभाग की बात है वह विधायिका विभाग को बैठाकर मीटिंग कर लें और इसको किलियर कर लें। यह मामला केन्द्र को भी जायेगा। मेरा निवेदन है कि करेस्पांडेन्स न करें बल्कि किसी व्यक्ति को भेज कर करा लें। 15 दिन में करा सकते हैं।

श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन उस नहर में आ रही है उसका लगान माफ करने की कृपा करेंगे और दूसरी चीज यह जानना चाहूंगा कि जिनकी जमीन आ रही है उनको नोटिस भी पहले देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है।

श्री राम अधार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आश्वासन कब तक पूरा हो जायेगा ? जिले में इसके आदेश कब तक चले जायेंगे कि नहर नहीं खोदी जायेगी। माननीय मंत्री जी स्पष्ट आश्वासन नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम अधार सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नारायण सिंह—

मैंने स्वयं इस चीज का वायदा किया है। बहुत कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाये। कागजात सब तैयार हो चुके हैं। कैबिनेट में जाने के आदेश हैं। मैंने वह भी आदेश दे दिए हैं और कैबिनेट के बाद वह भारत सरकार के पास जायेगा। जो सवाल माननीय श्याम धर मिश्र ने किया है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन गाँवों में नहर खुद रही है और बहुत बड़े पैमाने पर है तो वह मुझे पर्टीकुलर एप्लीकेशन दे दें, जो कुछ कर सकता हूं वह करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में प्रगति की जानकारी अगले सप्ताह में करा दें। अगले शनिवार तक।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 44 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
23 मई, 1979।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 324 पर)

मांगों की सूची

1—अशासकीय प्राइमरी स्कूलों में क्षति-पूर्ति अनुदान के स्थान पर उनके वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व शासन ले तथा संविधान के विरुद्ध 15 रु0 तक शिक्षण शुल्क लेने सम्बन्धी राजाज्ञा निरस्त की जाय।

2—एक जूनियर हाई स्कूल के हाई स्कूल के रूप में प्रोन्नत हो जाने पर उसी स्कूल के समक्ष प्रधानाध्यापक को हाई स्कल के प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नत किया जाय।

3—सेवा नियमावली 7 में संशोधन करके प्रधानाध्यापक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम0ए0,बी0एड0,बी0टी0,एल0टी0की जाय।

4—सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के वेतन भुगतान का अध्यादेश फरवरी, 1979 से लागू किया जाय।

5—प्रदेश के समस्त असहायिक जू0 हाई स्कूलों को मान्यता के वर्ष के क्रम में तीन वर्ष में अनुरक्षण अनुदान सूची पर लाया जाय।

6—मार्च, 77 से फरवरी, 79 तक नये वेतनमान और पुराने वेतनमान का अन्तर सरकार दे।

7—असहायिक जूनियर हाई स्कूलों के कार्यरत त्रिभाषा शिक्षकों के वेतन का अनुदान नवीन वेतनमान (210–330) के आधार पर स्वीकृत किया जाय तथा अगस्त, 72 से अब तक के बढ़े वेतन का अवशेष धन का भुगतान कराया जाय।

8—असहायिक जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को शासन महंगाई भत्ता तथा अतिरिक्त महंगाई भत्ता दें।

9—सहायता प्राप्त जू0 हा0 स्कूलों के सहायक अध्यापकों के सम्बन्ध में सरकारी घोषणा के अनुसार सी0टी0 वेतन व सेलेक्शन ग्रेड तुरन्त प्रदान किया जाय।

10—जू0 हा0 स्कूल के प्रधानाध्यापक का वेतनक्रम अलग से निर्धारित किया जाय।

11—1 से 8 तक के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जाय।

12—उच्चतर मा0 विद्यालयों की भांति ही प्रशासकीय मान्यता प्राप्त जू0 हाई स्कूलों के तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी व अन्य कर्मचारियों को पेन्शन तथा ग्रेच्युटी स्वीकार की जाय।

13—सहायता प्राप्त कन्या ज0 हाई स्कूलों से संलग्न प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं का नवीन वेतनमान पुनःनिर्धारण कराया जाय।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 329 पर)

उन दुकानों की सूची जहां से पुस्तकें क्रय की गयी हैं

1—यूनिवर्सल बुक डिपो, लखनऊ
2—ब्रिटिश बुक डिपो, लखनऊ
3—एस. चाँद एण्ड कम्पनी, लखनऊ
4—इन्डियन बुक डिपो, लखनऊ
5—सीमा बुक हाउस, लखनऊ
6—विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
7—राजपूत ट्रेडर्स केशव देव मालवीय मार्केट, बस्ती
8—गोपाल बुक डिपो, बस्ती

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 330 पर)

शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0 के पत्रांक शि0 मु0 28929–2406/एक–9 (82)/74–75, दिनाँक 15/3/75 (15–5–75) के अनुसार बेसिक विद्यालयों के लिये टाट-पट्टी एवं साज सज्जा के क्रय हेतु जनपद स्तर पर एक क्रय समिति गठित है, जो निम्नवत् है:—

(1) अध्यक्ष, जिला परिषद् बहराइच	..	अध्यक्ष
(2) अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन), बहराइच	..	सदस्य
(3) जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच	.	,,
(4) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच	..	,,

वर्ष 1977–78 में बेसिक विद्यालयों हेतु निम्न सामग्री के क्रय का आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच को पंचायत उद्योग से आपूर्ति कराने हेतु उक्त कमेटी के निर्णयानुसार दिया गया:—

(1) टाट-पट्टी	3059	19—35 दर		रु0 59191.65
(2) मेज (शीशम)	440	55—00	,,	रु0 24200.00
(3) कुर्सी (शीशम)	840	29—00	,,	रु0 24360.00
(4) श्यामपट्ट (शीशम)	662	18—00	,,	रु0 11916.00

उक्त सामग्री की आपूर्ति के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच के पत्रांक-लेखा/6983–86/77–78 दिनाँक 3–3–78 के अनुसार उपर्युक्त आपूर्ति की जाँच हेतु एक समिति का गठन हुआ जिसके अधिकारी (सदस्य) निम्नवत है:—

(1) उप विद्यालय निरीक्षक, बहराइच	..	अध्यक्ष
(2) शिक्षा अधीक्षक, नगरपालिका, बहराइच	..	सदस्य
(3) उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बहराइच	.	,,

इस समिति की रिपोर्ट से निम्न तथ्य प्रकाश में आए।

काष्ठोकरण—

उपर्युक्त कमेटी ने 440 (मेज) (शीशम), कुर्सी 840 तथा श्याम-पट्ट 662 की जाँच की सामान सन्तोषजनक पाने पर माह अप्रैल, 1978 में भुगतान रुपया 60476.00 का कर दिया गया।

टाट-पट्टी—

वर्ष 1977–78 में कुल 3059 टाट-पट्टी की आपूर्ति करने हेतु आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच के माध्यम से पंचायत उद्योग, मिहीपुरवा (बहराइच) तथा पयागपुर को दिया गया था। उन्होंने 3,046 की आपूर्ति की। इनमें से 275 टाट-पट्टियाँ नाप में कम, इस्तेमाल शुदा तथा कटी-पिटी पाई गईं जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया और फर्म को इन्हें वापस ले जाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं। शेष 2771 टाट-पट्टियाँ निर्धारित नाप 10×2 की थीं परन्तु उनका वजन जो 5542 किलोग्राम होना चाहिए था वह केवल 5002 किलो 800 ग्राम निकला। इस प्रकार 539 किलो ग्राम 200 ग्राम वजन कम रहा। इतने वजन की सुतली में 270 टाट-पट्टी बन सकती है। अतः जिला पंचायत राज अधिकारी, बहराइच को यह तथ्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच के पत्रांक, क्रय अनु0/856/78–79 दिनाँक 12–1–79 के द्वारा बताया गया तथा निर्देश दिया गया कि कम वजन की 270 टाट-पट्टी की आपूर्ति कर दी जाय ताकि उनको 2771 टाट-पट्टियों का पूरा मूल्य भुगतान किया जा सके।

पी0एस0यू0पी0—एच0 218 विधान सभा (345)—1979—835।